R N No : MPBIL/2001/5256
DAWP Code : 128101
Postal Registration No. : भोपाल/म.प्र./581/2021-2023
Publish Date : Every Month Dt. 05
Posting Date : Every Month Dt. 15
Rs. 10/-

छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश
वर्ष 21 अंक 08 05 अप्रैल 2021

जगत विज़न

किसान आंदोलन से प्रभावित होंगे बंगाल चुनाव के नतीजे?

किस मोड़ पर आकर थमेगा किसान आंदोलन?

भूपेश बघेल की तानाशाही के शिकार हो रहे पत्रकार

छत्तीसगढ़ में पत्रकारों पर हो रही कार्रवाहियों के बाद दहशत में है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ

Scanned with CamScanner

प्रेरणा स्त्रोत : स्व. श्री जगत पाठक

संपादक	विजया पाठक
कार्यकारी संपादक	समता पाठक
मध्यप्रदेश संवाददाता	अर्चना शर्मा
राजनीतिक संवाददाता	समीर शास्त्री
विशेष संवाददाता	बिन्देश्वरी पटेल
छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ	मणिशंकर पाण्डेय
छत्तीसगढ़ संवाददाता	ओंकारनाथ तिवारी
	आनन्द मोहन श्रीवास्तव,
पश्चिम बंगाल ब्यूरो चीफ	अमित राय
गोवा ब्यूरो चीफ	अजय सिंह
गुजरात ब्यूरो चीफ	गौरव सेठी
दिल्ली ब्यूरो चीफ	विजय वर्मा
पटना संवाददाता	सौरभ कुमार
उत्तरप्रदेश ब्यूरो चीफ	वेद कुमार
बुंदेलखण्ड संवाददाता	रफत खान
विधिक सलाहकार	एडवोकेट राजेश कुंसारिया

सम्पादकीय एवं विज्ञापन कार्यालय

भोपाल

एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल

मो. 98260-64596, मो. 9893014600

फोन : 0755-4299165 म.प्र. स्वत्वाधिकारी,

छत्तीसगढ़

4-विनायका विहार, रिंग रोड, रायपुर

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक,

विजया पाठक द्वारा समता ग्राफिक्स एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. द्वारा कम्पोज एवं जगत प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्लाट नं. 28 सुरभि विहार बीडीए रोड भेल भोपाल से मुद्रित एवं एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. से प्रकाशित संपादक विजया पाठक। समस्त विवादों का कार्यक्षेत्र भोपाल सत्र-न्यायालय रहेगा। पत्रिका में प्रकाशित किये जाने वाले संपूर्ण आलेख एवं सामग्री की जिम्मेदारी लेखक एवं संपादक की होगी।

E-mail : jagat.vision@gmail.com

मासिक द्विभाषी पत्रिका वर्ष 21 अंक 08 05 अप्रैल 2021

किसान आंदोलन से प्रभावित होंगे बंगाल चुनाव के नतीजे?

किस मोड़ पर आकर थमेगा किसान आंदोलन?

(पृष्ठ क्र.-6)

भूपेश बघेल की तानाशाही के शिकार हो रहे पत्रकार

पत्रकारों पर हुई कार्रवाई के बाद दहशत में है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ

(पृष्ठ क्र.-24)

- गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम 32
- बजट से साधा समाज का हर तबका 36
- मुबई में परमबीर का परमतीर 39
- एक प्रधानमंत्री के सपने को दूसरे ने किया साकार 40
- जम्मू-कश्मीर में रोहिंग्याओं को बसाने का षड्यंत्र 44
- फ्रेडरिक इरीना : गौ-सेवा के मामले में मिसाल 48
- चीन बनाएगा ब्रम्हपुत्र नदी पर बांध 50
- तानाशाह है कि मानता नहीं। 54
- असहाय होने का एहसास 56
- ग्रामीण निर्धन परिवारों की महिलाओं को स्व-सहायता समूह 58
- मध्यप्रदेश में टाईगर, तेंदुआ और गिद्धों की संख्या 62
- Was dropping HM from Singh's petition a ruse? 64

Scanned with CamScanner

हाल ही में मैंने जगत विज़न मासिक पत्रिका के मार्च 2021 का अध्ययन किया। यह अंक कांग्रेस से बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया पर केन्द्रित है। इस अंक को पढ़कर मैंने सिंधिया के विषय में जानकारियां प्राप्त की। कैसे एक बड़े राजनैतिक घराने के नेता ने फर्जी और गैर-कानूनी तरीके से शासकीय भूमियों को हड़पा है। निश्चित ही यह सिंधिया की काली करतूतों का पुरा चिट्ठा प्रकाशित हुआ है। अब तक शायद बहुत से लोगों को इतनी सच्चाई पता नही होगी लेकिन जगत विज़न पत्रिका ने सिंधिया की पूरी पोल खोल दी है।

अभिषेक ठाकुर, रायपुर

मैं जगत विज़न मासिक पत्रिका का नियमित पाठक हूं। पत्रिका के माध्यम से मैं सफेदपोश नेताओं की काली करतूतों को पढ़ता हूं। मुझे खुशी है कि आज की पत्रकारिता में ऐसे भी संस्था न है जो बिना डरे और साहस के साथ सफेदपोश नेताओं के कारनामे उजागर करते है। जगत विज़न पत्रिका ऐसा ही साहसी लोगों का संस्थान है। मार्च 2021 के अंक में ज्योतिरादित्य सिंधिया का काला चिट्ठा प्रकाशित कर दर्शा दिया है। सच्चाई किसी छिप नही सकती है। पढ़कर अच्छा लगा और सिंधिया परिवार बेनकाब हुआ।

विवेक आनंद, अहमदाबाद

पढ़कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि सिंधिया खानदान का वारिस और मध्यप्रदेश के प्रभावी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया इस हद तक गिर सकते हैं। जिन्होंने सत्ता को ताकत से अरबों रूपये की शासकीय भूमियों को अपने नाम करवा लिया है। जगत विज़न मासिक पत्रिका के मार्च 2021 के अंक में यह पूरी आवरण कथा प्रकाशित हुई है। यकीन करना मुश्किल है कि यह सिंधिया है जो कभी कमलनाथ सरकार में बीजेपी को कोसने में कसर नही छोड़ते थे।

पियूष अग्रवाल, नागपुर

जगत विज़न मासिक पत्रिका के माध्यम से एक बार फिर प्रदेश की राजनीति में भू-चाल आया है। यह भूचाल बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की काली करतूतों के कारण आया है। पत्रिका के मार्च 2021 के अंक में शासकीय जमीनों के बंदर बांट में सिंधिया की संलिप्तता उजागर हुई है। ग्वालियर शहर की सैकड़ों बेशकीमती शासकीय भूमि को कैसे सत्ता की ताकत से सिंधिया ने हड़पा है, यह पूरा विवरण प्रकाशित किया है। पत्रिका ने बहुत ही साहसी काम कर पत्रकारिता की उपयोगिता का प्रदर्शित किया है।

अक्षय त्रिपाठी, दिल्ली

पत्रिका में पाठकों की राय का स्वागत है। संदेश भेजकर सुझाव देने के लिये धन्यवाद। आप अपने सुझाव ई-मेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। ई-मेल द्वारा भेजे गये सबसे अच्छे पत्र को पुरस्कृत किया जायेगा।

संपादक
जगत विजन
एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (म.प्र.)
e-mail : jagat.vision@gmail.com, Visit at : www.jagatvision.com

Scanned with CamScanner

संपादकीय

बंगाल में टीएमसी और बीजेपी में मुकाबला

पश्चिम बंगाल में 292 विधानसभा सीटों पर 8 चरणों में चुनाव होना है। विधानसभा सीटों पर अपनी दावेदारी पेश करने के लिए तृणमूल कांग्रेस, भाजपा सहित अन्य पार्टियां इन दिनों जोर-शोर से चुनाव प्रचार प्रसार और रैलियों में जुटी हुई है। लेकिन इस बार का बंगाल चुनाव काफी रोमांचक होने वाला है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी बंगाल की सरजमीं पर भगवा झंडा लहराने के लिए उत्सुक है वहीं दूसरी तरफ ममता बैनर्जी एंड बिग्रेड बंगाल में अपनी साख बचाए रखने के लिए दिन रात एक कर प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। पहली बार बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को क्लीन बोल्ड करने के उद्देश्य से मैदान में उतरी भारतीय जनता पार्टी ने अपने शीर्ष स्तर के नेताओं को बंगाल में चुनावी तैयारियों के लिए काफी पहले ही उतार दिया था। इस तैयारियों की जिम्मेदारी भाजपा ने भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के कंधों पर दी है। खास बात यह है कि कैलाश विजयवर्गीय इस जिम्मेदारी को गंभीरता से लेते हुए पिछले कुछ महीनों से लगातार बंगाल में डटे हुए है और लगातार भाजपा को अधिक से अधिक सीटों पर विजयी बनाने की योजना पर काम कर रहे है। इस बीच में देखा गया कि ममता बैनर्जी के पार्टी के कई वरिष्ठ विधायक और सांसदों ने ममता का साथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। इससे ममता की मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं, लेकिन उन्होंने अभी हथियार नहीं डाले और वो लगातार रैलियां कर जनता से उनको एक बार और मौका देने की गुहार लगा रही है।

इस बार मुकाबला बीजेपी और टीएमसी में होने वाला है। जिसका अंदेशा लगने लगा है और दोनों प्रमुख पार्टियों से कमर भी कस ली है। लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल में गहरे तक पांव जमाए ममता बनर्जी के राजनीतिक अस्तित्व की परतें उधड़ने लगी हैं। वैसे तो पिछले लोकसभा चुनाव परिणामों ने ममता बनर्जी की छत्रछाया में तृणमूल कांग्रेस के धरातलीय आधार को यह स्पष्ट संकेत दे दिया था कि तृणमूल कांग्रेस के विजयी रथ पर कुछ हद तक लगाम लग चुकी है। बंगाल में शून्य से शिखर पर जाने का जी-तोड़ प्रयास करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने ममता के किले को उस स्थान से खिसकाने का प्रयास किया है, जो पिछले 15 वर्षो से बंगाल की राजनीति में ममता ने बनाया था। ममता बनर्जी ने जिस प्रकार की राजनीति की, उसके चलते भाजपा और तृणमूल कांग्रेस एक-दूसरे के राजनीतिक दुश्मन बनकर सामने आ गए। जिसकी परिणति स्वरूप आज दोनों दल एक-दूसरे को पटखनी देने के दांवपेच खेल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के बाद ही भाजपा की बढ़ती ताकत का अहसास हो गया था, वहीं ममता बनर्जी की तानाशाही प्रवृति का शिकार बनी तृणमूल कांग्रेस डूबता जहाज बनने की ओर अग्रसर होती दिखाई दे रही है। वैसे तृणमूल कांग्रेस की आंतरिक राजनीति का अध्ययन किया जाए तो यही परिलक्षित होता है कि इसके लिए स्वयं ममता बनर्जी ही जिम्मेदार हैं। तृणमूल कांग्रेस में अपने पारिवारिक सदस्यों को महत्व देने के बाद पार्टी को सत्ता के सिंहासन पर पहुंचाने वाले वरिष्ठ नेता नाराज दिखाई दे रहे हैं। कुछ नेता खुलकर बोलने लगे हैं तो कुछ अभी समय की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। सवाल यह आता है कि जब इतने बड़े नेता तृणमूल कांग्रेस में अपमानित महसूस कर रहे हैं, तब छोटे कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति होगी, इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है।

विजया पाठक

Scanned with CamScanner

किसान आंदोलन से प्रभावित होंगे बंगाल चुनाव के नतीजे?

किस मोड़ पर आकर थमेगा किसान आंदोलन?

Scanned with CamScanner

पिछले कुछ महीनों से सरकार, प्राइवेट कंपनियां और कुछ इकोनॉमिस्ट यह बता रहे हैं कि इन कानूनों से किसानों की आय एकदम से बढ़ जाएगी। इस बात को समझाने के लिए उनके पास कोई तर्क नहीं है। ऐसे में अगर किसानों की आय में इजाफा होना निश्चित है तो उनकी एक ही डिमांड है कि एमएसपी को कानूनी रूप से मान्यता दे दिया जाए। देश के किसान लगभग चार महीनों से दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। कई लोगों ने किसान आंदोलन पर सवाल भी उठाए। आंदोलन को लेकर कई नेताओं के विवादित बयान भी सामने आए हैं। पाकिस्तान और खालिस्तान लिंक भी ढूंढा गया, लेकिन किसान अब तक डिगे नहीं हैं। ऐसे में देश को यह जानना बेहद जरूरी है कि किसानों की चिंताएं क्या हैं? क्यूं किसान पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। किसानों के साथ पिछले चार दशकों में काफी अनदेखी और नाइंसाफी हुई है। UNCTAD के एक अध्ययन से पता चलता है कि 1980 के दशक और 2000 के दशक के दौरान दुनिया भर में उत्पादन मूल्य स्थिर रहे। दूसरे शब्दों में कहें तो 2000 के दशक में किसानों की आय वैसी ही रही, जैसी 1980 के दशक में थी। अमीर देशों ने अपने किसानों को सब्सिडी दी, जिससे उन्हें यादा नुकसान नहीं हुआ। वहीं, विकासशील देशों को इसको लेकर बेहद गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। इकोनॉमिक सर्वे 2016 के अनुसार भारत में इस समय 17 राज्यों के किसानों की सालाना आय 20 हजार से भी कम है, यानि महीने में 1700 के आसपास। इतनी कम आय में आज के समय में एक गाय नहीं पाली जा सकती है, तो हम कैसे यह उम्मीद कर सकते हैं किसान अपना भरण पोषण कर पाएगा। वहीं, 2018 में OECD (ऑर्गनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट) की एक रिपोर्ट के अनुसार 2000 से 2016-17 के बीच, भारतीय किसानों को 45 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। यानि 16 सालों में हर वर्ष देश भर के किसानों को 2.64 लाख करोड़ रुपये का नुकसान झेलना पड़ा। इन तथ्यों को देखते हुए किसानों को यह डर है कि कॉर्पोरेट की इंट्री बाद जैसे सरकारी अस्पतालों और स्कूलों की व्यवस्था कमजोर हुई है, कुछ वैसा ही हाल कृषि क्षेत्र का भी हो जाएगा। दरअसल, भारत में यादातर संख्या छोटे किसानों की है। ऐसे में वह इतने संपन्न नहीं हैं कि मंडियों तक आसानी से पहुंच पाएं। यही वजह है कि वह अपने अनाज आढ़तियों को औनेपौने दाम पर बेच आते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि मंडिया किसानों तक लायी जाए, न कि उन्हें मंडियों के पास जाना पड़े। अगर मंडिया नजदीक होंगी तो किसान को फसल की कीमत सही मिलेगी और एमएसपी के डिलिवरी रेट में भी इजाफा होगा। आंदोलन के प्रमुख चेहरे राकेश टिकैत चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में आंदोलन को धार देने का ऐलान कर चुके हैं। पंजाब के निकाय चुनाव में बीजेपी इस गुस्से में बुरी तरह झुलस भी चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बंगाल चुनाव पर भी किसान आंदोलन का असर दिखेगा? पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में संयुक्त किसान मोर्चा भी कूद पड़ा है। दिल्ली की सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन में बंगाल के किसानों की हिस्सेदारी नहीं के बराबर रही। उसकी दो प्रमुख वजहें रहीं। एक वजह यह रही कि यहां पर एमएसपी मुद्दा नहीं है, दूसरा यहां बड़े किसान नहीं हैं। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल के सबसे प्रमुख आंदोलनों में से एक नंदीग्राम और दूसरा सिंगूर रहा था। किसानों की जमीन अधिग्रहण के खिलाफ शुरू हुए यह दोनों आंदोलन दरअसल चुनाव आते-आते किसान का मुद्दा कम किसानों के पक्ष में खड़ी होने वाली ममता बनर्जी की लहर का मुद्दा ज्यादा बन चुका थे। जिसका सीधा फायदा ममता बनर्जी को हुआ। माना जाता है कि यही वजह रही कि 2011 के चुनाव में ममता ने बंगाल में 34 वर्षो के वाम शासन को पराजित कर गद्दी संभाली।

विजया पाठक

पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में या यूं कहें कि देश के किसी भी राज्य के विधानसभा चुनाव में ऐसा संभवतः पहली बार हुआ कि पगड़ी बांधे सिख और हरी टोपी पहने किसान नेता प्रचार के दौरान मंच से लोगों को ठोस निर्णय लेने के बारे में सलाह दे रहे हों। पश्चिम बंगाल के चुनावी दंगल में ये पहली बार था जब सभाओं में जय जवान, जय किसान और किसान एकता जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे। ये आवाज़ें किसानों के मंचों से गूंज रही थीं जो दिल्ली के सिंघु बॉर्डर से पश्चिम बंगाल में किसान आंदोलन का केंद्र रहे नंदीग्राम और सिंगुर पहुंचे थे। केंद्र सरकार के लाए नए कृषि कानूनों का विरोध

Scanned with CamScanner

सरकार का तर्क है कि एमएसपी को खत्म नहीं किया गया। एमएसपी का निर्धारण राज्यों का विषय और राज्य इसे अपने स्तर से लागू कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि जब केन्द्र ने एमएसपी खत्म नहीं किया है तो फिर इसका कानून में लिखित जिक्र क्यों नहीं कर रही ? इसमें आनाकानी क्यों कर रही है? सरकार कानून बनाए कि उनका कृषि उत्पाद न्यूनत समर्थन मूल्य पर ही खरीदा जाएगा। एमएसपी से कम मूल्य पर अनाज खरीदना अपराध होगा। किसानों की दूसरी चिंता कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर है। किसानों को डर है कि नये कानून से कॉरपोरेट कंपनियां उनके खेतों को गिरवी रख लेंगी। किसान अपनी मर्जी के मालिक नहीं रह पाएंगे। केन्द्र सरकार इन भ्रमों का निवारण क्यों नहीं कर रही?

कर रहे किसान संगठन अब हर उस राज्य का दौरा कर रहे हैं जहां विधानसभा चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल के चुनावी दंगल में इन किसान नेताओं की मौजूदगी ने चल रहे राजनैतिक संघर्ष को नया मोड़ दे दिया है। कोलकाता के धर्मतल्ला का मैदान हो, आसनसोल या नंदीग्राम या फिर सिंगुर... जहां-जहां किसानों की महापंचायतों का आयोजन किया गया वहाँ नेताओं की नई खेप देखकर पश्चिम बंगाल के लोग भी अचंभे में नज़र आए। उन्होंने ऐसा नज़ारा पहले कभी नहीं देखा था जब पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान बंगाल के चुनावों में इस तरह की रूचि दिखा रहे हों।

निश्चित तौर पर बंगाल के चुनाव में किसान आंदोलन का व्यापक होना निश्चित है। ऐसे में बीजेपी को अपनी रणनीति में बदलाव लाने की सख्त जरूरत है। खासकर किसानों के मामले में जल्द कोई ऐसा कदम उठाना होगा जो किसानों के हित में हो। क्योंकि किसानों का यह मुद्दा ऐसा मुद्दा है जिसमें

Scanned with CamScanner

बंगाल की काफी हद तक जनसंख्या को प्रभावित कर सकता है। अब इस आंदोलन में बुद्धजीवी किसान, पत्रकारों का भी समर्थन मिलने लगा है। राजस्थान के कवि संपत सरल, प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास भी अपनी कविताओं के माध्यम से आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं।

किसान आंदोलन की आग अभी भी धधक रही है। तमाम वार्ताओं के बाद सरकार और किसान संगठनों के बीच कोई समझौता नही हो पा रहा है। यही कारण है कि दिल्ली की चारों बार्डर पर किसान पूरी दमखम के साथ डटे हैं। इतिहास के सबसे बड़े और व्यापक किसान आंदोलन को लेकर केंद्र

सिंघु बार्डर पर जालंधर पंजाब के किसान नेता कवरजीत सिंह से बातचीत करती हुई जगत विजन पत्रिका की संपादक विजया पाठक

Scanned with CamScanner

क्या विधानसभा चुनावों को प्रभावित करेगा किसान आंदोलन ?

देश में 3 कृषि कानूनों के विरोध में चार महीनों से आंदोलन चला रहे किसान संयुक्त मोर्चा ने तीसरी बार भारत बंद का आव्हान किया था, लेकिन देश में इसको लेकर खास हलचल नहीं दिखाई दी। वैसे इसे किसान आंदोलन का चौथा चरण माना जा सकता है, जब आंदोलन में जान फूंकने की हर संभव कोशिश की जा रही है। लेकिन इस आंदोलन का भविष्य काफी कुछ पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के नतीजों पर भी टिका है। अगर इन चुनावों में भाजपा पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने और असम में सरकार बचाने में कामयाब रही तो कृषि कानून विरोधी इस किसान आंदोलन का रहा-सहा असर भी खत्म हो सकता है। लेकिन भाजपा पांच राज्यों में कोई उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल नहीं कर पाई तो हो सकता है कि मोदी सरकार किसान आंदोलन पर गंभीरता से ध्यान दे। किसान आंदोलन के सूत्रधारों ने पश्चिम बंगाल में किसान पंचायतें आयोजित कर चुनाव में भाजपा को हराने का व्यापक आह्वान किया है।

देश की राजधानी की तीन सरहदों पर चार महिने पहले शुरू हुए कृषि कानून विरोधी आंदोलन के जोश और ऊर्जा को देखकर लगता था कि आंदोलनकारी मोदी सरकार को झुकाने में कामयाब हो जाएंगे। किसान और उनकी समस्याएं देश की चिंता के केन्द्र में आ गई हैं। लगता था कि यह आंदोलन जल्द ही समूचे देश को अपनी लपेट में ले लेगा। तब इस आंदोलन का संचालन कई किसान संगठनों

सरकार ने किसान संगठनों से 11 राउंड में 45 घंटे की बात कर चुकी है। परिणाम में कुछ नहीं निकला है। देश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी इस समय कृषि से जुड़ी हुई है। किसान अन्नदाता हैं। भारत के भाग्यविधाता हैं। उनके अधिकार की हर हाल में रक्षा होनी चाहिए। किसान आंदोलन का स्वरूप जिस तेजी से बदल रहा है उससे इसके राजनीतिक इस्तेमाल की आशंका बढ़

Scanned with CamScanner

के नेता सामूहिक रूप से कर कर रहे थे। उद्देश्य एक ही था, किसान विरोधी कृषि कानूनों को वापस लेने पर मोदी सरकार को बाध्य करना। तब आंदोलनकारी किसानों के हौसलो को देखते हुए सरकार भी दबाव में आ गई थी। उसने आंदोलनकारियों से कई दौर की बात की। एक समय सरकार इन कानूनों को कुछ समय के लिए स्थगित करने पर राजी भी हो गई थी, जिससे आंदोलन के नेताओं की महत्वाकांक्षा और बढ़ गई। वो हर हाल में कृषि कानूनो की वापसी पर अड़ गए। आंदोलन का चरम 26 जनवरी को राजधानी में ट्रैक्टर रैली के रूप में सामने आया, जिसके दौरान भारी हिंसा और उत्पात हुआ। संदेश गया कि किसान नेताओं का आंदोलन पर से नियंत्रण घटता जा रहा है। रैली में हुए उपद्रव के बाद कुछ किसान संगठन आंदोलन से अलग भी हो गए। उधर सरकार को हावी होने का मौका मिल गया। 26 जनवरी के बाद किसान आंदोलन का दूसरा चरण जाट एकता आंदोलन में तब्दील होने के रूप में सामने आया। अब किसान आंदोलन की धुरी भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश सिंह टिकैत बन गए। जो राजनीतिक संगठन इस आंदोलन को परदे के पीछे से संचालित कर रहे थे या उसे समर्थन दे रहे थे, वो खुलकर सामने आ गए। आंदोलन का नया एजेंडा कृषि कानूनो की वापसी के साथ साथ भाजपा सरकार हटाओ भी बन गया। सरकार भी शायद यही चाहती थी। जबकि आंदोलन के बहाने हाशिए पर पड़े जाट नेताओ ने नए सिरे से दम मारना शुरू किया। जाट महापंचायतों के माध्यम से हरियाणा, यूपी और राजस्थान में जाट समुदाय की राजनीतिक ताकत दिखाने की होड़ शुरू हो गई। जबकि आंदोलन में गैर अप्रासंगिक होते दिखे। यह दौर भी करीब एक माह चला। आंदोलन के तीसरे चरण में बड़े पैमाने पर किसान महापंचायतों का आयोजन और आंदोलन को दिल्ली से बाहर के प्रदेशों में फैलाने की रणनीति पर काम शुरू हुआ। किसान एकता और सामाजिक नवाचार का संदेश देने के उद्देश्य से किसान महापंचायतो के पंडाल में शादी-ब्याह भी शुरू हो गए। इससे आंदोलन का आधार व्यापक हुआ। बहरहाल आंदोलन को चलते हुए अब चार माह हो चुके हैं,लेकिन आंदोलनकारियों के हाथ कुछ नहीं लगा है, सिवाय मोदी सरकार को किसानों के प्रति असंवेदनशील होने के लिए कोसने के। उधर पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद किसान आंदोलन सरकार की प्राथमिकता में बहुत नीचे चला गया है। दूसरी तरफ किसान आंदोलन के नेता भी इसे चुनाव वाले रायों तक ले गए हैं। उन्हें लगता है कि उनके आंदोलन कोमिल रहा समर्थन भाजपा की राजनीतिक ताकत और सत्ता हासिल करने की महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश साबित होगा। हालांकि जिन राज्यों मे चुनाव हो रहे हैं, उनमें कृषि कानून अहम मुद्दा हैं। आंदोलनकारी किसानों ने यह भारत बंद तीसरी बार बुलाया था।

किसान आंदोलन का चौथा चरण इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के महीने भर बाद आने वाले नतीजे परोक्ष रूप से किसान आंदोलन का भविष्य भी तय करेंगे। भाजपा ने पश्चिम बंगाल विजय के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। अगर बंगाल की जनता ने सचमुच परिवर्तन के पक्ष में वोट दिया तो दीदी युग की समाप्ति हो सकती है। हालांकि राजनीतिक पंडित अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि बंगाल में भगवा भाजपा का जिता सकता है। लेकिन ऐसा तो पहले असम और त्रिपुरा में लग रहा था। परंतु नतीजा कुछ और आया। अनुकूल नतीजे आने पर भाजपा यह साबित करने में जुट जाएगी कि कृषि कानून विरोध के पीछे चंद लोग ही हैं। आम किसान को इससे खास लेना देना नहीं है। यही बात वह नागरिकता संशोधन कानून लागू करने के बारे में भी कह सकती है। इसका अर्थ यही नहीं कि कृषि कानूनों को लेकर जायज शंकाएं खत्म हो जाएंगी।

गयी है। सरकार की जिद से भी स्थिति खराब हुई है। किसान एमएसपी और तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं।

देश के किसान आंदोलन को चार माह से अधिक का समय हो गया है। इन चार माह में सरकार और किसान संगठनों की कई दौर की वार्ताएं भी हो चुकी हैं लेकिन नतीजा आज तक नहीं निकला है। मौजूदा हालात को भी देखकर नहीं लगता है कि अभी कुछ हल

Scanned with CamScanner

आंदोलनों के अस्तित्व पर सवाल नहीं उठाना चाहिए

देश में किसान आंदोलन का मसला शांत भी नहीं हुआ था कि अब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद एक नई बहस शुरू हो गई। प्रधानमंत्री के बयान के बाद न सिर्फ कांग्रेस शासित राज्य बल्कि भाजपा शासित वो राज्य जो कहीं न कहीं किसान आंदोलन के पक्षकारी थे वो भी सखते में आ गए है। दरअसल दो दिन पहले राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए गए अपने भाषण में किसान आंदोलन को सहयोग करने वाले लोगों को परजीवी की उपाधि दे दी है। उन्होंने कहा था– हम लोग कुछ शब्दों से काफी परिचित हैं, जैसे श्रमजीवी, बुद्धिजीवी लेकिन पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूं कि देश में एक नई जमात पैदा हो गई है, एक नई बिरादरी पैदा हुई है और ये आंदोलनजीवी है। वे परजीवी हैं। हम बता दें कि परजीवी का मतलब होता है दूसरे जीवों पर आश्रित जीव। इस जमात को आप देखेंगे तो वह वकीलों के आंदोलन में भी नजर आएंगे, स्टूडेंट के आंदोलन में भी दिखेंगे, मजदूरों के आंदोलन में भी दिखाई देंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी यही तक नहीं रूके उन्होंने आगे कहा किआंदोलनजीवी लोग खुद आंदोलन नहीं चला सकते हैं, लेकिन किसी का आंदोलन चल रहा हो तो वहां पहुंच जाते हैं। ये आंदोलनजीवी ही परजीवी हैं, जो हर जगह मिलते हैं। यानि आंदोलन को सपोर्ट करने वाले लोगों को प्रधानमंत्री ने दूसरे लोगों पर आश्रित जीव की संज्ञा दी है। प्रधानमंत्री के इस वाक्य के बाद आंदोलन का समर्थन करने वाले लोगों की भूमिका संदेह के घेरे में आ गई है और किसान नेताओं सहित राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोगों में खासी नाराजगी है। तो क्या किसान अपने हक के लिए आवाज भी नहीं उठा सकते? हम सब जानते हैं कि गांधीजी ने लगभग 100 वर्ष पहले किसानों को अंग्रेजों के अत्याचार से बचाने के लिए चंपारण आंदोलन की हुंकार भरी थी। इतना ही नहीं अंग्रेजों द्वारा नमक पर लगाए गए कर के विरोध में नमक सत्याग्रह भी किया था। जिसमें लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इतना ही नहीं 1974 में जय प्रकाश नारायण ने भी छात्रों के हक में जेपी आंदोलन की हुंकार भर उन्हें उनका हक दिलवाया था। पूर्व प्रधानमंत्री स्व.

निकल सकता है। कारण स्पष्ट हैं कि देश का किसान सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी पर कानून बनाने पर अडिग है वहीं सरकार किसान संगठनों की एक भी शर्त मानने को तैयार नही है। यहीं कारण है कि भारत का अन्नदाता किसान सड़क पर है। इतिहास के सबसे बड़े और व्यापक किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार ने किसान संगठनों से 11 राउंड में 45 घंटे की बात कर चुकी है। परिणाम में कुछ नहीं निकला है। देश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी इस समय कृषि से जुड़ी हुई है। किसान अन्नदाता हैं। भारत के

यदि वाकई में मोदी सरकार किसानों की हितैषी और हमदर्द है तो आगे आकर पहल करनी होगी। आज अगर किसानों को सरकार की नियत और नीतियों पर भरोसा नही है तो आगे चलकर यह सरकार के लिए नुकसानदायक होगा।

भाग्यविधाता हैं। उनके अधिकार की हर हाल में रक्षा होनी चाहिए। किसान आंदोलन का स्वरूप जिस तेजी से बदल रहा है उससे इसके राजनीतिक इस्तेमाल की आशंका बढ़ गयी है। सरकार की जिद से भी स्थिति खराब हुई है। किसान एमएसपी और तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। क्या किसान आंदोलन की आग पर राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेंकना चाहते हैं? मोटे तौर पर उनकी सबसे बड़ी चिंता न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लेकर है। किसानों का कहना है वे मंडी में अनाज बेचे या बाहर, लेकिन हर हाल में उन्हें एमएसपी

Scanned with CamScanner

अटल बिहारी वाजपेई जी की पूरी राजनीति आंदोलनों पर टिकी हुई थी और वह जीवन भर जन कल्याण के हित में सरकारों के खिलाफ आंदोलन करते रहे। इसका मतलब यह तो नहीं कि वो सभी लोग परजीवी हैं। इस तरह के बयान देकर वह हमारे महापुरूषों के आदर्शों को, उनके आंदोलनों के सवाल खड़े कर रहे हैं। अपने हक के लिए तो आवाज उठाना और आंदोलन लोकतंत्र के मूल अधिकारों में शामिल है।

प्रधानमंत्री को एक बात समझना चाहिए थी कि विश्व के इतने बड़े लोकतंत्र के मुखिया को इस तरह की हल्की बात करना उचित नहीं लगता। जबकि प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी या दल के नहीं होते, बल्कि वो जनता के और जनता के द्वारा चुने गए व्यक्ति होते हैं, जिसे जनता ने वोट देकर चुना है। ऐसे में जनता के विरुद्ध जाकर इस तरह का बयान देना कहीं न कहीं लोकतंत्र को अपमानित करने जैसा है। यह देश का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। आंदोलन का सपोर्ट करने वाले लोगों को प्रधानमंत्री जी ने परजीवी की उपाधि दे दी और विपक्ष के नेता सिर्फ मूकदर्शक बने सुनते रह गए। देश का किसान आज भी कृषि कानून को के विरोध में दिल्ली की सड़कों पर डेरा डाले बैठा हुआ है और किसी को उनकी परवाह नहीं। ऐसे में अब यदि भाजपा हो या फिर देश में भाजपा शासित राज्य के लोग आंदोलन का समर्थन करें भी तो कैसे। लेकिन मौजूदा प्रधानमंत्री आंदोलन करने वालों को आंदोलनजीवी बताकर उनका भी अपमान कर दिया है। प्रधानमंत्री जी को एक बात समझना चाहिए कि देश को अंग्रेजों से स्वतंत्रता भी एक आंदोलन से ही मिली थी और हमें गर्व होना चाहिए उन सभी आंदोलनजीवी स्वतंत्रता सेनानियों पर जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर देश को आजाद करवाया। इतिहास गवाह है कि देश में जब-जब बड़े आंदोलन हुए हैं। समान विचारधारा वाले संगठन या व्यक्ति उन आंदोलनों में शामिल हो जाते हैं। मौजूदा किसान आंदोलन में भी यही हो रहा है। शायद नरेन्द्र मोदी को यही बात चुभ रही है कि इस आंदोलन को इतना समर्थन क्यों मिल रहा है। लेकिन मोदी जी को इस तरह से आंदोलनों के अस्तित्व पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। हम जानते हैं कि हमारा देश तो आंदोलनों की बुनियाद पर जीवित हुआ है।

की गारंटी मिलनी चाहिए। केन्द्र सरकार के नये कानून में एमएसपी का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया। किसानों का कहना है कि मंडी (कृषि उत्पाद बाजार समिति) व्यवस्था खत्म कर के एमएसपी को भी खत्म कर दिया गया है। अगर किसानों को अपनी उपज औने पौने दाम पर बेचनी पड़ी तो यह उनके साथ हकमारी होगी। सरकार का तर्क है कि एमएसपी को खत्म नहीं किया गया। एमएसपी का निर्धारण राज्यों का विषय और राज्य इसे अपने स्तर से लागू कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि जब केन्द्र ने एमएसपी खत्म नहीं किया है तो फिर इसका कानून में लिखित जिक्र क्यों नहीं कर रही ? इसमें आनाकानी क्यों कर रही है? सरकार कानून बनाए कि उनका कृषि उत्पाद न्यूनत समर्थन मूल्य पर ही खरीदा जाएगा। एमएसपी से कम मूल्य पर अनाज खरीदना अपराध होगा। किसानों की दूसरी चिंता कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर है। किसानों को डर है कि नये कानून से कॉरपोरेट कंपनियां उनके खेतों को गिरवी रख लेंगी। किसान अपनी मर्जी के मालिक नहीं रह पाएंगे। केन्द्र सरकार इन भ्रमों का

टिकरी बार्डर पर किसान नेताओं से चर्चा करती हुई विजया पाठक

Scanned with CamScanner

बारडोली सत्याग्रह की याद दिलाता मौजूदा किसान आंदोलन

इस समय दिल्ली की बार्डरों पर चल रहा किसान आंदोलन आजादी के पहले हुए बारडोली सत्याग्रह की याद दिलाता है। यह सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में हुआ था। यह सत्याग्रह भी एक प्रमुख किसान आंदोलन था, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। दरअसल 1928 में प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी थी। इसके बाद वल्लभ भाई पटेल ने इस लगान वृद्धि का जमकर विरोध किया था और वह सत्याग्रह इतिहास में दर्ज हो गया है। इस आंदोलन में भी वहीं जोश है, वहीं जज्बा है और वही उत्साह है। जो निश्चित ही किसी नतीजे पर खत्म होगा। क्योंकि मौजूदा किसान आंदोलन में विश्वास के साथ-साथ किसानों को कषि कानूनों से बनने वाली भविष्य की तस्वीर भी नजर आ रही है, जो एकदम धुंधली और डरावनी है। यहीं कारण है कि हजारों की संख्या में देश का अन्नदाता तमाम मुसीबतों के बीच खुले आसमान में बैठा हुआ है। राजधानी दिल्ली की बॉर्डरों पर देश का किसान बीते तीन महीने से धरने पर बैठा हुआ है। इस बीच केंद्र सरकार के कई नुमाइंदों के साथ किसान नेताओं की कई दौर की बैठकें भी हुई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। खास बात यह है कि 10 बार से अधिक बैठकों के बाद भले ही नतीजा कुछ न निकला हो, लेकिन किसानों का हौंसला और उत्साह जस का तस बना हुआ है। बैठकों की विफलताएं भी किसानों का हौंसला बिल्कुल नहीं डगमगा पाई। मैं खुद कल ही किसान आंदोलन से लौटी और मैंने वहां जो किसानों की एकता और अनुशासन का दृश्य देखा। वह अद्भुत है। सड़कों के किनारे ट्रेक्टर्स पर लगे तंबूओं के अंदर बैठे किसान और उनके परिवार के सदस्य एक परिवार के रूप में रह रहे हैं। न कोई छोटा, न कोई बड़ा, न कोई अमीर और न ही कोई गरीब, सब एक ही बात को निश्चय कर अपनी मांग पर अडिग हैं कि केंद्र सरकार तीनों किसान कानूनों को रद्द करे। दिल्ली की चारों सिंघु, टिकरी, गाजीपुर और शाहजहांपुर बॉर्डर पर डटे किसानों के हुजूम को देखकर मुझे आजादी का आंदोलनों की याद आती है। आजादी के बाद देश का यह सबसे बड़ा आंदोलन है, जिसमें इतनी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हैं और अपनी मांग को लेकर अडिग हैं।

आमतौर पर किसी राजनीतिक दल को अगर एक दिन का भी आंदोलन करना होता है तो इसके लिए महीनों की लंबी तैयारी होती है। भारी मात्रा में पैसा, वाहन और सरकारी ताकत का उपयोग किया जाता है। इसके बाद भी राजनीतिक दलों का आंदोलन प्रतीकात्मक ही बनकर रह जाता है। वह इस तरह का प्रभाव नहीं छोड़ पाता जिस तरह किसान आंदोलन ने प्रभाव डाला है। इस आंदोलन में सबने अपने-अपने अहम पीछे छोड़कर गजब की एकता दिखाई है। जब मैं यहां पहुंची तो देखा कि शायद ही कोई आंदोलन इस तरह की

निवारण क्यों नहीं कर रही? किसान आंदोलन की आग धधकी हुई है। कई राजनीतिक दल भी अपने फायदे के लिए इस आग को हवा दे रहे हैं। कुछ दलों को लगता है कि केन्द्र सरकार को उखाड़ फेंकने का ये अच्छा मौका है, इसलिए पूरी ताकत झोंक दो। अगर राज्य सरकार चाहें तो किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सकता है। सरकार ने इन कानूनों को स्थगित करने का

Scanned with CamScanner

सुव्यवस्था के साथ कभी हुआ होगा। सरकार की ओर से बिजली, पानी, नेट जैसी बुनियादी सुविधाओं न देने के बावजूद यह किसान अपने स्तर पर सभी व्यवस्थाएं स्वयं कर रहे हैं। बाजवूद इसके आंदोलन का स्वरूप शांत और व्यवस्थित है। किसी प्रकार का हो-हल्ला नहीं। बार्डरों पर बैठे किसान तन, मन, धन से लगे हैं। बस किसान अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम कह सकते हैं कि यह आंदोलन अनुशासित आंदोलन है। परेशानियों के बीच भी किसानों में वही जोश है। आंदोलन में बड़े, बूढ़े, जवान और महिलाएं शामिल हैं। आंदोलन में मेरी मुलाकात सुभाषिनी अली से भी हुई। वह एक ऐसी महिला हैं, जिसने मां की कोख से ही क्रांतिकारी विचारधारा को अपना लिया था। दलित, शोषित और गरीब महिलाओं के हक के लिए लड़ने वाली सुभाषिनी अली अब वह किसान आंदोलन में शामिल हो गई हैं। सुभाषिनी अली स्वर्गीय डॉ. लक्ष्मी सहगल की बेटी हैं। स्वर्गीय डॉ. लक्ष्मी सहगल सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में महिला विंग की कमांडर थी। इसके अलावा मेरी कई किसान नेताओं से चर्चा हुई। जिनमें बालवेन्द्र सिंह हैं, कबर सिंह हैं, लखबीर सिंह हैं। इन सबका एक ही कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। इसके लिए चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए। इनका कहना था कि अफवाहें फैलाई जा रही है कि यह प्रायोजित आंदोलन है लेकिन यह आरोप सरासर गलत हैं। बार्डरों पर जितने भी किसान आई हैं वह सभी अपनी मर्जी से आए हैं। शाहजहांपुर बार्डर पर मेरी मुलाकात किसान सुनील से हुई। इन्होंने बार्डर पर बहुत बड़ा लंगर लगाया है। जिसमें मेवाड़ से भारी मात्रा में दूध आ रहा है। इन्होंने बताया कि यह आंदोलन किसान कानून वापसी तक जारी रहेगा। किसान आंदोलन के प्रमुख चेहरा राकेश टिकैत चारों बार्डरों पर जाते हैं और किसानों के साथ बैठक करते हैं। वह बहुत उत्साह से भरे हुए हैं। उनका भी कहना है कि हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक सरकार तीनों कानूनों को वापिस नहीं करती।

खैर, अब किसानों के मैनेजमेंट की बात करें तो चारों बॉर्डर पर जो मैनेजमेंट का दृश्य देखने को मिला वो सच में काबिले तारीफ है। आंदोलन की शुरूआत में भोजन वालेंटियर हाथों से पकाते हैं। यहां रोटी बनाने की ढेरों मशीनें आ गई हैं। इन मशीनों की क्षमता हर घंटे कम से कम 6,000 रोटियां तैयार करने की है और ये दिनभर काम कर रही हैं। सैकड़ों वॉलंटियर्स पीठ पर मच्छर मारने की फॉगिंग मशीन लादे एनएच-44 पर 300 से 500 मीटर की दूरी पर मौजूद हैं। व्यक्तिगत साफ-सफाई को देखते हुए हाईवे पर अलग-अलग जगह वाशिंग मशीनें लगी हुई हैं, जहां कुछ ही घंटों में प्रदर्शनकारियों के कपड़े धोकर और प्रेस करके देने के लिए वॉलेंटियर लगे हुए। ट्यूब वाटर पंप का संचालन करने वाली मोबाइल सोलर वैन को मोबाइल फोन चार्ज करने और बैटरी बैंक के रूप में तब्दील कर दिया गया है और वे हाईवे पर जगह-जगह सुबह से शाम तक तैनात हैं। लंगरों, खाना पकाने के स्थानों और दूसरी जगहों पर रात में रोशनी करने के लिए बैटरियों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें ट्रैक्टरों से चार्ज किया जाता है। क्वालिटी पेपर पर छपी क्रांतिकारी भगत सिंह, लाल सिंह दिल, कवि सुरजीत पातर जैसे हस्तियों की तस्वीरें बांटी जा रही हैं। लोगों ने टी-शर्ट पर तस्वीरें छपवा रखी हैं। सूर्योदय होते ही 10वें गुरु गोबिंद सिंह की प्रिय-निहंग सेना के सैनिक ऊंचे घोड़ों पर सवार होकर एनएच- 44 पर गश्त करते हैं, तो युवाओं में प्रेरणा की लहर दौड़ जाती है और वे रजाई छोड़ बाहर आ जाते हैं। दोपहर में 3 बजे समूह पारंपरिक हथियारों के साथ सिखों के मार्शल आर्ट गतका का प्रदर्शन करता है। कुल मिलाकर किसान आंदोलन में किसानों ने मैनेजमेंट की एक बेहतर मिसाल भी पेश की है। मैंने देखा है कि तमाम बार्डरों पर आज भी किसानों की भीड़ है। टिकरी बार्डर पर 50 किमी तक दोनों तरफ ट्रेक्टर्स की लाइनें लगी हैं और किसान आंदोलन पर बैठ हैं। सिंघु बार्डर पर 40 किमी तक किसान बैठे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर इस आंदोलन में ऐसा क्या है कि सब अपने अहम को पीछे छोड़ एकजुट हो गए? किसी आंदोलन का नेतृत्व कर चुके किसी नेता के बिना यह आंदोलन इतनी सफलतापूर्वक कैसे चल रहा है? इसका प्रमुख कारण किसानों की एकता और अनुशासन है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भी किसानों की भावनाओं की कद्र करना चाहिए, जो अपनी रोजी रोटी की लड़ाई में मुसीबतें झेलने पर मजबूर हैं। यह बात भी सच है कि किसान पीछे हटने वाले नहीं है। उन्होंने मन बना लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह पीछे नहीं हटेंगे। हटना सरकार को ही पड़ेगा। भले सरकार के साथ बैठकों में कोई नतीजा नहीं निकला हो, लेकिन किसानों का उत्साह आज भी जस का तस है।

प्रस्ताव रखा और किसानों के साथ मिलकर कमेटी गठन करने का प्रस्ताव रखा। लेकिन सरकार ने किसान संगठनों की उन मांगों पर चर्चा तक नहीं की जिन पर किसान बात कर रहे थे। हालांकि राष्ट्रीय राजधानी में ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के एक दिन बाद, केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन से दो किसान संगठन अलग हो गए। भारतीय

Scanned with CamScanner

किसान यूनियन और ऑल इंडिया किसान संघर्ष ने अपने आप को आंदोलन से अलग कर लिया है। यह भी सच है कि अब तक किसानों की एकता, विभिन्न विचारधाराओं के समर्थन और शांतिपूर्ण आंदोलन को इस किसान आंदोलन की ताकत समझा गया था। लेकिन कुछ आसामाजिक तत्वों और घुसपैठियों द्वारा की गई 26 जनवरी की घटनाओं, विशेष रूप से लाल किला पर निशान साहिब (सिखों का परंपरागत केसरिया झंडा) और किसानों के हरे-पीले झंडे को फहराने से लोगों में आंदोलन के अस्तित्व को लेकर संदेह पैदा हो गया है। मोदी सरकार के लिए किसान आंदोलन अब तक की सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। पूरा विपक्ष भी किसानों के पक्ष में कूद पड़ा है। किसान इन मुद्दों पर आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं। किसान नेताओं का कहना है कि अब हमारा मोदी सरकार से भरोसा उठ गया है। मोदी सरकार पर विश्वास नहीं है। क्योंकि सरकार किसानों की बात ही नहीं सुनना

एमएसपी पर किसानों की मांग क्यों नहीं मान रही केंद्र सरकार?

तमाम दावों के बावजूद किसानों की आशंकाओं को दूर करने में सरकार अब तक असफल रही है। किसानों का कहना है कि वर्तमान मंडी और एमएसपी पर फसलों की सरकारी क्रय की व्यवस्था इन सुधारों के कारण किसी भी तरह से कमजोर ना पड़े। अभी मंडियों में फसलों की खरीद पर 8.5 प्रतिशत तक टैक्स लगाया जा रहा है परन्तु नई व्यवस्था में मंडियों के बाहर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे मंडियों से व्यापार बाहर जाने और कालांतर में मंडियां बंद होने की आशंका निराधार नहीं है। अतः निजी क्षेत्र द्वारा फसलों की खरीद हो या सरकारी मंडी के माध्यम से, दोनों ही व्यवस्थाओं में टैक्स के प्रावधानों में भी समानता होनी चाहिए। किसान निजी क्षेत्र द्वारा भी कम से कम एमएसपी पर फसलों की खरीद की वैधानिक गारंटी चाहते हैं। किसानों से एमएसपी से नीचे फसलों की खरीद कानूनी रूप से वर्जित हो। किसानों की मांग है कि विवाद निस्तारण में न्यायालय जाने की भी छूट मिले। सभी कृषि जिंसों के व्यापारियों का पंजीकरण अनिवार्य रूप से किया जाए। छोटे और सीमांत किसानों के अधिकारों और जमीन के मालिकाना हक का पुख्ता संरक्षण किया जाए। प्रदूषण कानून और बिजली संशोधन बिल में भी उचित प्रावधान जोड़कर किसानों के अधिकार सुरक्षित किए जाएं। एमएसपी पर सरकारी खरीद की व्यवस्था किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे देश में 23 फसलों की एमएसपी घोषित होती है। इसमें मुख्य रूप से खाद्यान्न- गेहूं, धान, मोटे अनाज, दालें, तिलहन, गन्ना व कपास जैसी कुछ नकदी फसलें शामिल हैं। दूध, फल, सब्जियों, मांस, अंडे आदि की एमएसपी घोषित नहीं होती। 2019-20 में एमएसपी पर खरीदी जाने वाली फसलों में से गेहूं और चावल (धान के रूप में) दोनों को जोड़कर लगभग 2.15 लाख करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी खरीद एमएसपी पर की गई। चावल के कुल 11.84 करोड़ टन उत्पादन में से 5.14 करोड़ टन यानी 43 प्रतिशत एमएसपी पर सरकारी खरीद हुई। इसी प्रकार गेहूं के 10.76 करोड़ टन उत्पादन में से 3.90 करोड़ टन यानी 36 प्रतिशत सरकारी खरीद हुई। गन्ने की फसल की भी लगभग 80 प्रतिशत खरीद सरकारी रेट पर हुई जिसका मूल्य लगभग 75,000 करोड़ रुपये था। इसी प्रकार कपास के कुल उत्पादन 3.55 करोड़ गांठों में से 1.05 करोड़ गांठों यानी लगभग 30 प्रतिशत की एमएसपी पर सरकारी खरीद हुई। दलहन और तिलहन की फसलों की भी एमएसपी पर कुछ मात्रा में सरकारी खरीद होती है।

एमएसपी निजी क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं हो सकता उन्हें गन्ने की अर्थव्यवस्था को समझना चाहिए। गन्ने का रेट सरकार घोषित करती है और उसी रेट पर निजी चीनी मिलें किसानों से गन्ना खरीदती हैं। इसी प्रकार मजदूरों का शोषण रोकने के लिए सरकार न्यूनतम मजदूरी दर घोषित करती है। सरकार अपने राजस्व की सुरक्षा हेतु जमीनों का न्यूनतम बिक्री मूल्य व सेक्टर रेट घोषित करती है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जहां जनहित या वर्गहित में सरकार सेवाओं या वस्तुओं का मूल्य निर्धारित या नियंत्रित करती है तो किसानों की आर्थिक सुरक्षा हेतु फसलों का न्यूनतम मूल्य निर्धारित क्यों नहीं किया जा सकता। हमारे देश में लगभग 30 करोड़ टन खाद्यान्न का वार्षिक उत्पादन हो रहा है जिसमें 75 प्रति. केवल गेहूं और चावल ही

Scanned with CamScanner

चाहती। यदि सरकार हमारी परेशानियों को समझती और महसूस करती तो आज यह नौबत ही नहीं आती और हमें खुले आसमान में रहना नहीं पड़ता। यह केवल कुछ किसानों की लड़ाई भर नहीं है बल्कि देश के करोड़ों किसान की आजीविका की लड़ाई है। किसानों की समस्याओं का जल्द कुछ हल नहीं निकाला गया तो यह आंदोलन सरकार के गले की फांस बन सकता है। किसानों की मूल आशंका यह है कि इन सुधारों के बहाने सरकार एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर फसलों की सरकारी खरीद और वर्तमान मंडी व्यवस्था से पल्ला झाड़कर कृषि बाजार का निजीकरण करना चाहती है। नए कानूनों के फलस्वरूप कृषि क्षेत्र पूंजीपतियों के हवाले हो जाएगा जो किसानों का जम कर शोषण करेंगे। सरकार का तर्क है कि इन कानूनों से कृषि उपज की बिक्री हेतु एक नई वैकल्पिक व्यवस्था तैयार होगी जो वर्तमान मंडी व एमएसपी व्यवस्था के साथ-साथ चलती रहेगी। इससे फसलों के भंडारण,

हैं। एमएसपी पर सरकारी खरीद भी मुख्यतः इन दो फसलों की ही होती है। किसान अपने परिवार के लिए खाद्यान्न रखने के बाद बाकी लगभग 20 करोड़ टन बाजार में बेच देता है। इसमें से लगभग 10 करोड़ टन सरकार खरीद लेती है, बाकी 10 करोड़ टन ही निजी व्यापारी खरीदते हैं। अब यदि यह मान लिया जाए कि निजी व्यापारी औसतन 5000 रुपये प्रति टन एमएसपी से नीचे मूल्य पर फसल खरीदते हैं तो एमएसपी बाध्यकारी होने पर उन्हें 50,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त चुकाने होंगे। इसी प्रकार एमएसपी वाली गैर-खाद्यात्र फसलों को भी जोड़ दें तो भी यह राशि किसी भी सूरत में एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं बैठती। यह राशि हमारी जीडीपी का केवल आधा प्रतिशत है। 30 लाख करोड़ रुपये की कृषि जीडीपी के सापेक्ष यह मात्र 3.33 प्रतिशत है। पिछले साल कंपनियों की आयकर दर घटाने के एक निर्णय से ही सरकार को लगभग डेढ़ लाख करोड़ रुपये का घाटा और कंपनियों को यह लाभ हुआ है। इस तथ्य के प्रकाश में सरकार के लिए एमएसपी बाध्यकारी बनाने का निर्णय शायद कुछ आसान हो। इससे सरकार को कोई घाटा नहीं होगा क्योंकि यह अतिरिक्त राशि सरकार को नहीं चुकानी है। कृषि जिंसों के व्यापार में लगे लाखों व्यापारियों और निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए भी यह बहुत बड़ी रकम नहीं है। वास्तव में यह राशि किसानों का हक है जिसे अब तक निजी व्यापारी हजम करते रहे हैं। सरकार को चाहिए कि वह एमएसपी को निजी क्षेत्र में भी बाध्यकारी बनाने की किसानों की इस मुख्य मांग को तत्काल मान ले जिससे आंदोलनकारी किसान अपने घर लौट जाएं। देश के 86 फीसदी छोटे और सीमांत किसानों की स्थिति ऐसी नहीं है कि वे अपनी फसल को कही बाहर जाकर बेच सकें। इस नाते रणनीतियां उनको केंद्र में रख कर बनानी थी लेकिन सरकार उस दिशा में कोई ठोस काम नहीं कर सकी। इसी नाते यह किसान आंदोलन पसर रहा है और आने वाले समय में इसका दायरा कहां से कहां तक पहुंच जाएगा कुछ कह नहीं सकते। वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कैसे होगी, यह एक बड़ा प्रश्न है।

Scanned with CamScanner

विपणन, प्रसंस्करण, निर्यात आदि क्षेत्रों में निवेश बढ़ेगा और साथ ही किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी।

गौरतलब है कि किसान कृषि क्षेत्र में लाए गए तीन कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर 26 नवंबर 2020 से डटे हैं। हांड़ कंपाती ठंड और बारिश के बावजूद उनके उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। कई दौर की वार्ता के बाद भी अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। 8 दिसंबर 2020 को सैंकड़ों किसान संगठनों ने भारत बंद भी कराया। इस बीच कई दौर की वार्ताएं भी हुईं। किसान आंदोलन को लेकर फिलहाल चाहे किसान हो या केन्द्र सरकार, दोनों पक्ष अपने-अपने पक्ष को लेकर खड़े हैं। इसलिए बड़ा दिल सरकार को दिखाने की जरूरत है। क्योंकि कुछ भी करने के लिए सरकार के पास बहुत कुछ है। ऐसे कई पहलू है जिन पर फैसले लेकर किसानों को समझा सकती है या कहे तो आशंकाओं को दूर कर सकती है। यदि वाकई में मोदी सरकार किसानों की हितैषी और हमदर्द है तो आगे आकर पहल करनी होगी। आज अगर किसानों को सरकार की नियत और नीतियों पर भरोसा नही है तो आगे चलकर यह सरकार के लिए नुकसानदायक होगा। जिन शासकीय योजनाओं की दोहाई दी जाती है उनकी हकीकत पर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। शायद किसानों के विरोध का यह भी एक कारण है। पहले सरकार को ऐसी कमजोरियों को दुरूस्त करने की जरूरत है। ऐसे तमाम पहलू हैं, जिन पर काम कर किसानों को भरोसे में लिया जा सकता है। यह भी सच है कि आज जो चिंगारी लगी है वह किसी लावे में तब्दील न हो पाए। समय रहते साधने की जरूरत है।

जहां तक देश अन्य राज्यों की बात की जाए तो मध्यप्रदेश के मंदसौर में 2017 में हुए किसान आंदोलन को लोग अभी भूले नहीं होंगे, जहां पुलिस की गोली से 7 किसानों की मौत हो गई थी। 15 साल बाद मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सत्ता में वापसी के लिए काफी हद तक राज्य के किसानों की

क्या है एमएसपी का लेखा जोखा

हम जानते हैं कि देश में 23 फसलों की एमएसपी घोषित होती है। इसमें मुख्य रूप से खाद्यान्न- गेंहू, धान, मोटे अनाज, दालें, तिलहन, गन्ना व कपास जैसे कुछ नकदी फसलें शामिल हैं। दूध, फल, सब्जियों, मांस, अंडे आदि की एमएसपी घोषित नहीं होती। 2019-20 में एमएसपी पर खरीदी जाने वाली फसलों में से गेंहू और चालव (धान के रूप में) दोनों को जोड़कर लगभग 2.15 लाख करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी खरीद एमएसपी पर की गई। चावल के कुल 11.84 करोड़ टन उत्पादन में से 5.14 करोड़ टन यानी 43 प्रतिशत एमएसपी पर सरकारी खरीद हुई। इसी प्रकार गेंहू के 10.76 करोड़ टन उत्पादन में से 3.90 करोड़ टन यानी 36 प्रतिशत सरकारी खरीद हुई। दलहन और तिलहन की फसलों की भी एमएसपी पर कुछ मात्रा में सरकारी खरीद होती है। देश में लगभग 30 करोड़ टन खाद्यान्न का वार्षिक उत्पादन हो रहा है। जिसमें 75 प्रतिशत केवल गेंहू और चावल ही हैं। एमएसपी पर सरकारी खरीद भी मुख्यतरू इन दो फसलों की ही होती है। किसान अपने परिवार के लिए खाद्यन्न रखने के बाद बाकी लगभग 20 करोड़ टन बाजार में बेच देता है। इसमें से लगभग 10 करोड़ टन सरकार खरीद लेती है, बाकी 10 करोड़ टन ही निजी व्यापारी खरीदते हैं। अब यदि यह मान लिया जाए कि निजी व्यापारी औसतन 5000 रुपये प्रति टन एमएसपी से नीचे मूल्य पर फसल खरीदते हैं तो एमएसपी बाध्यकारी होने पर उन्हें 50 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त चुकाने होंगे। इसी प्रकार एमएसपी वाली गैर-खाद्यान्न फसलों को भी जोड़ दें तो भी यह राशि किसी भी सूरत में एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं बैठती। यह राशि हमारी जीडीपी का केवल आधा प्रतिशत है। 30 लाख करोड़ रुपये की कृषि जीडीपी के सापेक्ष यह मात्र 3.33 प्रतिशत है।

Scanned with CamScanner

भूमिका को ही अहम माना जाता है। इसी तरह कर्ज माफी और फसलों के डेढ़ गुना ज्यादा समर्थन मूल्य की मांग को लेकर तमिलनाडु के किसानों ने 2017 एवं 2018 में राजधानी दिल्ली में अर्धनग्न होकर एवं हाथों में मानव खोपड़ियां और हड्डियां लेकर प्रदर्शन किया था। ताजा आंदोलन की बात करें तो आंदोलन की चिंगारी से अब पूरा देश धधक रहा है। हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश, बिहार समेत देश के अन्य हिस्सों में भी किसान सड़कों पर उतर आए हैं। दिल्ली को तो मानो चारों ओर से आंदोलनकारी किसानों ने घेर लिया है। अंग्रेजों के राज में भी समय-समय पर किसानों आंदोलन हुए और उन्होंने न सिर्फ स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि अंग्रेज सत्ता की चूलें भी हिलाकर रख दी थीं। हालांकि स्वतंत्रता से पहले किसान आंदोलनों पर गांधी जी का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता था, यही कारण था वे पूरी तरह अहिंसक होते थे। सन 1857 के असफल विद्रोह के बाद विरोध का मोर्चा किसानों ने ही संभाला, क्योंकि अंग्रेजों और देशी रियासतों के सबसे बड़े आंदोलन उनके शोषण से ही उपजे थे। हकीकत में देखें

राजधानी दिल्ली की विभिन्न बार्डरों पर कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलनों के संगठनकर्ताओं के साथ जगत विजन पत्रिका की संपादक विजया पाठक

तो जितने भी किसान आंदोलन हुए, उनमें अधिकांश आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ थे।

गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली की बार्डर पर पिछले चार माह से अधिक समय से किसानों का आंदोलन चल रहा है। यह आंदोलन मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के विरोध में चल रहा है। हर दिन आंदोलन का विस्तार होता जा रहा है। सरकार और किसानों के बीच समझौता को लेकर कई दौर की वार्ताएं भी हो चुकी हैं,

क्या हैं कृषि कानून?

पहले कानून में किसानों को अधिसूचित मंडियों के अलावा भी अपनी उपज को कहीं भी बेचने की छूट प्रदान की गई है। सरकार का दावा है कि इससे किसान मंडियों में होने वाले शोषण से बचेंगे, किसान की फसल के ज्यादा खरीददार होंगे और किसानों को फसलों की अच्छी कीमत मिलेगी। दूसरा कानून अनुबंध कृषि से संबंधित है जो बुवाई से पहले ही किसान को अपनी फसल तय मानकों और कीमत के अनुसार बेचने का अनुबंध करने की सुविधा देता है। तीसरा कानून आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन से संबंधित है जिससे अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दलहन, आलू और प्याज सहित सभी कृषि खाद्य पदार्थ अब नियंत्रण से मुक्त होंगे। इन वस्तुओं पर कुछ विशेष परिस्थितियों के अलावा स्टॉक की सीमा भी अब नहीं लगेगी।

Scanned with CamScanner

किसानों को लेकर बनाई कमेटियां

राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में नयी कृषि मूल्य नीति मूल्य नीति बनी। बाद में 1990 में वीपी सिंह सरकार ने सीएच हनुमंतप्पा कमेटी बनायी। यूपीए सरकार ने स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग बनाया लेकिन अहम सिफारिशें जिस भाव से की गयी थीं वे जमीन पर उस रूप में नहीं उतरीं। कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार रबी और खरीफ की जिन दो दर्जन फसलों की एमएसपी घोषित करती है, उनके बारे में सरकारी दावा यह है कि इसके तहत कवर की गयी फसलों का योगदान करीब साठ फीसदी है। शेष 40 फीसदी फसलों में दूसरे जिंस और बागवानी उत्पादन हैं, उनको कोई पूछने वाला नही है। जब एमएसपी की फसलें बदहाल हैं तो जो इसके दायरे से बाहर हैं उनकी दशा समझी जा सकती है। सिंचित और असिंचित इलाकों के किसानो के संकट अलग अलग हैं। आज भी हमारा करीब साठ फीसदी इलाका मानसून पर निर्भर है। लेकिन यह कुल खाद्य उत्पादन में 40 फीसदी योगदान दे रहा है। इसी इलाके में 88 फीसदी मोटा अनाज, 87 फीसदी दलहन, 48 फीसदी चावल और 28 फीसदी कपास पैदा हो रहा है। लेकिन एमएसपी पर सबसे कम खरीद इसी इलाके के किसानों से हो रही है और असली सब्सिडी भी सिंचित इलाकों को ही मिल रही है। तभी गैर सिंचित इलाकों में किसानों की आत्महत्याएं रुक नहीं पायी हैं न वे घाटे की खेती से उबर पा रहे हैं। सत्ता पक्ष की ओर से इन विधेयकों को लेकर काफी व्यापक प्रचार अभियान चलाया गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ही नहीं, सारे भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और सांसदों विधायकों को इसके पक्ष में बोलने को कहा गया। लेकिन ये किसानों को समझा नहीं सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार इस बात को दोहराया। सरकार ने एक देश एक बाजार के नाम पर भी जोरदार अभियान चलाया। लेकिन एक देश एक बाजार बनना क्या इतना सरल काम है। फलों, कई दिनों तक टिकने वाली सब्जियों और अन्न को छोड़ दें तो अधिकतर जल्दी खराब होने वाले उत्पादों की खपत स्थानीय बाजारों और आसपास के जिलों तक सीमित है। देश के 86 फीसदी छोटे और सीमांत किसानों की स्थिति ऐसी नहीं है कि वे अपनी फसल को कही बाहर जाकर बेच सकें। इस नाते रणनीतियां उनको केंद्र में रख कर बनानी थी लेकिन सरकार उस दिशा में कोई ठोस काम नहीं कर सकी। इसी नाते यह आंदोलन पसर रहा है और आने वाले समय में इसका दायरा कहां से कहां तक पहुंच जाएगा कुछ कह नहीं सकते।

लेकिन नतीजा अभी भी नही निकल पा रहा है। सरकार तमाम कोशिशें कर किसानों को मनाने और समझाने में असफल है। वहीं किसान संगठन भी कृषि कानूनों को रद्द कराने पर अड़े हुए हैं। जबकि सरकार कानूनों को रद्द करने के पक्ष में नही है। नतीजतन कहा जा सकता है कि अब यह आंदोलन जिद, जुनून और जज्बे के रूप में परिवर्तित हो चुका है। क्योंकि न सरकार और न ही किसान संगठन पीछे हटने को तैयार है। मौजूदा हालातों को देखते हुए नही लग रहा है कि यह आंदोलन अभी कोई नतीजे पर पहुँचने वाला है। एक तरफ जहां किसान संगठन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानून बनाने पर अड़े हुए हैं वहीं दूसरी ओर सरकार एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने को तैयार है। लेकिन किसान संगठन सरकार की इन शर्तों को न सुनने को तैयार हैं और नही झुकने को तैयार हैं। यही कारण है कि किसानों का आंदोलन व्यापक रूप धारण कर चुका है। किसानों के हौंसले और हिम्मत को देखकर तो यही लग रहा है कि वह अपनी मांगों से हटने वाले नही हैं। ताजा हालातों को देखकर नही लगता कि कोई बात बन सकती है। यहां एक बात का जिक्र करना जरूरी है। अभी तक के इतिहास में किसानों ने इतना लम्बा और व्यापक आंदोलन नही किया है। अपनी रोजी-रोटी की इस लड़ाई में वह पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। यह बात सरकार को समझनी चाहिए, किसान देश की धड़कन हैं। देश की 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। आज यह आबादी अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है।

सरकार को यह भी नही भूलना चाहिए कि आज यह आंदोलन सिर्फ बार्डर तक सीमित है, भविष्य में कुछ नतीजा नही निकला तो आंदोलन बहुत भयानक भी हो सकता है। तब सरकार इसे संभाल नही पायेगी।

Scanned with CamScanner

सरकारों द्वारा किसानों को दी जाने वाली खोखली रियायतें

हाल के सालों में किसानों को एक बड़ी राहत यूपीए शासन के दौरान 2008-09 में मिली 72,000 करोड़ रुपए की कर्जमाफी थी। इस समय कृषि जोतों के हिसाब से 14 करोड़ 65 लाख किसानों में से करीब 11 करोड़ किसानों को सालाना छह हजार रुपए किसान सम्मान निधि मिल रही है। लेकिन खाद बीज और कीटनाशक दवाओं और ट्रैक्टर पर जीएसटी और पेट्रोल और डीजल के दामों के बढ़ने ने किसानों की लागत बढ़ा दी है। बीते छह सालों में अगर गौर करें तो दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में किसानों के 40 हजार करोड़ के कर्ज माफ हुए और तेलंगाना में भी करीब 20 हजार करोड़ की कर्ज माफी हुई और कर्नाटक सरकार ने भी ऐसा किया। उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ महाराष्ट्र ने भी इस दिशा में कदम आगे बढ़ाया। लेकिन बात महज एक बार की कर्जमाफी से संभलने वाली नही है। आज खेती बाड़ी के कई संकट है। केवल कृषि पर आधारित परिवार गांव में संकट में हैं क्योंकि उन पर कई तरह के दबाव हैं। गांवों में प्रति व्यक्ति भूमि स्वामित्व में लगातार कमी आती जा रही है। छोटे-छोटे खेतों की उत्पादकता कम है और घाटे की खेती करना लाखों छोटे किसानों की नियति बन गयी है। किसान सम्मान निधि के बाद भी वे समय पर बीज खाद आदि हासिल करने की स्थिति में नहीं होते। खेती की लागत लगातार बढ़ रही है और पंजाब जैसे राज्य में उपज स्थिर हो गयी है। भारत सरकार ने जो कृषि मूल्य नीति 1985-86 बनायी थी, उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद को संवैधानिक जिम्मेदारी माना गया। लेकिन बात सीमित दायरे में गेहूं और धान से आगे नाममात्र की बढ़ सकी है। एमएसपी से किसानों को कुछ गारंटी मिली लेकिन जो फसलें इसके दायरे में नहीं वे सबसे अधिक अनिश्चितता की शिकार है। देश के उन 86 फीसदी किसानों के सामने सबसे अधिक संकट है जिनकी पहुंच मंडियों तक है ही नहीं, न ही एमएसपी तक। लेकिन इस तस्वीर के बावजूद कम औसत उत्पादकता के बाद भी चीन के बाद भारत सबसे बड़ा फल और सब्जी उत्पादक बन गया है। चीन और अमेरिका के बाद यह सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक देश हो गया है। लेकिन किसान संगठनों की लंबे समय से चली आ रही इस मांग की सभी दलों ने अनसुनी की कि 1969 को आधार वर्ष मानते हुए फसलों का दाम तय हो।

70 सालों से किसान लुटता-पिटता आ रहा है। आज उसका सब्र टूटा है। इन 7 दशक में देश में बहुत कुछ बदला, देश का विकास हुआ, उद्योगों का विकास हुआ, कुछ नही बदला तो वह है किसानों का जीवन स्तर। वह आज भी सरकार की उपेक्षाओं और तिरस्कार का शिकार होता जा रहा है। इन सबके बीच जब सरकार किसानों का अस्तित्व ही खत्म करने वाले कानून बनाएगी तो निश्चित ही किसान लड़ाई लड़ेगा ही। आज सरकार को चाहिए वह किसानों की दुर्दशा और स्थिति को भांपते हुए कोई ऐसा रास्ता निकाले, जो वाकई में किसानों के हक में हो। किसानों के इस आंदोलन में किसी भी प्रकार का राजनीतिकरण लगाने के आरोप सरासर गलत है। किसान किसी भी पार्टी का नहीं वह देश का अन्नदाता है। उसकी तकलीफ सभी की तकलीफ है। सरकार को

मिट्टी सत्याग्रह

देश के कई राज्यों में मिट्टी सत्याग्रह के विकेन्द्रित कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इतिहास में देश की आज़ादी के लिए अपने पुरखों की शहादत और अब इस देश की मिट्टी को बचाने की लड़ाई लड़ रहे किसानों की शहादत को सम्मान देने के लिए 5-6 अप्रैल को दिल्ली की चारों सीमाओं शाहजहाँपुर, टिकरी, गाजीपुर और सिंघु बॉर्डर पर शहीद स्मारक की स्थापना करने जा रहे हैं। कृषि कानूनों और निजीकरण के कानूनों के मार्फत जमीन को छीनने का जो प्रयास मौजूदा सरकार कर रही है, उसका पुरजोर विरोध कर इतिहास में लड़ी आज़ादी के आंदोलन की लड़ाई को दोहराने को किसान तैयार है।

Scanned with CamScanner

ना झुकेंगे, ना हटेंगे

किसानों को सरकार की कथनी और करनी में भरोसा नहीं

अपनी जिद और हठधर्मिता से पीछे हटकर बीच का रास्ता निकालने की ठोस पहल करनी चाहिए। मोदी सरकार आज ऐसी स्थिति में है जो जब चाहे किसानों के हित के फैसले ले सकती है। सरकार को यह भी नही भूलना चाहिए कि आज यह आंदोलन सिर्फ बार्डर तक सीमित है, भविष्य में कुछ नतीजा नही निकला तो आंदोलन बहुत भयानक भी हो सकता है। तब सरकार इसे संभाल नही पायेगी।

सच बात ये है कि किसानों को आशंका है कि इन कृषि सुधारों के बहाने सरकार एमएसपी पर फसलों की सरकारी खरीदी और वर्तमान मण्डी व्यवस्था से पल्ला झाड़कर कृषि बाजार का निजीकरण करना चाहती है। सरकार का कहना है कि इन तीन सुधारवादी कानून से कृषि उपज की ब्रिकी के लिए एक नई वैकल्पिक व्यवस्था तैयार होगी, जो वर्तमान मण्डी व एमएसपी व्यवस्था के साथ-साथ चलती रहेगी। इससे फसलों के भंडारण विपणन, प्रसंस्करण, निर्यात आदि क्षेत्रों में निवेश बढ़ेगा और साथ ही किसानों की आमदनी बढ़ेगी। तमाम दावों और वादों के बावजूद किसानों की आशंकाओं को दूर करने में सरकार अब तक असफल है।

आंदोलन को देखकर लगता है कि साल 1988 और 1989 के दौरान दिल्ली, मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में चले विशाल किसान आंदोलन ने जिस तरह केंद्र की राजीव गांधी सरकार को हिला दिया था, करीब वैसी ही स्थिति किसानों ने मोदी सरकार की बना दी

Scanned with CamScanner

बीजेपी पर भारी.. ममता की राष्ट्रभक्ति और किसानों का आक्रोश?

जैसे-जैसे पश्चिम बंगाल विधानसभा सीटों के चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे-वैसे बंगाल की सियासी समीकरणों में उथल-पुथल दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां लंबे समय से बंगाल की सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस की अंतिम पारी बताई जा रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता बंगाल में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के दावे पेश कर रहे हैं। खैर, यह तो आने वाला समय बताएगा कि आखिर बंगाल के सियासी घमासान में कौन विजेता बनता है और कौन पराजित होता है। पिछले दिनों बंगाल में ममता बैनर्जी के साथ जिस तरह की घटना हुई, उसने कहीं न कहीं लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। अब लोग यह भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की राह बंगाल में आसान नहीं है। भाजपा को जहां स्थानीय लोगों के सामने खुद को साबित करना होगा। वहीं, पिछले तीन महीने से भी अधिक समय से धरने पर बैठे किसानों का बंगाल की तरफ रूख करना भाजपा के लिए महंगा साबित हो सकता है। धरने पर बैठे यह किसान बंगाल में ममता बैनर्जी और उनकी पार्टी की तरफ सहयोग कर रहे हैं। ऐसे में यदि मोदी सरकार ने किसान आंदोलन को गंभीरता से लेते हुए इसका निदान नहीं किया तो किसानों का यह हुजूम बंगाल के अलावा आने वाले समय में अन्य रायों में होने वाले चुनाव की तरफ भी रूख कर सकता है। किसानों का कहना है कि उन्हें जनता की सरकार चाहिए न कि अंबानी और अडानी की। कुल मिलाकर अब शाह, नड्डा और विजयवर्गीय बिग्रेड को अपनी योजना में कुछ बड़े परिवर्तन करना चाहिए क्योंकि यदि भाजपा इन्हीं योजनाओं के साथ बंगाल चुनाव की तरफ आगे बढ़ी तो राह बहुत यादा चुनौतिपूर्ण होगी। इसी बीच बीजेपी की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्तमंत्री और विदेश मंत्री रह चुके यशवंत सिन्हा का तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लेना और भी चिंता बढ़ाता है। सिन्हा के इस कदम से तृणमूल कांग्रेस को मजबूती मिली है और भाजपा की चुनौती और बढ़ गई। सिन्हा ने कंधार अपरहण कांड पर ममता बैनर्जी की राष्ट्रभक्ति को दिखाता एक सनसनीखेज खुलासा किया। उन्होंने कहा कि कंधार घटना के दौरान जब आतंकवादियों ने विमान अपहरण कर लिया था, तो कैबिनेट में ममता ने कहा कि उन्हें बंधक बनाकर आंतकियों के पास भेज दिया जाए, लेकिन शर्त यह होगी कि बाकी यात्रियों को छोड़ दिया। सिन्हा के इस बयान के बाद एक बार फिर ममता बैनर्जी की राष्ट्रभक्ति को जाग्रत करती तस्वीर जनता के सामने आई है। निश्चित ही राष्ट्रभक्त ममता के इस स्वरूप का फायदा विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें मिल सकता है।

अन्नदाता की आजीविका पर सरकार का प्रहार?

है। फर्क केवल इतना है कि इस आंदोलन में महेंद्र सिंह टिकैत जैसा बड़ा चेहरा नहीं है, लेकिन कई चेहरे और सामूहिक ताकत इस आंदोलन को बिल्कुल नया आयाम दे रही है। इसका केंद्र आम किसान हैं। इनके मुद्दे, संगठन की ही देन है कि देश के हर हिस्से से किसान संगठन या तो दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं या फिर इस आंदोलन के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। पहली बार मोदी सरकार किसान आंदोलन को लेकर बेचैन नजर आ रही है। इस आंदोलन के खिलाफ सत्ता समर्थकों की ओर से आरंभ में जैसे अनर्गल आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे और दुष्प्रचार किया जा रहा था, उसे अब बंद कर दिया गया है। केंद्रीय गृहमंत्री से लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सार्वजनिक तौर पर मान रहे हैं कि यह किसानों का आंदोलन है। उनको मनाने के लिए सरकार संवाद के रास्ते पर उतरी है और वार्ताओं का दौर जारी है, लेकिन इसके पहले जो आंदोलन चले उनकी बातों को अनसुना किया गया। 1988-89 का दौर भी हमने देखा था। दोनों की पृष्ठभूमि करीब एक सी ही थी। उस दौर में सरकार की किसानों के प्रति उदासीनता और दंभ को किसानों ने चकनाचूर कर दिया था। तब भारत की किसान राजनीति में किसान उभरे थे। 27 जनवरी 1988 को मेरठ कमिश्नरी का किसानों ने उनके नेतृत्व में जिस तरह घेराव हुआ वह 25 दिनों तक चला। 02 अक्टूबर 1989 के दौरान बोट क्लब पर किसानों की विशाल रैली में देश के सभी हिस्सों के किसान शामिल हुए। किसान जागरण के उस अनूठे दौर में कई अहम सवालों पर भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और कई राज्यों को गौर करना पड़ा और किसानों की मांगें माननी पड़ी थीं। यह आंदोलन राजीव सरकार की विदाई की भूमिका भी तय कर दिया। इस बार आंदोलन की शुरुआत पंजाब और हरियाणा के किसानों ने की। इन दोनों प्रांत के किसान अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर और संपन्न माने जाते हैं। ताजा कृषि कानूनों का असर सबसे अधिक उन पर ही पड़ना था। इस नाते उनकी तरफ से पहले अध्यादेश और फिर विधेयकों का विरोध आरंभ हुआ। लेकिन उस समय सरकार को इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह अखिल भारतीय स्वरूप में आ जाएगा। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने तीन कृषि कानूनों की वापसी को लेकर जो एकता और आपसी समझदारी दिखायी है, उससे इसका दायरा विस्तृत होता जा रहा है।

Scanned with CamScanner

भूपेश बघेल की तानाशाही के शिकार हो रहे पत्रकार

छत्तीसगढ़ में पत्रकारों पर हो रही कार्रवाहियों के बाद दहशत में है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ

Scanned with CamScanner

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दिनों पूरी तरह हिटलर के स्वरूप में आ गए हैं। अभिव्यक्ति की आजादी पर तमाम बंदिशें लगाकर लगातार मीडिया पर प्रहार कर रहे हैं। सच्चाई प्रकाशित करने वाले या प्रसारित करने वाले पत्रकारों को कानूनी रूप से परेशान किया जा रहा है। झूठे केस दायर कर पत्रकारों को गिरफ्तार कर जेल में डाला जा रहा है। ताजा मामला आजतक न्यूज चैनल और दूरदर्शन चैनल के पूर्व संवाददाता सुनील नामदेव व उनके साथियों को एक्सटॉर्शन के मामले में गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार का यह रवैया बिल्कुल ठीक नहीं कि पत्रकारों के ऊपर इस तरह से गलत आरोप लगाकर उन्हें हिरासत में ले लिया जाए। जरा सोचिए जब यह निर्दयी सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ इस तरह से पेश आ रही है तो जनता की क्या मजाल कि वो इस सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठाए। लोकतंत्र में राज व्यवस्था, न्याय व्यवस्था के बाद मीडिया ही बचा है जिसको कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से नहीं चला सकता। लेकिन भूपेश बघेल मीडिया को भी अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पत्रकार उनके काली करतूतों को बिल्कुल न दिखाए और न ही छापे। बल्कि उनकी साफ और स्वच्छ छवि रोज अखबारों और चैनलों में प्रसारित करें। लेकिन यह कौन सा तरीका है जनाब? आप पत्रकारों को अपने हिसाब से चलाकर क्या साबित करना चाहते हैं? आज यदि आप एक सुनील नामदेव को गलत आरोप में अंदर करेंगे तो कल को न जाने कितने सुनील नामदेव पत्रकार बनकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। किस-किस को रोक सकेंगे आप? कितनों को जेल में रखेंगे आप? यह पहला वाक्या नहीं है जब बघेल सरकार ने पत्रकारों के साथ ऐसा व्यवहार किया हो। इससे पहले भी कमल शुक्ला सहित न जाने कितने पत्रकार बघेल की इस निर्दयिता का शिकार हुए हैं। यहां तक कि भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के अंदर किए गए भ्रष्टाचार को जनता तक पहुंचाने पर मेरे खिलाफ भी केस दायर किया है। बघेल की इस भ्रष्टाचारी और तानाशाही सरकार में पत्रकारों की आवाज को दबाया जाता है, कुचला जाता है। मीडिया की आजादी को दबाकर तानाशाही रवैया अपनाया जाता है। जिस सराकर को भू-माफियाओं से प्रदेश को बचाना चाहिए वो सरकार इन्हीं माफियाओं की हितैषी बनी हुई है और मीडिया की आवाज को दबाना चाहती है। लगातार पत्रकारों पर होते एक के बाद एक हमलों के बाद पत्रकारों में दहशत का माहौल है। अगर छत्तीसगढ़ में पत्रकारों के विरुद्ध इसी तरह षडयंत्रपूर्वक अपराध दर्ज होते रहे तो कोई पत्रकार पत्रकारिता भी कर नहीं पायेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ लिख नहीं पायेगा। पत्रकारों पर हुई कार्यवाहियों को लेकर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी छत्तीसगढ़ के पत्रकार कमल शुक्ला के मामले को लेकर भूपेश बघेल को कटघरे में खड़ा किया था और हिदायत दी थी कि भविष्य में पत्रकारों के साथ अनैतिक कार्यवाहियां न की जाये। निश्चित तौर पर यह भी सच है कि यदि पत्रकारों को लेकर भूपेश बघेल का यही रवैया रहा तो आने वाले चुनावों में कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

अभिव्यक्ति की आजादी पर बघेल की नकेल

विजया पाठक

छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार इन दिनों प्रदेश की जनता की सुरक्षा को छोड़ पत्रकारों के पीछे हाथ धोकर पीछे पड़ी हुई है। मुख्यमंत्री बघेल इन दिनों पूरी तरह हिटलर के स्वरूप में आ खड़े हुए हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया को भी अब यह सरकार अपने इशारों पर चलाना चाहती है। लेकिन बघेल यह भूल गए हैं कि यह कलम के सिपाही हैं, जो न किसी के आगे झुकेंगे और न किसी से डरेंगे। बघेल के इशारों पर ही पिछले दिनों छत्तीसगढ़ पुलिस ने आजतक के पूर्व संवाददाता व वरिष्ठ पत्रकार सुनील नामदेव व उनके साथियों को एक्सटॉर्शन के मामले में गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ पुलिस का यह रवैया बिल्कुल ठीक नहीं कि पत्रकारों के ऊपर इस तरह से गलत आरोप लगाकर उन्हें हिरासत में ले लिया जाए। जरा सोचिए जब यह निर्दयी सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ इस तरह से पेश आ रही है तो जनता की क्या मजाल कि वो इस सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठाए। लोकतंत्र में राज व्यवस्था, न्याय व्यवस्था के बाद मीडिया ही बचा है जिसको कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से नहीं चला सकता। लेकिन भूपेश बघेल मीडिया को भी अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पत्रकार उनके काली करतूतों को बिल्कुल न दिखाए और न ही छापें। बल्कि उनकी साफ और स्वच्छ छवि रोज अखबारों और चैनलों में प्रसारित करें। लेकिन यह कौनसा तरीका है। आप पत्रकारों को अपने हिसाब से चलाकर क्या साबित करना चाहते हैं? आज यदि आप एक सुनील नामदेव को गलत आरोप में अंदर करेंगे तो कल को न जाने कितने सुनील नामदेव पत्रकार बनकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। किस-किस को रोक सकेंगे आप? कितनों को जेल में रखेंगे आप? यह पहला वाक्या

Scanned with CamScanner

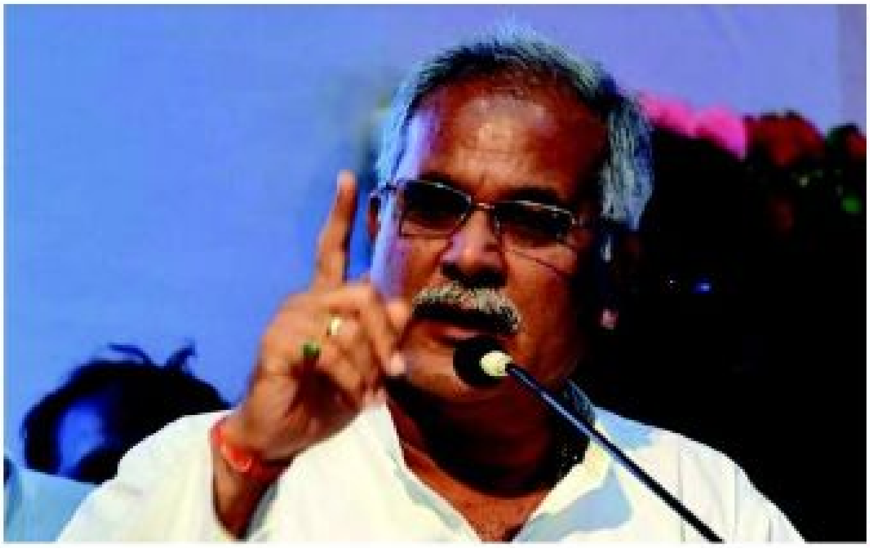

छत्तीसगढ़ में पत्रकारों पर हो रहे हमले हमें अंग्रेजी हुकूमत की याद दिला रहे हैं। उस समय भी अंग्रेजी तानाशाह मीडिया पर पाबंदी लगाते थे। सीएम भूपेश बघेल भी आजकल कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। अभिव्यक्ति की आजादी पर पूर्णतः पाबंदी लगा दी है।

नहीं है जब बघेल सरकार ने पत्रकारों के साथ ऐसा व्यवहार किया हो। इससे पहले भी कमल शुक्ला सहित न जाने कितने पत्रकार बघेल की इस निर्दयिता का शिकार हुए हैं। यहां तक कि भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के अंदर किए गए भ्रष्टाचार को जनता तक पहुंचाने पर मेरे खिलाफ भी केस कर दिया

ये है रूचिर गर्ग, जो इस समय जनसंपर्क विभाग में मुखिया के तौर पर जाने जाते हैं। इनकी मर्जी के बगैर जनसंपर्क में पत्ता भी नहीं हिलता। यही सीएस को गलत जानकारियां देकर गुमराह करते हैं।

है। बघेल की इस भ्रष्टाचारी और तानाशाही सरकार में पत्रकारों की आवाज को दबाया जाता है, कुचला जाता है। मीडिया की आजादी को दबाकर तानाशाही रवैया अपनाया जाता है। जिस सरकार को भू-माफियाओं से प्रदेश को बचाना चाहिए वो सरकार इन्हीं माफियाओं की हितैषी बनी हुई है और मीडिया की आवाज को दबाना चाहती है। लगातार पत्रकारों पर होते एक के बाद एक हमलों के बाद पत्रकारों में दहशत का माहौल है। सुनील नामदेव और उनके साथियों के साथ हुई घटना को लेकर इंडियन मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन खफा है और उन्होंने भी बघेल सरकार के इस रवैये पर कहा है कि छत्तीसगढ़ में पत्रकारों के खिलाफ पुलिस द्वारा प्रार्थी बनकर अपराध दर्ज कराया जाना राजनीति से प्रेरित षडयंत्र प्रतीत हो रहा है। वरिष्ठ पत्रकार सुनील नामदेव और उनके साथियों के विरुद्ध दर्ज हुए अपराध ऐसे ही प्रतीत हो रहे हैं। इसकी उच्च स्तरीय न्यायिक जांच होना जरूरी है। अगर छत्तीसगढ़ में पत्रकारों के विरुद्ध इसी तरह षडयंत्रपूर्वक अपराध दर्ज होते रहे तो पत्रकारिता तो कोई पत्रकार कर ही नहीं पायेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ लिख नहीं पायेगा।

भूमकाल समाचार के संपादक कमल शुक्ला पर कांकेर के कोतवाली पुलिस स्टेशन के बाहर कथित तौर पर हमला कर दिया गया था। आरोप था कि यह हमला कुछ कांग्रेस नेताओं के इशारे पर कराया गया, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आरोपियों में कांकेर वार्ड पार्षद शादाब खान, पूर्व पार्षद जितेंद्र सिंह ठाकुर, पत्रकार गणेश

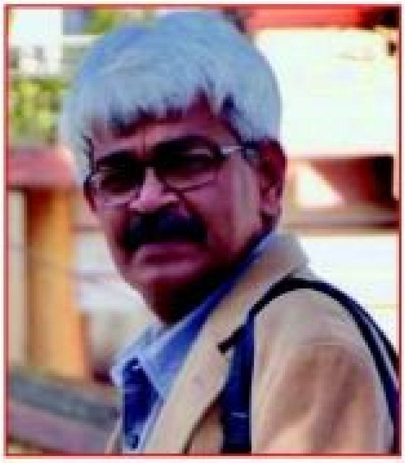

ये है विनोद वर्मा, जो सीएम के खास बने हुए हैं और प्रदेश के पत्रकारों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। सीएम को पत्रकारों के खिलाफ करने में लगे है।

Scanned with CamScanner

पत्रकारों के लिए सबसे असुरक्षित राज्य छत्तीसगढ़

सुनील नामदेव

कमल शुक्ला

प्रभात सिंह

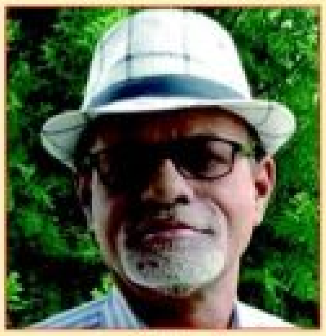

सुशील शर्मा

छत्तीसगढ़ पत्रकारों के लिए सबसे असुरक्षित राज्यों में से एक है। मीडिया विजिल पर छपी एक रिपोर्ट के अनुसार अकेले छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य बनने के बाद से 200 से अधिक पत्रकारों को समाचार छापनेदिखाने के चलते उत्पन्न हुए विवादों के बाद जेल में डाला गया। जबकि 2018 दिसम्बर से नई कांग्रेस सरकार के सत्ता में आते ही महज 10 महीनों में 22 पत्रकारो पर फ़र्ज़ी पुलिस प्रकरण बनाये गए। वहीं 6 पत्रकारो को जेल भी भेजा गया व तीन पत्रकारों की थानों में निर्मम पिटाई हुई। इसी तरह पांच दूसरे पत्रकारों पर माफियाओं, आपराधिक तत्वों व राजनीतिज्ञों ने जानलेवा हमले किये। जबकि राज्य के निर्माण के बाद से अब तक करीब 6 पत्रकारो की निर्मम हत्या हो चुकी है। दु:खद तो यह रहा कि किसी भी हत्याकांड का खुलासा नही हुआ न ही कोई जिम्मेदार हत्यारा जेल भेजा गया।

अब तक मिले अपुष्ट आंकड़ों में कार्य के दबाव और पुलिस प्रशासनिक एवं राजनीतिक माफियाओं के भयादोहन की वजह से राज्य में 20 पत्रकारों ने जान देने की कोशिश की। जबकि 8 ने आत्महत्या कर ली। इनमें से दो युवा पत्रकारों ने तो एक ही दिन में 17 जून, 2018 को क्रमशः अम्बिकापुर और जगदलपुर में आत्महत्या कर ली थी। वर्ष 2018 रायगढ़ जिले के युवा पत्रकार सौरभ अग्रवाल सहित राज्य में चार अन्य पत्रकारों ने लगातार हो रही बेजा पुलिस प्रताड़नाओ से तंग आकर अपनी जान देने की कोशिश की थी, जिनमें से दो पत्रकार तो बेहद गंभीर हालात से बचाए गए।

तिवारी और स्थानीय कांग्रेस विधायक के सहयोगी अब्दुल गफ्फार मेमन शामिल थे। इस मामले में मेमन को गिर तार किया गया था। बता दें कि वे अवैध बालू खनन के खिलाफ रिपोर्टिंग कर रहे थे। उनका आरोप है कि जिले में ऐसी गतिविधियों में कुछ कांग्रेस नेता शामिल हैं। वह कांकेर में जिला और स्थानीय निकाय में अनियमितता पर भी रिपोर्ट कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता करने वाले प्रभात सिंह, जिन्हें पुलिस अधिकारी बस्तर रेंज के पूर्व आईजी एसआरपी कल्लूरी ने जेल में डलवा दिया था। प्रभात सिंह के ऊपर ही चार मामले दर्ज

लोकतंत्र की सफलता या विफलता उसकी पत्रकारिता पर निर्भर करती है।

–स्कॉट पेली

कराए गए। उन्हें ऑफिस से सिविल ड्रेस में आए पुलिसकर्मी उठा ले गए और एक रात थाने पर रखकर दूसरे दिन कोर्ट में पेश किया। इस दौरान उनके परिजनों को कोई जानकारी तक नहीं दी गई। तो अगर इस कानून के तहत पत्रकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी शोषण करने वालों को ही देने की बात हो रही है तो क्या उम्मीद कर सकते है। साजिद हासमी, शहबाज खान ,जांजगीर में झा बस्तर के सुशील शर्मा जैसे नाम हैं जो किसी न किसी रूप से अभिव्यक्ति की आजादी में शिकार हुए हैं।

आज उन पत्रकारों के सामने अत्यंत ख़तरनाक स्थिति पैदा हो गयी है जो सत्ता की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ अपनी कलम का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के पत्रकारों की हत्याएं हुई, उन पर हमले हुए और

Scanned with CamScanner

मध्यप्रदेश में सुरक्षित है अभिव्यक्ति की आजादी

मध्यप्रदेश में अभिव्यिक्ति की आजादी पर वर्तमान सरकार में पाबंदियां नहीं हैं। प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर सरकार नियम कानूनों के दायरे में रह कर ही कार्य करती है। अन्य राज्यों की तुलना में मध्यप्रदेश इस मामले में बेहतर है। प्रदेश में पत्रकारों पर हुए हमलों पर सरकार तुरंत एक्शन लेती है। यही कारण है कि प्रदेश के पत्रकार अपनी भूमिका का निर्वहन निश्चिंत होकर करते हैं। सरकार की कमियों और खामियों को प्रदर्शित करने में पत्रकारों को कोई संकोच नही है। सही मायने में पत्रकारिता का जो मकसद होता है उसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान नही होता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मध्यप्रदेश में अभिव्यक्ति की आजादी का महत्व को समझते हैं। और उन्होंने आज तक इस स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार की बंदिशें नहीं लगाई हैं। हमेशा पत्रकारों का हौसला हफजाई ही की है। सरकार के विरोध में प्रकाशित करने या प्रसारित करने में उन्होंने मीडिया जगत को दोषी नही माना है। यही वजह है कि मध्यप्रदेश में पत्रकार अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। इससे पहले जरूर जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तो मीडिया पर सरकार का पहरा था। इस दौर में कई पत्रकारों को सरकार की गुस्सा का खामियाजा भी भुगता। इंदौर के एक मीडिया संस्थान को तो कांग्रेस सरकार ने नेस्त नामूद कर दिया। इसके अलावा भी कई वाक्या है जब पत्रकारों को या मीडिया संस्थानों को सरकार के गुस्से का शिकार होना पड़ा। लेकिन आज प्रदेश में शिवराज की सरकार है। पत्रकारिता जगत सुरक्षित और स्वतंत्र है।

सरकारी तंत्र द्वारा उन्हें तरह-तरह से प्रताड़ित किया गया है। राजनेता, माफिया और पुलिस के नापाक गठजोड़ ने छोटे शहरों, कस्बों और दूरदराज़ के इलाकों में काम करने वाले पत्रकारों के लिए स्थिति और भी गंभीर कर दी है।

वर्तमान में छत्तीसगढ के सीएम भूपेश बघेल के सलाहकार रूचिर गर्ग और विनोद वर्मा हैं। ये दोनों ही पत्रकार हैं। यह सीएम को प्रदेश के विषय में गलत जानकारियां देकर गुमराह करते हैं। कहा जा सकता है कि जब से रूचिर गर्ग और विनोद वर्मा की सीएम से नजदीकिया बड़ी तब से ही पत्रकारों के साथ अन्याय हो रहा है। इन्हीं दोनों ने बाहरी पत्रकारों को विज्ञापन न देने की सलाह दी। और जो पत्रकार सरकार के विरोध-सच्चाई प्रकाशित करते हैं, उन पर पुलिस केस बनवा

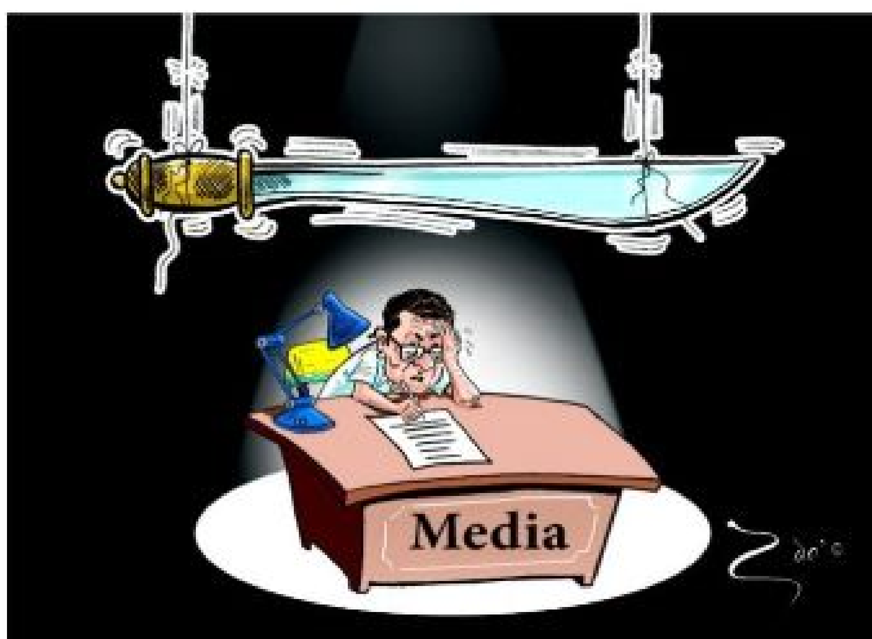

Scanned with CamScanner

प्रेस पर हमलों का इतिहास

पिछले कुछ सालों में भारत में 11 पत्रकारों की हत्या कर दी गयी, 46 पर हमले हुए और पत्रकारों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के 27 मामले सामने आये। इंडिया फ्रीडम रिपोर्ट के ये आंकड़े जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग के जोखिम को बताते हैं। पांच सितंबर, 2016 को गौरी लंकेश की हत्या ने सिर्फ बातें बनाने वालों को नींद से जगा दिया। लंकेश की हत्या के दो दिन बाद बिहार के अरवल जिले में दो बाइक सवार हमलावरों ने राष्ट्रीय सहारा के पत्रकार पंकज मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए काम करने वाले एक और एनजीओ कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट (सीपीजे) की साल 2016 की वैश्विक रैंकिंग के अनुसार, भारत में दंड-मुक्ति रैंकिंग (घटनाएं जिनमें पत्रकार की हत्या हुई और उसके हत्यारे पकड़ से बाहर रहे) में बीते एक दशक में सौ फीसदी का इजाफा हुआ है। वर्तमान में भारत की दंड-मुक्ति रैंकिंग 13वीं है। प्रेस की आजादी को खतरा इसकी शुरुआत से ही रहा है। सन् 1857 की क्रांति के साथ ही लॉर्ड केनिंग द्वारा बनाया गया गैगिंग एक्ट अस्तित्व में आया, जिसमें सरकार से लाइसेंस लेना जरूरी करते हुए प्रिंटिंग प्रेसों और उनमें छपने वाली सामग्री को विनियमित किया गया था। इसके तहत किसी भी छपने वाली सामग्री की इस बात के लिए जांच की जा सकती थी कि यह ब्रिटिश राज की नीतियों के खिलाफ तो नहीं है। क्षेत्रीय भाषा के अखबारों ने जब 1876-77 के अकाल से निपटने में औपनिवेशिक सरकार की ढिलाई को लेकर खबरें प्रकाशित कीं, तो सरकार स्थानीय आलोचनाओं को कुचलने के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ले आयी। इस कानून के तहत बंगाल के अमर बाजार पत्रिका समेत 35 क्षेत्रीय भाषाओं के अखबारों पर शिकंजा कसा गया। द बेंगाली अखबार के संपादक सुरेंद्रनाथ बनर्जी को, जो अपने उपनाम राष्ट्रगुरु के नाम से मशहूर थे, अपने अखबार में अदालत की अवमानना की टिप्पणी प्रकाशित करने के लिए गिरफ्तार किया गया। यहां तक कि बाल गंगाधर तिलक भी दमनकारी ब्रिटिश राज के खिलाफ लिखने के लिए दो बार जेल गये। आज छोटे शहरों में जब-तब ऐसे हमले होते रहते हैं, जिनमें पीड़ित किसी क्षेत्रीय अखबार या चैनल में बतौर फ्री लांसर काम करने वाला शख्स होता है, जिसके जिम्मे स्टूडियो या कार्यालय में बैठने के बजाय ज्यादातर फील्ड का काम होता है। सीमित कानूनी संरक्षण के साथ प्रेस की आजादी का ज्यादा मतलब नहीं रह जाता। ऐसी आजादी ऑनलाइन धमकियों और मुकदमों के सामने आसानी से कमजोर पड़ सकती है। प्रेस की आजादी के लिए काम करने वाली संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की साल 2017 की रिपोर्ट बताती है कि वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में भारत तीन पायदान नीचे खिसक कर 136वें स्थान पर आ गया है। हम अपने जुझारू मीडिया को दक्षिण एशिया में सबसे स्वतंत्र मानते हैं, लेकिन फ्रीडम हाउस की नजर में यह हकीकत में आंशिक रूप से ही स्वतंत्र है।

दिया जाता है। यहां तक कि जमानत तक नही होने देते हैं। एक पत्रकार मणिशंकर पाण्डे को भी ऐसे ही प्रताड़ित किया गया था। इन्होंने सोशल मीडिया पर सरकार की सच्चाई प्रकाशित की थी। उन पर पुलिस ने इतना दबाव बनाया कि उन्हें रायपुर तक छोड़ना पड़ा था।

पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर किए वादे आज तक नहीं हुए पूरे

छत्तीसगढ़ में सत्तासीन कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणापत्र में पत्रकारों की सुरक्षा के मुद्दे को महत्व दिया था। मु यमंत्री पद की शपथ ग्रहण के तत्काल बाद ही भूपेश बघेल ने मीडियाकर्मियों को आश्वासन दिया कि छत्तीसगढ़ में पत्रकारों की सुरक्षा स बन्धी कानून बनाया जायेगा। इसके चलते प्रदेश में पत्रकारों और मानवाधिकार रक्षकों की

पत्रकार सुशील शर्मा के खिलाफ हुई एफआईआर को लेकर बस्तर कलेक्टर एवं कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया था।

Scanned with CamScanner

अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार और कानून

संविधान के मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 19(1)(a) में अभिव्यक्ति की स्वत्रंत्रता की व्यवस्था दी गयी है। प्रेस की आज़ादी उसी से निकलती है। इस आज़ादी को सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत से फैसलों में सही ठहराया है। इस आज़ादी का दुरुपयोग संविधान लागू होने के साथ साथ शुरू हो गया था। अर्नब गोस्वामी के चैनल से महाराष्ट्र सरकार नाराज़ हो गई और उनके खिलाफ कई मामलों में मुकदमे दर्ज कर लिए। एक पुराने केस में नए सिरे से जांच के आदेश दे दिए। इसी केस में अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया। हाईकोर्ट से ज़मानत नहीं मिली, मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अर्नब गोस्वामी को रिहा किया जाए। भारतीय दंड संहिता की दफा 306 में की गयी उनकी गिरफ्तारी ऐसी नहीं है कि उनको ज़मानत न दी जा सके। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट इस बात से नाराज़ हैं कि संवैधानिक अदालतें लोगों की निजी स्वतंत्रता की रक्षा करने में अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभा रही हैं। संविधान के अनुच्छेद 21 में व्यवस्था है कि, किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। संविधान के इसी प्रावधान के हवाले से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी की रिहाई का आदेश दे दिया था। इस आज़ादी का दुरुपयोग संविधान लागू होने के साथ साथ शुरू हो गया था। कुछ अखबारों ने दंगों के दौरान माहौल को बिगाड़ना शुरू कर दिया। जब उनसे अधिकारियों ने जवाब तलब किया तो उन्होंने कह दिया कि उनको संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत कुछ भी बोलने या लिखने की आज़ादी है। यह वह दौर है जबकि संविधान सभा के बहुत सारे सदस्य जीवित थे। उनको चिंता हुई और संविधान लागू होने के कुछ महीने बाद ही संविधान में पहला संशोधन कर दिया गया। उसी संशोधन के बाद अनुच्छेद 19 (1) और अनुच्छेद 19 (2) अस्तित्व में

सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ का विशेष कानून लागू किये जाने की सम्भावना बलवत हुई थी। लेकिन आज की स्थिति में यह घोषणा भर रह गई है।

सत्ता में आने के बाद बघेल सरकार ने उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश आफताब आलम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इस समिति को पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। आफताब आलम की अध्यक्षता में समिति द्वारा तैयार किए गए इस कानून के प्रारूप को लेकर स्थानीय पत्रकारों में कुछ चिंताएं देखी जा रही हैं। उनका मानना है कि इस कानून में कई बदलावों की जरूरत है। इसके बिना पत्रकारों को सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। जिन पत्रकारों की सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ सरकार कानून बना रही है उसमें से ज्यादातर पत्रकार अभी तैयार हुए कानून में कई कमियां देख रहे हैं। पत्रकारों की नाराजगी का सबसे बड़ा कारण अब तक इस पूरी प्रक्रिया में पत्रकारों की सलाह नहीं लिया जाना है। अब तक जो कानून का मसौदा छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बनाई गई समिति ने तैयार किया उसमें पत्रकारों की राय नहीं लिए जाने के अलावा पत्रकारों की नाराजगी सरकारी अधिकारियों को ही प्रमुख बनाए जाने की है। कानून के अनुसार हर जिले में जोखिम प्रबंधन इकाई बनाया जाना है। जिसमें जिले के कलेक्टर, जनसंपर्क अधिकारी और पुलिस अधीक्षक को रखा गया है। वरिष्ठ पत्रकार और पत्रकार सुरक्षा कानून संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक कमल शुक्ला बताते हैं जिन पत्रकारों की सुरक्षा के लिए सरकार कानून बनाने जा रही है उनसे ही कोई राय नहीं ली गई। अब जब

Scanned with CamScanner

आये। उसके बाद से ही प्रेस या मीडिया की यह आज़ादी निर्बाध (अब्सोल्यूट) नहीं है। संविधान के मौलिक अधिकारों वाले अनुच्छेद 19(2) में ही उसकी सीमाएं तय कर दी गई हैं। अनुच्छेद 19 (2) में लिखा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय-अवमान, मानहानि या अपराध-उद्दीपन के संबंध में युक्तियुक्त निर्बंधन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। अनुच्छेद 19 की उपधारा 2 का मौजूदा संवैधानिक प्रावधान प्रेस पर प्रभावी नियंत्रण लगाता है। सरकारी गोपनीयता कानून पत्रकारों को देश की रक्षा से जुड़े मामलों की खबरें छापने से रोकता है। हालांकि इस प्रावधान के दुरुपयोग की भी पूरी संभावना है। इसके लिए संसद इतना जरूर कर सकती है कि पत्रकारों को आपराधिक कार्रवाई से बचाने के लिए एक कानून बनाये।

अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार और छत्तीसगढ़ पत्रकार सुरक्षा कानून पर सम्मेलन 17 फरवरी 2019 को रायपुर में आयोजित किया गया था। इस आयोजन मे प्रमुख रुप से संजय पारिख सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, ललित सुरजन संपादक देशबंधु समूह, आनंद स्वरूप वर्मा संपादक समकालीन तीसरी दुनियां, अनिल चौधरी शिक्षाविद्, अभिषेक श्रीवास्तव संपादक मीडिया विजिल, अजीत साही वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनैतिक विश्लेषक, जीतेंद्र कुमार वरिष्ठ पत्रकार संदीप राओजी वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार, हृदयेश जोशी वरिष्ठ पत्रकार के अलावा छत्तीसगढ के सभी प्रमुख पत्रकार, पत्रकार संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए थे।

इसके साथ ही आईपीसी की धारा 124(ए) (राष्ट्रद्रोह का प्रावधान) तो है ही। अक्सर नेताओं और नामचीन हस्तियों द्वारा मानहानि के प्रावधान का इस्तेमाल प्रेस को अपने खिलाफ टिप्पणी करने से रोकने के लिए किया जाता है। खासकर तमिलनाडु में ऐसे तरीके बहुत ज्यादा अपनाये जाते हैं। साल 1991 से 1996 के बीच जयललिता की सेहत और राज्य सरकार की कार्रवाइयों को लेकर खबरें छापने पर उनकी सरकार द्वारा प्रकाशनों के खिलाफ मानहानि के करीब 120 मुकदमे दर्ज कराये गये। यहां तक कि टीवी एंकर साइरस ब्रोचा को अपने मजाकिया शो में उनके जैसे कपड़े पहनने के लिए भी मुकदमे का सामना करना पड़ा। बड़े मीडिया हाउस तो ऐसे मानहानि के मुकदमों का खर्च उठा सकते हैं, लेकिन छोटे और मंझोले प्रकाशन के लिए इससे अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाता है। नतीजा यह होता है कि संपादक ज्यादातर ऐसी स्टोरी छापने से परहेज करते हैं और संरक्षण विहीन पत्रकार हतोत्साहित होता है। आपराधिक मानहानि के प्रावधान को खत्म करने और हरजाना की राशि सीमित करने के लिए कदम उठाने होंगे, जिससे कि क्षेत्रीय और स्थानीय पत्रकार मानहानि के मुकदमे के भय के बिना काम कर सकें। बोलने की आजादी और इसका विस्तार कहे जाने वाले प्रेस की आजादी निर्बाध होनी चाहिए।

कानून पूरी तरह से तैयार हो गया है तब राय लेने की बात की जा रही है। सरकार के कानून का प्रारूप तैयार करने से पहले यहां के पत्रकारों, एनजीओ और वकीलों ने मिलकर एक कानून का प्रारूप सरकार को दिया था, लेकिन सरकार ने उसपर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी एक समिति बना दी। अभी जिस रूप में कानून का प्रारूप है अगर वो पास होता है तो पत्रकारों का भला नहीं हो पाएगा।

जानें- क्या है इस कानून में- प्रताड़ना, धमकी, गलत मुकदमा और गिर तारी के मामलों में सुनवाई प्रस्तावित कानून के मसौदे के अनुसार इसे छत्तीसगढ़ मीडियाकर्मी संरक्षण अधिनियम कहा जाएगा। इस अधिनियम के लागू होने के 30 दिन के भीतर भूपेश बघेल सरकार राज्य स्तर और प्रत्येक जिले में कमेटियों का गठन करेगी। राय स्तरीय कमेटी मीडियाकर्मियों की प्रताड़ना, धमकी, गलत मुकदमा दर्ज कराने और गिरफ्तारी के मामलों की शिकायत सुनेगी। प्रारूप के मुताबिक कमेटी में एक पुलिस अधिकारी को स मलित किया जाएगा, जोकि एडीजीपी (अतिरिक्त महानिदेशक) के पद से नीचे का नहीं होगा। जनसंपर्क कार्यालय के मुखिया के साथ ही तीन मीडियाकर्मियों को कमेटी में शामिल किया जाएगा, जो कम से कम 12 साल से पत्रकारिता कर रहे हों। इसमें एक महिला कर्मचारी होगी। जिलों में जोखिम प्रबंधन (रिश्क मैनेटमेंट) शाखा का भी गठन किया जाएगा, जोकि राज्य स्तरीय कमेटी की देखरेख में कार्य करेगी।

Scanned with CamScanner

मध्यप्रदेश में प्रतिदिन हो रहे 14 दुष्कर्म

गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम

विजया पाठक

मध्यप्रदेश में महिलाएं या बच्चियां कितनी सुरक्षित हैं, इस बात का दावा करने वाले सरकारी हुक्मरान और नेताओं के बयान तो हमने सुने हैं, लेकिन हकीकत में महिला अपराधों में रोकथाम तो दूर इनमे तेज बढ़त दर्ज की गई है। साल 2020 में प्रतिदिन 137 महिलाओं के साथ कोई ना कोई अपराध हुआ है। मध्यप्रदेश पुलिस रिकॉर्ड के आंकड़े यह भयावह तस्वीर पेश कर रहे हैं जिसमे साल भर में महिलाओं के साथ अलग-अलग अपराधों में 49,823 मामले दर्ज किए गए। इससे लगता है कि महिला अपराधों के मामले में मध्यप्रदेश, देश की राजधानी बनने की राह पर है। तमाम दावों और प्रयासों के बावजूद भी यह कलंक मध्यप्रदेश के माथे से नहीं मिट पा रहा है। हालात यह हैं कि कोविड-19 के दौरान लगाए गए लॉकडाउन में भी प्रदेश में महिला अपराधों में कमी नहीं आई। मध्यप्रदेश पुलिस की ओर से हर माह जारी किए जाने वाली रिपोर्ट में कुछ ऐसे आंकड़े निकलकर सामने आए हैं जिन्हें सुनकर हम हैरान रह जाएंगे। मध्यप्रदेश पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले 12 महीनों में ही चार हजार से यादा दुष्कर्म और 6 हजार अपहरण के मामले सामने आ चुके हैं।

वहीं प्रदेश के गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा अपनी शान शौकत में कोई कमी नही रखना चाहते हैं। अपने सरकारी बंगले पर पुलिस की फौज लगा रखी है। अपनी सुरक्षा ऐसी बनाई है जैसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा हो। प्रदेश में कौन से क्षेत्र में कौन से थाने में कितना

Scanned with CamScanner

मध्यप्रदेश के गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा प्रदेश में बढ़ते महिला अपराधों पर मीडिया से चर्चा करते हुए।

पुलिस स्टॉफ है इससे इन्हेंप कोई मतलब नही है। क्या ऐसे प्रदेश में कानून व्यावस्था सुधर सकती है। क्या ऐसे असंवेदनशील होने से बलात्कार या महिला अपराध रूक सकते हैं। सुख और शांति के टापू मध्यप्रदेश में आखिर बद से बदत्तर होती इस स्थिति का जि मेदार कौन है?, पुलिस प्रशासन, गृहमंत्री या फिर प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था। एक तरफ प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जगह-जगह पर जाकर शांति और सुरक्षा के वायदे करते हैं, लेकिन सरकार में इनके सहयोगी मंत्री अपने विभाग को संभालने में नाकाम हो रहे हैं। खुद को संवेदनशील दिखाने वाले मंत्री नरोत्तम मिश्रा प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था से अच्छी तरह परिचित हैं, फिर भी उसे सुधारने की दिशा में कोई उचित कदम नही उठा रहे। सिर्फ रोज सुबह अच्छे कपड़े पहनकर मीडिया के सामने आकर बयान देने से इन्हेंई फुरसत कहां मिलती है। मध्यप्रदेश में पिछले 2 महीने में दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म की वारदातों में तेजी से इजाफा हुआ है। हाल ही में महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के साथ इस तरह की वारदातें

दुष्कर्म के मामलों में सजा की दर मात्र 27.2 प्रतिशत

दुष्कर्म के मामलों में देश में सजा की दर अब भी मात्र 27.2 प्रतिशत ही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के मुताबिक 2018 में दुष्कर्म के 1,56,327 मामलों में मुकदमे की सुनवाई हुई। इनमें से 17,313 मामलों में सुनवाई पूरी हुई और सिर्फ 4,708 मामलों में दोषियों को सजा हुई। आंकड़ों के मुताबिक 11,133 मामलों में आरोपी बरी किए गए जबकि 1,472 मामलों में आरोपियों को आरोपमुक्त किया गया। खास बात यह है कि 2018 में दुष्कर्म के 1,38,642 मामले लंबित थे। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक दुष्कर्म के मामलों में सजा की दर 2018 में पिछले साल के मुकाबले घटी है। 2017 में सजा की दर 32.2 प्रतिशत थी। उस वर्ष दुष्कर्म के 18,099 मामलों में मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई और इनमें से 5,822 मामलों में दोषियों को सजा हुई।

Scanned with CamScanner

साल दर साल रेप के आंकड़े

2016-	रेप 4882,	रेप की कोशिश 1628
2017-	रेप 5562,	रेप की कोशिश 2147
2018-	रेप 5433,	रेप की कोशिश 2857
2019-	रेप 6600,	रेप की कोशिश 3707
2020-	रेप 5600,	रेप की कोशिश 3717

बलात्कार के आंकड़े

- **1 जनवरी 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक यानी कि 12 महीनों में ही 4532 महिलाएं और बालिकाओं के साथ दुष्कर्म हुआ।**
- **यदि प्रतिदिन के हिसाब से आंकड़े देखें तो 14 रेप की घटनाएं रोजाना घटित हुई हैं।**
- **प्रति माह के मुताबिक जनवरी में 372, फरवरी में 365, मार्च में 358, अप्रैल में 206, मई में 357, जून में 434, जुलाई में 439, अगस्त में 382, सितंबर में 418, अक्टूबर में 486, नवंबर में 376 मामले और दिसंबर में 339 मामले दुष्कर्म के दर्ज किए गए।**

महिला अपहरण

जनवरी में 675, फरवरी में 773, मार्च में 645, अप्रैल में 207, मई में 381, जून में 624, जुलाई में 566, अगस्त में 569, सितंबर में 638, अक्टूबर में 601, नवंबर में 659 और दिसंबर में 611 अपरहण किए गए हैं। यानी कि साल 2020 में कुल 6949 अपहरण के मामले दर्ज हुए और रोजाना औसत 20 अपहरण हुए। मध्यप्रदेश में महिला अपराध पर रोक लगाने के लिए सरकार ने स त कानून बनाया है। इसके तहत उस दुष्कर्मियों को फांसी की सजा तो सुनाई गई लेकिन आज तक कोई भी फांसी के त ते तक नहीं पहुंच पाया।

देखने में आई हैं। मध्यप्रदेश में पिछले 8 महीनों में महिला अपराध के हजारों मामले दर्ज किए गए हैं। मध्यप्रदेश में हत्या के मामले 509, हत्या की कोशिश 207, मारपीट 9974, छेड़छाड़ 6479, अपहरण 5619, दुष्कर्म 3837, दहेज हत्या 519 और दहेज प्रताड़ना के 4604 मामले सामने आए हैं। महिला अपराध शाखा की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में 56 सौ बलात्कार के मामले सामने आए हैं। अगर पिछले पांच साल के रेप के आंकड़ों को देखें तो पांच साल में 27 हजार से अधिक रेप और 15 हजार से करीब रेप की कोशिश के केस दर्ज हुए हैं। सीधी में विधवा महिला के साथ दुष्कर्म, उमरिया में नाबालिग लड़की के साथ 9 लोगों द्वारा दुष्कर्म जैसी वारदातें सामने आई हैं।

मध्यप्रदेश में दुष्कर्म जैसे अपराधों के लिए कठोर कानून मौजूद हैं। बावजूद इसके यहां हर रोज करीब 14 लड़कियों का रेप होता है। इन दिनों हुई दुष्कर्म और गैंगरेप की वारदातों से एक बार फिर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कड़े कानूनी प्रावधान भी इन घटनाओं पर लगाम लगाने में असफल दिखाई पड़ रहे हैं। प्रदेश में 12 साल की कम उम्र की लड़की से दुष्कर्म की सजा फांसी है। ऐसे मामलों में करीब 30 आरोपियों को फांसी की सजा भी सुनाई जा चुकी है, लेकिन वारदातें कम नहीं हो रही हैं। 14 मार्च 2019 को बंडा थाने में एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। दूसरे दिन खेत में उसके सिर और धड़ अलग-अलग मिले थे। मध्य प्रदेश की तत्कालीन शिवराज सरकार ने दिसंबर 2017 में कानून बनाया था कि 12 साल की लड़की या उससे कम उम्र की लड़की के साथ दुष्कर्म या सामूहिक दुष्कर्म की घटना पर सजा-ए-मौत दी जाएगी। इन मामलों को लेकर सरकार प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ-साथ सामाजिक व्यवस्था को भी दोषी मानती है। बढ़ते हुए महिला अपराध के आंकड़ों को लेकर मु यमंत्री शिवराज सिंह ने जहां ऐलान किया है कि हर सरकारी कार्यम कन्या पाद पूजन के साथ शुरू होगा। वहीं गृह विभाग स मान कार्यम चला रहा है। जिसमें महिलाओं के प्रति स मान के लिए समाज को प्रेरित किया जा रहा है।

2018 में हर दिन 80 हत्याएं, 91 बलात्कार

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2018 में समूचे देश में हर दिन औसतन हत्या की 80 घटनाएं, अपहरण की 289 घटनाएं और बलात्कार की 91 घटनाएं दर्ज की गई हैं। बलात्कार के मामले में एक बार फिर मध्यप्रदेश अव्वल रहा है। वर्ष 2018 में देश में बलात्कार की कुल 33,356 घटनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें से 5,433 घटनाएं (करीब 16 प्रतिशत) मध्यप्रदेश में हुई, जिनमें पीड़िताओं में छह साल से कम उम्र की 54 बच्चियां भी शामिल

Scanned with CamScanner

हैं। वर्ष 2016 और वर्ष 2017 में भी मध्यप्रदेश बलात्कार के मामलों में देश में नंबर एक पर था। वर्ष 2016 में प्रदेश में 4,882 बलात्कार की घटनाएं हुई थीं, जबकि वर्ष 2017 में प्रदेश में 5,562 घटनाएं हुईं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश में 18 साल से कम उम्र की 2,841 लड़कियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हुईं. इनमें से छह साल से कम उम्र की 54 बच्चियां, छह से 12 साल की 142 बच्चियां, 12 से 16 साल की उम्र की 1,143 बालिकाएं और 16 से 18 साल की 1,502 लड़कियां शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में बलात्कार के मामलों में मध्यप्रदेश के बाद राजस्थान 4,335 घटनाओं के साथ दूसरे और उत्तरप्रदेश इस तरह की 3,946 घृणित घटनाओं के साथ तीसरे स्थान पर रहा। मध्यप्रदेश अभियोजन विभाग के आंकड़ों के अनुसार बच्चियों के साथ बलात्कार के 18 मामलों में अदालत ने वर्ष 2018 में दोषियों को मौत की सजा सुनाई।

■ आंकड़ों के अनुसार 2018 में पूरे देश में हर दिन औसतन हत्या की 80 घटनाएं, अपहरण की 289 घटनाएं और बलात्कार की 91 घटनाएं दर्ज की गई है।

■ 2018 में कुल 50,74,634 संज्ञेय अपराधों में 31,32,954 मामले भारतीय दंड संहिता के तहत और 19,41,680 मामले विशेष एवं स्थानीय कानून के तहत अपराध की श्रेणी में दर्ज किए गए जबकि 2017 में यह सं या 50,07,044 थी।

■ 2018 और 2017 के दौरान हत्या के मामले में 1.3 का इजाफा हुआ। 2018 के दौरान हत्या के 29,017 मामले जबकि 2017 में 28,653 मामले दर्ज किए गए थे।

■ आंकड़े के अनुसार 2018 के दौरान हत्या के मु य वजहों में 9,623 मामलों में विवाद, इसके बाद 3,875 मामलों में निजी रंजिश या दुश्मनी और 2,995 मामलों में फायदा हासिल करना रहा है.

■ एनसीआरबी के अनुसार 2018 में अपहरण के मामलों में 10.3 प्रतिशत का इजाफा हुआ। इस संबंध में 1,05,734 प्राथमिकीयां दर्ज की गई जबकि 2017 में ऐसे 95,893 मामले दर्ज किए गए और 2016 में यह संख्या 88,008 रही।

■ 2018 के आंकड़े के अनुसार अपहरण के कुल 1,05,536 (24,665 पुरूष और 80,871 महिलाएं) दर्ज किए गए जिनमें से 63,356 (15,250 पुरूष और 48,106 महिलाएं) बच्चे और 42,180 (9,415 पुरूष एवं 32,765 महिलाएं) वयस्क थे।

■ एनसीआरबी के अनुसार 2018 के दौरान 92,137 अपहृत व्यक्तियों (22,755 पुरूष और 69,382 महिलाओं) को बरामद कर लिया जिनमें से 91,709 कसे जीवित और 428 को मृत बरामद किया गया।

■ 2018 में महिलाओं के खिलाफ अपराध की श्रेणी में 3,78,277 मामले दर्ज किए गए थे जो 2017 के 3,59,849 और 2016 के 3,38,954 मामलों से अधिक है। 2018 में आईपीसी की धारा 376 के तहत बलात्कार के मामलों की सं या 33,356 रही।

■ आंकड़े के अनुसार 2017 में बलात्कार के 32,559 मामले दर्ज किए गए थे जबकि 2016 में यह सं या 38,947 थी।

■ एनसीआरबी के अनुसार 2017 (50,07,044 मामलों) की तुलना में अपराध की कुल सं या में 1.3 प्रतिशत का इजाफा हुआ।

Scanned with CamScanner

वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने

बजट से साधा समाज का हर तबका

पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस पर राहत देते तो आमजन को होता लाभ

समता पाठक

वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया। यह बजट 02 लाख 41 हजार 27 करोड़ रुपए का है। इसमें व्यय का अनुमान 2 लाख 17 हजार 123 करोड़ रुपये है। कुल राजस्व घाटा 8 हजार 294 करोड़ और सकल घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटे का 4.50त्न का अनुमान है। 2021-22 में राय के राजस्व में 22त्न की वृद्धि और राजस्व व्यय में 9त्न वृद्धि अनुमानित है। इस बजट को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में उठाया हुआ कदम बताया जा रहा है। विधानसभा में वित्तमंत्री देवड़ा ने बजट पेश करते हुए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जि करते हुए कहा कि यह बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, रोजगार, पेयजल आदि पर जोर दिया गया है। इस बजट में आगामी समय का रोडमेप सरकार की ओर से पेश किया गया है। इस बजट में न तो नया कर लगाया गया है और न ही कर में किसी तरह की बढ़ोत्तरी की गई है। राय का बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लक्ष्य को ध्यान में रख कर तैयार किया गया है। जिसके लिए आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र पर फोकस है। 2023 का लक्ष्य साधने के लिए योजनाएं मिशन मोड में हैं। मु यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान के चौथे कार्यकाल का पहला बजट था। कोरोना काल के इस बजट में सरकार का फोकस किसान, रोजगार और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जैसे मुद्दों पर रहा। सरकार अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों के लिए अलग से प्रावधान है। प्रदेश में संभावित नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं। सरकार निकाय चुनावों में इसके फायदों के साथ अर्थव्यवस्था को र तार देने के लिए भी शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर

Scanned with CamScanner

परियोजनाओं पर जोर दिया है। मु यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने भाषणों में आत्मनिर्भर एमपी की अक्सर चर्चा करते हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जरूरी है। बजट में इसके लिए भी घोषणाएं की गई हैं। बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि सामाजिक समरसता और सद्भाव हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हमें खाली खजाना मिला और कोविड की चुनौती थी। हमारी सरकार ने कोविड पर नियंत्रण किया और अर्थव्यवस्था को सुधारा।

कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि वित्त मंत्री ने समाज के हर वर्ग को बजट से साधने का प्रयास किया है। बजट में समाज के हर तबके के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। कोरोना त्रासदी के बावजूद सरकार ने बजट के प्रावधानों में कोई कटोती न करते हुए सबको साधने की कोशिश की है। अनुमान लगाए जा रहे थे कि कोरोना के बाद सरकार शायद आमजन पर नये कर लगा सकती हैं लेकिन सरकार ने बजट में ऐसा कुछ नहीं किया और प्रदेशवासियों को एक तरह से अप्रत्य क्ष रूप से राहत प्रदान की है। सीमित आमदनी के बावजूद बजट में ऐसा नहीं लगा कि यह कोरोना की मार के बाद का बजट है। कहा जा सकता है कि वित्तरमंत्री ने प्रदेश के हर आदमी को ध्यान रखा।

वित्तदमंत्री ने कहा कि यह प्रदेश की जनता के हित का बजट होगा, कोरोना संकट के बावजूद यह सर्वसमाज के हित में होगा। 32,000 करोड़ रुपये की राशि विभिन्न योजनाओं में हितग्राहियों को उपलब्ध कराई जाएंगी। चंबल एक्सप्रेस वे के निर्माण की कार्य शुरू कर दिया। लोक निर्माण विभाग का बजट 6866 करोड़ रुपये का है। 6064 करोड़ का पीएचई का बजट है। शहरी क्षेत्रों के लिए जलजीवन मिशन प्रस्तावित है। स्कूल और आंगनबाड़ी में पेयजल की आपूर्ति का अभियान चलाया। नवकरणीय ऊर्जा 44152 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। सीएम राइज योजना शुरू करेंगे, 9200 स्कूल सर्वसुविधायुक्त बनेंगे। मध्य प्रदेश में शिक्षण गुणवत्ता सुधार के लिए 26000 करोड़ खर्च करेंगे। 2022 में मध्य प्रदेश यूथ गे स की अगुवानी करेगा। इंदौर, भोपाल और रीवा मेडिकल कॉलेज में कैंसर यूनिट बनेगी। 3250 मेडिकल की सीटें दी जाएंगी। मध्यप प्रदेश में 23 मेडिकल कॉलेज होंगे। 44 लाख किसानों को आठ हजार करोड़ का फसल बीमा दिलाया गया। सरकार मार्कफेड और नगरीय आपूर्ति निगम को दो हजार करोड़ रुपये की मदद देगी। एक जिला एक उत्पावद कार्यम के तहत कोल्ड स्टोलरेज बनाए जाएंगे। एक हजार गौ शालाएं बनाई जाएंगी।

हर घर में पेयजल पहुंचाया जाएगा- वित्तमंत्री ने कहा कि प्रदेश को 19353 करोड़ की अतिरिक्त वित्तीय सहायता केंद्र सरकार ने दी। चार क्षेत्रों में नए मिशन प्रारंभ किए जाएंगे। अधोसंरचना में रोजगार के नए अवसर विकसित होंगे। शिक्षा व स्वास्थ्य में अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं। 2441 करोड़ रुपये की नई सड़कें बनेंगी। जल संसाधन में 6436 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जल जीवन मिशन से हर घर में पेयजल पहुंचाया जाएगा। 5000 करोड़ रुपये की ग्रामीण और 6436 करोड़ रुपये की शहरी परियोजना स्वीकृत की गई है। शहरी जल जीवन मिशन का गठन किया जाएगा।

Scanned with CamScanner

5962 करोड़ रुपये पेयजल पर खर्च होंगे। 21361 मेगावाट बिजली मध्य प्रदेश में उपलब्ध। ओंकारेश्वर में 600 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जाएगा। सीएम राइज योजना के तहत 9200 स्कूलों को उत्कृष्ट बनाया जाएगा। 1500 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। ग्वालियर में हाकी की सेंट्र आफ एक्सीलेंस सेंटर खुलेगा। जबलपुर में नया विज्ञान केंद्र खोला जाएगा। पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना में सात प्रतिशत से अधिक का ब्याज राय सरकार देगी। वोकल फॉर लोकल से रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे। 1400 करोड़ रुपये का राजस्वन रेत से प्राप्तय होगा। 250 आबादी वाले आदिवासी गांव को पीएम सड़क योजना से जोड़ा जाएगा। 5200 किमी लंबी सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम ग्राम सड़क योजना के तहत 800 किमी का डामरीकरण होगा। भोपाल और इंदौर में मेट्रो परियोजना को गति प्रदान करने के लिए 262 करोड़ रुपये देंगे।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं को भयमुक्तव माहौल देना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। स मान अभियान प्रारंभ किया गया है, लापता बच्चों को वापस लाने के लिए मुस्कान अभियान चलाया जा रहा है। चार हजार से अधिक आरक्षकों की भर्ती की जाएगी। पुलिसकर्मियों को आवास के लिए 25 हजार आवास का निर्माण कराया जा रहा है। पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार कुल राजस्वल प्राप्तियां एक लाख 37 हजार 169 करोड़ रुपये है। वित्तीकय संसाधनों की कमी को देखते हुए भारत सरकार की ओर से अतिरिक्ति कर्ज लेने की सीमा मंजूर की है।

मप्र बजट 2021-22 की खास बातें

नहीं लगेगा कोई नया टैक्स

हर साल बजट में जनता को एक फि सबसे यादा सताती है कि आखिर सरकार किन चीजों पर कर लगाएगी, लेकिन इस बार प्रदेश की जनता इस चिंता से अगले एक साल तक के लिए मुक्त हो गई है। सरकार ने बजट में ऐलान कर दिया है कि इस बार कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा और न ही किसी टैक्स की दर में बढ़ोतरी की जाएगी।

प्रदेश को मिलेगी 2441 नई सड़कें- बजट 2021-22 में प्रदेश के डेवलपमेंट पर सरकार का खासा ध्यान रहा। प्रदेश में 2441 नई सड़कें, 65 नये पुल, 105 आरओबी बनाए जाएंगे। इसी के ही साथ पीडब्ल्यूडी के लिए 7341 करोड़ की बजट रखा गया।

शिक्षा पर खर्च होंगे 1500 करोड़ रुपए- स्कूलों के लिए इस बार सरकार ने 1500 करोड़ का बजट रखा गया है। प्रदेश के स्कूलों में 24 हजार 200 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। सीएम राइज योजना के तहत 9200 सर्वसुविधायुक्त स्कूल खोले जाएंगे। इसी के ही साथ 9वीं से 12वीं तक के छात्र-छात्राओं को स्कूल आने-जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था की जाएगी।

गैस पीड़ितों को दोबारा मिलेगी पेंशन- गैस पीड़ितों को मिलने वाली पेंशन बंद कर दी गई थी। सरकार अब दोबारा पेंशन उपलब्ध कराएगी।

नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे- बजट 2021-22 में प्रदेश में 9 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इंदौर-भोपाल और जबलपुर में तीन कैंसर हॉस्पिटल खोले जाएंगे। नर्सिंग की सीटें बढ़ाकर 320 और रूक्चक्चर की सीटें साल 2022-23 तक 3250 की जाएंगी।

मध्य प्रदेश पुलिस को मिली सौगात- इस बजट में पुलिसकर्मियों को खुश करने के लिए सरकार ने बहुत सी घोषणाएं की हैं। भोपाल में पुलिस अस्पताल खोला जाएगा। हर जिले में महिला पुलिस थाना खोला जाएगा। साथ ही प्रदेश में पुलिसकर्मियों को आवास देने के लिए 24000 भवनों का निर्माण किया जाएगा।

जल जीवन मिशन- इसके तहत हर घर में जल पहुंचाने का संकल्प लिया गया। गांव और शहरों को घर-घर नल के जरिए पानी पहुंचाने के लिए बजट को साढ़े तीन गुना बढ़ा दिया गया है। अब इस पर 5962 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। जल जीवन मिशन के माध्यम महिलाओं के जीवन मे बदलाव आएगा। जल संसाधन विभाग के लिए अनुमान बजट 6436 करोड़। नर्मदा घाटी विभाग के लिए अनुमान बजट 3680 करोड़। 5000 करोड़ की लागत से 9 हजार नल जल योजनाएं।

किसानों पर फोकस- किसानों को हर साल 10 हजार रुपये मिलेंगे। इसमें 6 हजार केंद्र सरकार और 4 हजार राय सरकार देगी। सहकारी बैंको द्वारा किसानों को 0 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है।

Scanned with CamScanner

मुंबई में परमबीर का परमतीर

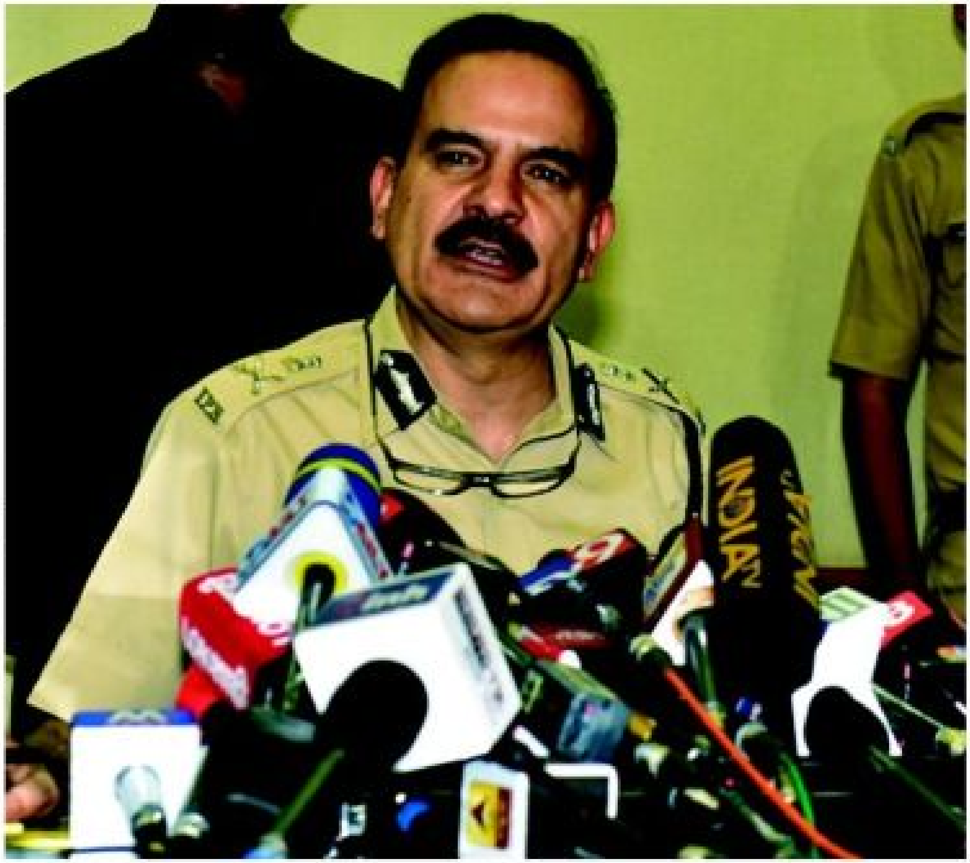

डॉ. वेदप्रताप वैदिक

मुंबई के जो पुलिस कमिश्नर रहे, ऐसे परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को जो चिट्ठी भेजी है, उसने हिंदुस्तान की राजनीति को नंगा करके रख दिया है। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने पुलिस के सहायक सब-इंस्पेक्टर को आदेश दिया था कि वह उन्हें कम से कम 100 करोड़ रु. हर महीने लोगों से उगाहकर दे। इस सब-इंस्पेक्टर का नाम है- अनिल वाजे।

वाजे को अभी इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि उसे उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर बारूद से भरी कार खड़ी करने के लिए जिम्मेदार पाया गया है। इतना ही नहीं, उस कार के मालिक मनसुख हीरेन की हत्या में भी उसका हाथ होने का संदेह है। वाजे को कई वर्ष पहले भी संगीन अपराधों में लिप्त पाया गया था। गृहमंत्री देशमुख ने वाजे को पैसा बटोरने की तरकीब भी बताई थी। उन्होंने उससे कहा था कि मुंबई में 1750 रेस्तरां और शराबवाले हैं। यदि एक-एक से दो-दो तीन-तीन लाख रु. भी वसूले तो 40-50 करोड़ रु. तो ऐसे ही हथियाए जा सकते हैं। यह बात वाजे ने परमबीर को उसी दिन बता दी थी। परमबीर ने अपनी इस जानकारी के प्रमाण भी दिए हैं।

वाजे था तो मामूली इंस्पेक्टर के पद पर लेकिन उसकी सीधी पहुंच गृहमंत्री और मुख्यमंत्री तक थी। वाजे जब राष्ट्रीय जांच एजेंसी के फंदे में फंस गया तब भी मुख्यमंत्री ठाकरे उसको बचाते रहे और परमबीर सिंह का तबादला कर दिया। परमबीर सिंह अपने नाम के मुताबिक वाकई परमबीर साबित हुए, उन्होंने सरकारी पद पर रहते हुए भी मुख्यमंत्री को ऐसा खत लिख दिया, जो महाराष्ट्र की संयुक्त सरकार के लिए परमतीर (अग्निबाण) सिद्ध हो सकता है। अब उस पत्र की प्रमाणिकता पर ही संदेह व्यक्त किया जा रहा है लेकिन गृहमंत्री उस पर मानहानि का मुकदमा चलाएंगे, यही सिद्ध करता है कि पत्र में कुछ न कुछ दम जरूर है।

यह पत्र महाराष्ट्र की ही नहीं, हमारे देश की राजनीति की भी असलियत को उजागर कर देता है। देश में कोई पार्टी और नेता ऐसा नहीं है, जो यह दावा कर सके कि उसका दामन साफ है। राजनीति आज काजल की कोठरी बन चुकी है। साम, दाम, दंड, भेद के बिना वह चल ही नहीं सकती। भर्तृहरि ने हजार साल पहले ठीक ही कहा था कि राजनीति नित्यव्यया, नित्यधनागमा है।

राजनीति में यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको खुशामदी, नौटंकीबाज, घोर स्वार्थी होना बेहद जरूरी है। पता नहीं, इस राजनीति का शुद्धिकरण कौन करेगा, कैसे करेगा और कब करेगा?

Scanned with CamScanner

केन–बेतवा नदी जोड़ परियोजना को मिली मंजूरी

एक प्रधानमंत्री के सपने को दूसरे ने किया साकार

प्रमोद भार्गव

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपयी ने नदी जोड़ो अभियान की जो परिकल्पना की थी उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साकार कर दिया है। मोदी की मौजदूगी में मध्य-प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान और उत्तर-प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश की पहली अंतरराज्यीय नदी जोड़ो परियोजना के तहत केन और बेतवा नदियों को जोड़ने वाले समझौता-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह पूरी प्रयिा वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए संपन्न हुई। यह कार्यक्रम जल शक्ति अभियान कैच द रन की शुरूआत करने के दौरान हुई। इस मौके पर मोदी ने कहा कि /वाजपेयी जी ने उत्तर-प्रदेश और मध्य-प्रदेश के लाखों परिवारों के कल्याण के लिए जो सपना देखा था, उसे मूर्त रूप दे दिया गया है।

बाढ़ और सूखे से परेशान देश में नदियों के संगम की परियोजना मूर्त रूप लेने जा रही है, यह देशवासियों के लिए प्रसन्नता की बात है। 5500 अरब रुपए की इस परियोजना को जोड़ने का अभियान सफल होता है तो भविष्य में 60 अन्य नदियों के मिलन का रास्ता खुल जाएगा। दरअसल बढ़ते वैश्विक तापमान, जलवायु परिवर्तन और बदलते वर्षा च के चलते जरूरी हो गया है कि नदियों के बाढ़ के पानी को इकट्ठा किया जाए और फिर उसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में नहरों के जरिए भेजा जाए। ऐसा संभव हो जाता है तो पेयजल की समस्या का निदान तो होगा ही, सिंचाई के लिए भी किसानों को पर्याप्त जल मिलने लग जाएगा। वैसे भी भारत में विश्व की कुल आबादी के करीब 18 प्रतिशत लोग रहते हैं और उपयोगी जल की उपलब्धता महज 4 प्रतिशत है। हालांकि पर्यावरणविद् इस परियोजना का यह कहकर विरोध कर रहे हैं कि नदियों को जोड़ने से इनकी अविरलता खत्म होगी, नतीजतन नदियों के विलुप्त होने का संकट बढ़ा जाएगा।

कृत्रिम रूप से जीवनदायी नर्मदा और मोक्षदायिनी क्षिप्रा नदियों को जोड़ने का काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान पहले ही कर चुके हैं। चूंकि ये दोनों नदियां मध्य-प्रदेश में बहती थीं, इसलिए इन्हें जोड़ा जाना संभव हो गया था। केन और बेतवा नदियों को जोड़ने की तैयारी में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारें बहुत पहले से जुटी थीं। इस परियोजना को वर्ष 2005 में मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन पानी के बंटवारे को लेकर विवाद बना हुआ था। उप्र को रबी फसल के लिए 547 मिलियन क्यूबिक मीटर

Scanned with CamScanner

(एमसीएम) और खरीद फसल के लिए 1153 एमसीएम पानी देना तय हुआ था। मुख्य विवाद रबी फसल के लिए पानी देने को लेकर था। अप्रैल 2018 में उप्र ने इस फसल के लिए 700 एमसीएम पानी की मांग रखी, जो बाद में 788 एमसीएम तक पहुंच गई। इस पर सहमति बनती इससे पहले उप्र ने जुलाई 2019 में पानी की मांग बढ़ाकर 930 एमसीएम कर दी। मप्र इतना पानी देने को तैयार नहीं हुआ, लिहाजा विवाद बना रहा। किंतु अब केंद्र और दोनों प्रदेशों की सरकारें भारतीय जनता पार्टी की होने के चलते 35,111 करोड़ रुपए की इस परियोजना को मंजूरी मिल गई है। परियोजना में पांच-पांच फीसदी राशि राज्य सरकारें खर्च करेंगी और 90 प्रतिशत की बड़ी राशि केंद्र सरकार देगी।

केन नदी जबलपुर के पास कैमूर की पहाड़ियों से निकलकर 427 किमी उत्तर की ओर बहने के बाद बांदा जिले में यमुना नदी में जाकर गिरती है। वहीं बेतवा नदी मध्य-प्रदेश के रायसेन जिले से निकलकर 576 किमी बहने के बाद उत्तर-प्रदेश के हमीरपुर में यमुना में मिलती है। केन-बेतवा नदी जोड़ो योजना की राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण (एनडब्ल्यूडीएद्ध की रिपोर्ट के अनुसार डोढ़न गांव के निकट 9000 हेक्टेयर क्षेत्र में एक बांध बनाया जाएगा। इसके डूब क्षेत्र में छतरपुर जिले के बारह गांव आएंगे। इनमें पांच गांव आंशिक रूप से और सात गांव पूर्ण

तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी की नदी जोड़ो परियोजना पर अमली जामा पहनाया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने। जिन्होंने केन बेतवा लिंक परियोजना की शुरूआत की है।

परियोजना की बाधाएं

इस परियोजना में वन्य जीव समिति बड़ी बाधा के रूप में पेश आ ही रही है, यह आशंका भी जताई जा रही है कि परियोजना पर क्रियान्वयन होता है तो नहरों एवं बांधों के लिए जिस उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, वह नष्ट हो जाएगी। इस भूमि पर फिलहाल जौ, बाजरा, दलहन, तिलहन, गेहूं, मूंगफली, चना जैसी फसलें पैदा होती हैं। इन फसलों में ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। जबकि ये नदियां जुड़ती हैं, तो इस पूरे इलाके में धान और गन्ने की फसलें पैदा करने की उम्मीद बढ़ जाएगी। परियोजना को पूरा करने का समय 9 साल बताया जा रहा है। लेकिन हमारे यहां भूमि अधिग्रहण और वन भूमि में स्वीकृति में जो अड़चनें आती हैं, उनके चलते परियोजना 20-25 साल में भी पूरी हो जाए तो यह बड़ी उपलब्धि होगी? दोनों प्रदेशों की सरकारें दावा कर रही हैं कि यदि ये नदियां परस्पर जुड़ जाती हैं तो मध्य-प्रदेश और उत्तर-प्रदेश के सूखाग्रस्त बुंदेलखण्ड क्षेत्र में रहने वाली 70 लाख आबादी खुशहाल हो जाएगी। यही नहीं नदियों को जोड़ने का यह महाप्रयोग सफल हो जाता है तो अन्य 60 नदियों को जोड़ने का सिलसिला भी शुरू हो सकता है ? नदी जोड़ो कार्यक्रम मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस परियोजना के तहत उत्तर-प्रदेश के हिस्से में आने वाली पर्यावरण संबंधी बाधाओं को दूर कर लिया गया है। मध्य-प्रदेश में जरूर अभी भी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान बाधा बना हुआ है और जरूरी नहीं कि जल्दी यहां से मंजूरी मिल जाए? वन्य जीव समिति इस परियोजना को इसलिए मंजूरी नहीं दे रही है, क्योंकि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान बाघों के प्रजनन, आहार एवं आवास का अहम् वनखंड है। इसमें करीब 28 बाघ बताए जाते हैं। अन्य प्रजातियों के प्राणी भी बड़ी सं या में हैं। हालांकि मध्य-प्रदेश और केंद्र में एक ही दल भाजपा की सरकारें हैं, लिहाजा उम्मीद की जा सकती है कि बाधाएं जल्दी दूर हो जाएं?

Scanned with CamScanner

केन बेतवा लिंक परियोजना को अंतिम रूप देते हुए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ।

रूप से डूब में आएंगे। कुल 7000 लोग प्रभावित होंगे। इन्हें विस्थापित करने में इसलिए समस्या नहीं आएगी, क्योंकि ये ग्राम जिन क्षेत्रों में आबाद हैं, वे पहले से ही वन-संरक्षण अधिनियम के तहत अधिसूचित हैं। इस कारण रहवासियों को भूमि-स्वामी होने के बावजूद जमीन पर खेती से लेकर खरीद-बिक्री में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ग्रामीण यह इलाका मुआवजा लेकर आसानी से छोड़ देंगे। ऐसा दावा प्राधिकरण की रिपोर्ट में किया गया है। जबकि सच्चाई यह है कि इन ग्रामों में कमजोर आय वर्ग और अनुसूचित व अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। इन लाचारों को समर्थों की अपेक्षा विस्थापित करना आसान होता है।

इस परियोजना के बहुआयामी होने के दावे किए जा रहे हैं। बांध के नीचे दो जल-विद्युत संयंत्र लगाए जाएंगे। 220 किलोमीटर लंबी नहरों का जाल बिछाया जाएगा। ये नहरें छतरपुर, टीकमगढ़ और उत्तरप्रदेश के महोबा एवं झांसी जिले से गुजरेंगी। जिनसे 60,000 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई होगी। विस्थापन और पुनर्वास के लिए 213.11 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की जरूरत पड़ेगी, जिसका इंतजाम मंजूरी के साथ केंद्र सरकार ने कर दिया है। बावजूद देश में आज तक विस्थापितों का पुनर्वास और मुआवजा किसी भी परियोजना में संतोषजनक नहीं हुआ है। नर्मदा बांध की डूब में आने वाले हरसूद के लोग आज भी मुआवजे और उचित पुनर्वास के लिए भटक रहे हैं। कमोबेश यही अन्याय मध्य-प्रदेश के ही कूनो-पालपुर अभ्यारण्य के विस्थापितों के साथ हुआ है।

डीपीआर के मुताबिक उत्तर-प्रदेश को केन नदी का अतिरिक्त पानी देने के बाद मध्य-प्रदेश करीब इतना ही पानी बेतवा की ऊपरी धारा से निकाल लेगा। परियोजना के दूसरे चरण में मध्य-प्रदेश चार बांध बनाकर रायसेन और विदिशा जिलों में नहरें बिछाकर सिंचाई के इंतजाम करेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि इन प्रबंधनों से केन में अकसर आने वाली बाढ़ से बर्बाद होने वाला पानी बेतवा में पहुंचकर हजारों एकड़ खेतों में फसलों को लहलहाएगा। मध्य-प्रदेश का यही वह मालवा क्षेत्र है, जहां की मिट्टी उपजाऊ होने के कारण सोना उगलती है। इस क्षेत्र में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो जाता है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि खेत साल में 2 से लेकर 3 फसलें तक देने लग जाएंगे ? लेकिन मालवा की जो बहुफसली भूमि बांध और नहरों में नष्ट होगी, उससे होने वाले नुकसान का आकलन प्राधिकरण के पास नहीं है ?

देश की विभिन्न नदियों को जोड़ने का सपना स्वतंत्रता प्राप्ती के तुरंत बाद देखा गया था। इसे डॉ मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, डॉ राममनोहर लोहिया, अटलबिहारी वाजपेयी

Scanned with CamScanner

केन-बेतवा नदी लिंक प्रोजेक्ट को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त

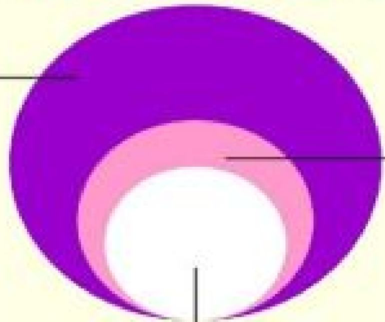

कुल जलमग्न भूमि **9,000** हेक्टेयर

पन्ना टाइगर रिजर्व के अंतर्गत कुल भू-क्षेत्र **4,141** हेक्टेयर

वन भूमि **5,258** हेक्टेयर

1585 परिवारों को विस्थापित किया जाएगा

इस रिज़र्व में **30** बाघ हैं। यह तेंदुओं, गिद्धों की संकटग्रस्त प्रजातियों, भालू और घड़ियालों का भी आवास स्थल है।

यह देश में पहला अंतर्राज्यीय नदी लिंक प्रोजेक्ट है।

इसके द्वारा मध्य प्रदेश के पन्ना, छतरपुर तथा टीकमगढ़ जिले और उत्तर प्रदेश के बाँदा, महोबा व झाँसी जिलों की **6.35** लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जायेगी।

80

के दशक में प्रोजेक्ट पर विचार किया गया था।

1999-2004

अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन सरकार के दौरान इस पर कार्य शुरू किया।

2005

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और केंद्र ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किये।

2007

केन बेतवा नदी लिंक प्रोजेक्ट ने पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त की।

और डॉ एपीजे अब्दुल कलाम जैसी हस्तियों का समर्थन मिलता रहा है। हालांकि परतंत्र भारत में नदियों को जोड़ने की पहली पहल ऑर्थर कॉटन ने बीसवीं शताब्दी के पहले दशक में की थी। लेकिन इस माध्यम से फिरंगी हुकूमत का मकसद देश में गुलामी के शिकंजे को और मजबूत करने के साथ, बहुमूल्य प्राकृतिक संपदा का दोहन भी था। क्योंकि उस समय भारत में सड़कों और रेल-मार्गों की संरचना पहले चरण में थी, इसलिए अंग्रेज नदियों को जोड़कर जल-मार्ग विकसित करना चाहते थे। हालांकि आजादी के बाद 1971-72 में तत्कालीन केंद्रीय जल एवं ऊर्जा मंत्री तथा अभियंता डॉ कनूरी लक्ष्मण राव ने गंगा-कावेरी को जोड़ने का प्रस्ताव भी बनाया था। राव खुद जवाहरलाल नेहरु, लालबहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी की सरकारों में जल संसाधन मंत्री भी रहे थे। लेकिन जिन सरकारों में राव मंत्री रहे,उन सरकारों ने इस महत्वाकांक्षी प्रस्ताव को कभी गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जानते थे कि नदियों को जोड़ना आसान तो है ही नहीं, यदि यह परियोजना अमल में लाई जाती है, तो नदियों की अविरलता खत्म होने की आशंका भी इन दूरदृष्टाओं को थी।

करीब 13500 किमी लंबी ये नदियां भारत के संपूर्ण मैदानी क्षेत्रों में अठखेलियां करती हुई मनुष्य और जीव-जगत के लिए प्रकृति का अनूठा और बहूमूल्य वरदान बनी हुई हैं। 2528 लाख हेक्टेयर भू-खण्डों और वन प्रांतरों में प्रवाहित इन नदियों में प्रति व्यक्ति 690 घनमीटर जल है। कृषि योग्य कुल 1411 लाख हेक्टेयर भूमि में से 546 लाख हेक्टेयर भूमि इन्हीं नदियों की बदौलत प्रति वर्ष सिंचित की जाकर फसलों को लहलहाती हैं। यदि नदियां जोड़ अभियान के तहत केन-बेतवा नदियां जुड़ जाती हैं तो इनकी अविरल बहने वाली धारा टूट सकती है। /उत्तराखण्ड में गंगा नदी पर टिहरी बांध बनने के बाद एक तरफ तो गंगा की अविरलता प्रभावित हुई, वहीं दूसरी तरफ पूरे उत्तराखण्ड में बादल फटने और भूस्खलन की आपदाएं बढ़ गई हैं। गोया, नदियों को जोड़ने से पहले टिहरी बांध के गंगा पर पड़ रहे प्रभाव और उत्तराखण्ड में बढ़ रही प्राकृतिक आपदाओं का भी आकलन करना जरूरी है? हालांकि केन और बेतवा का प्रवाह ज्यादातर मैदानी क्षेत्रों में है, इसीलिए यहां उत्तराखंड जैसे हालात कभी नहीं बनेंगे । बावजूद बुंदेलखण्ड में जो 4000 तालाब हैं, उन्हें और उनमें मिलने वाली जलधाराओं को संवारा जाए ? इस काम में धन भी कम खर्च होगा और एक-एक कर तालाबों को संवारने में समय भी कम लगेगा। इनके संवरते ही पेयजल व सिंचाई की सुविधाएं भी तत्काल बुंदेलखण्डवासियों को मिलने लग जाएंगी, क्योंकि ज्यादातर तालाब नहरों से पहले से ही जुड़े हुए हैं। हालांकि किसी काल्पनिक डर के चलते किसी महत्वाकांक्षी परियोजना पर ज्यादा शंका-कुशंकाएं न करते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है।

Scanned with CamScanner

जम्मू-कश्मीर में रोहिंग्याओं को बसाने का षड़यंत्र

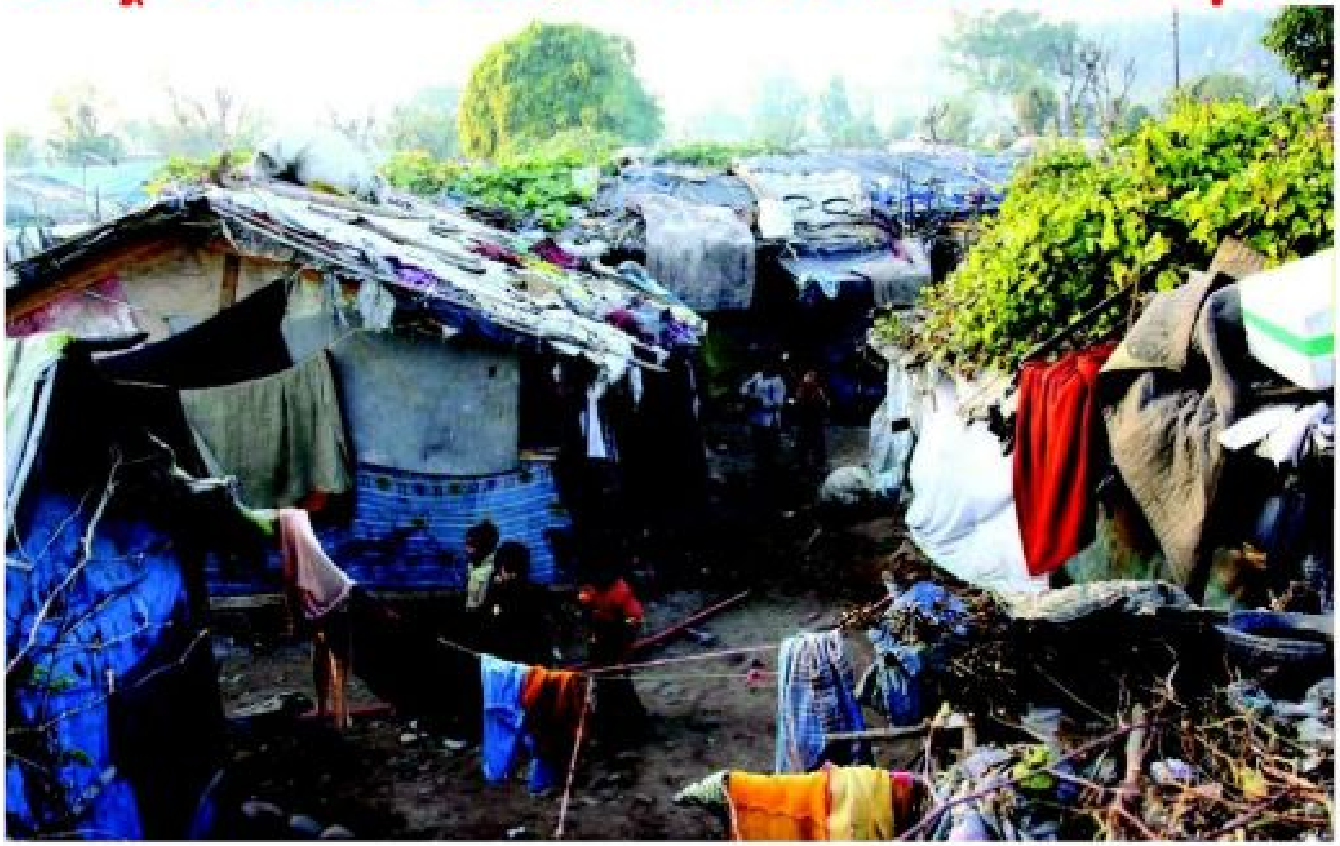

प्रमोद भार्गव

जम्मू-कश्मीर में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे फारूख अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आजाद और उमर अब्दुल्ला ने घाटी के मूल निवासी पंडितों के पुनर्वास की तो कभी चिंता नहीं की, लेकिन म्यांमार से विस्थापित रोहिंग्या मुसलमानों को विधिवत बसाने का इंतजाम जरूर कर दिया। अब इस साजिश का खुलासा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के प्रशासन ने जांच के बाद किया है। इन्हें भारतीय नागरिक बनाने का कानूनी काम ऐसे एनजीओ ने किया जिनके तार नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी से जुड़े होने के साथ यूएई और पाकिस्तान से भी जुड़े थे। इन देशों से हवाला के मार्फत धन मंगाने के सबूत जांच में मिले है। ये सभी शरणार्थी हिंदू व सिख बहुल इलाकों में बसाए गए। एनजीओ ने इन्हें घर भी खरीदकर भी दिए। रोहिंग्याओं के स्थाई तौर से बस जाने पर जब पड़ोसियों को दिक्कतें हुई तो लाचार हिंदु, सिख पुश्तैनी घर बेचकर दूसरी जगह रहने को विवश हुए। इनमें से अधिकांश रोहिंग्या शरणार्थियों को पश्चिम बंगाल के मालदा और आस पास के जिलों के शरणार्थी शिविरों से लाकर बसाया गया था। इन्हें ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में बसाया गया है, जहां ये आतंकियों को शरण देने के साथ भोजन पानी आसानी से दे सकते हैं। कुल 2513 परिवार बसाए गए, जिनमें लोगों की संख्या 5514 है। पिछले तीन दशक से अधिक समय से पाकिस्तान पोषित आतंकवाद से ग्रसित इलाके में सुरक्षा के लिए ये रोहिंग्या खतरनाक बने हुए है।

इन्हें भारतीय नागरिक बनाने का कानूनी काम ऐसे एनजीओ ने किया जिनके तार नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी से जुड़े होने के साथ यूएई और पाकिस्तान से भी जुड़े थे।

भारत सरकार रोहिंग्यों समेत सभी

Scanned with CamScanner

अवैध प्रवासियों के प्रति सख्ती दिखाते हुए संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग (यूएनएचसीआर) की ओर से जारी होने वाले शरणार्थी पहचान-पत्र की मान्यता दो साल पहले रद्द कर दी है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी सरकार के दबाव में म्यांमार सरकार ने भारत से अनुरोध किया है कि यहां अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों की पहचान की पुष्टि के लिए जरूरी पहल की जाए। इस मकसद की पूर्ति के लिए दिल्ली स्थित म्यांमार दूतावास ने भारत सरकार को दो भाषाओं वाले फार्म का नया प्रारूप उपलब्ध कराया है, ताकि स्थानीय भाषा की जानकारी के आधार पर शरणार्थियों की पहचान तय की जा सके। इस नजरिए से भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को शरणार्थियों अथवा घुसपैठियों की मूलभाषा के आधार पर नए सिरे से आंकड़े जुटाने के निर्देश दिए हैं। ये दोनों ऐसे आगे बढ़ाए गए कदम हैं, जिनसे इन

1951 के संयुक्त राष्ट्र समझौते पर भारत ने दस्तखत ही नहीं किए हैं। इस कारण यह समझौता भारत पर लागू नहीं होता है। इनमें से केवल उन लोगों के आधार कार्ड बनेंगे, जिन्हें शरणार्थी के रूप में भारत सरकार ने भारत में रहने की इजाजत दी है।

प्रवासियों की वापसी आसान होगी। गृह मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि रोहिंग्याओं सहित अवैध रूप से देश में रह रहे सभी लोगों के राज्य सरकारों की ओर से जारी किए गए मतदाता पहचान-पत्र, राशन-कार्ड, आधार-कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस आदि को रद्द करने को कहा है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों और राज्य गृह मंत्रालयों को जारी विशेष पत्र में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी शरणार्थी कार्ड भारत में कोई महत्व नहीं रखता है। क्योंकि इस बाबत शरणार्थियों के विषय को लेकर हुए 1951 के संयुक्त राष्ट्र समझौते पर भारत ने दस्तखत ही नहीं किए हैं। इस कारण यह समझौता भारत पर लागू नहीं होता है। इनमें से केवल उन लोगों के आधार कार्ड बनेंगे, जिन्हें शरणार्थी के रूप में भारत सरकार ने भारत में रहने की इजाजत दी है। मालूम हो भारत में रोहिंग्याओं के अलावा बांग्लादेशी और अफगानी घुसपैठिए भी बड़ी संख्या में रह रहे हैं। साफ है इन घुसपैठियों की पहचान ठीक से होती है तो सभी घुसपैठियों का देश निकाला आसान हो जाएगा।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के अनुसार 14,000 रोहिंग्या भारत में रह रहे हैं। जबकि इनके अनाधिकृत तौर से रहने की

Scanned with CamScanner

संख्या करीब 40,000 है। भारत में गैरकानूनी ढंग से घुसे रोहिंग्या किस हद तक खतरनाक साबित हो रहे हैं, इसका खुलासा अनेक रिपोर्टों में हो चुका है, बावजूद भारत के कथित मानवाधिकारवादी इनके बचाव में बार-बार आगे आ जाते हैं। जबकि दुनिया के सबसे बड़े और प्रमुख मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि म्यांमार से पलायन कर भारत में शरणार्थी बने रोहिंग्या मुसलमानों में से अनेक ऐसे हो सकते हैं, जिन्होंने म्यांमार के अशांत रखाइन प्रांत में हिंदुओं का नरसंहार किया हैं? रोहिंग्याओं ने 25 अगस्त 2017 को इस प्रांत के दो ग्रामों में 99 हिंदुओं की निर्मम हत्या कर उन्हें धरती में दफन कर दिया था। रोहिंग्या आतंकियों ने अगस्त 2017 में रखाइन में पुलिस चौकियों के साथ म्यांमार के गैरमुस्लिम बौद्ध और हिंदुओं पर कई जानलेवा हमले किए थे। इस हमले में हजारों बौद्ध और हिंदु मारे गए थे। नतीजतन म्यांमार सेना ने व्यापक स्तर पर आतंकियों के खिलाफ अभियान चलाया। जिसके परिणामस्वरूप करीब 7 लाख रोहिंग्याओं को पलायन करना पड़ा। इनमें से 40,000 से भी ज्यादा भारत में घुसपैठ करके शरण पाने में सफल हो गए, शेष बांग्लादेश चले गए। संयुक्त राष्ट्र ने सेना की इस कार्रवाई को जातीय सफाया करार दिया था। सैनिकों पर रोहिंग्याओं की हत्या और उनके गांव नेस्तनाबूद करने के आरोप लगे थे। इसके उलट सेना ने भी रोहिंग्याओं पर ऐसे ही आरोप लगाए थे। इनमें उत्तरी रखाइन में हिंदुओं के कत्लेआम का मामला भी शामिल है। बाद में संगठन की रिपोर्ट से पुष्टि हुई है कि रोहिंग्याओं ने दो ग्रामों मोंगडाव और मंगसेक में 99 हिंदुओं को मार डाला था। इनमें यादातर महिला और बच्चे थे। संगठन को यह जानकारी इन ग्रामों में किसी तरह बचे रह गए आठ हिंदुओं ने दी थी।

देश में करीब 40,000 रोहिंग्या रहे रहे हैं, जो सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। इनमें से कई आतंकवाद में लिप्त हैं।

दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने रोहिंग्या मुसलमानों को देश में नहीं रहने देने की नीति पर शीर्ष अदालत में एक हलफनामा देकर साफ कर दिया था कि रोहिंग्या गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल हैं। ये अपने साथियों के लिए फर्जी पेनकार्ड, वोटर आईडी और आधार कार्ड उपलब्ध करा रहे हैं। कुछ रोहिंग्या मानव तस्करी में भी लिप्त हैं। इन पर इंसानी मांस खाने के भी आरोप हैं। मांस खाते हुए ये यूट्यूब पर देखे जा सकते हैं। देश

Scanned with CamScanner

जम्मू-कश्मीर में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या जाएंगे वापस?

में करीब 40,000 रोहिंग्या रहे रहे हैं, जो सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। इनमें से कई आतंकवाद में लिप्त हैं। इनके पाकिस्तान और आतंकी संगठन आईएस से भी संपर्क हैं। ये संगठन देश में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। देश में जो बौद्ध धर्मावलंबी हजारों साल से शांतिपूर्वक रह रहे हैं, उनके लिए भी ये हिंसा का सबब बन सकते हैं। 2015 में बोधगया में हुए बम विस्फोट में पाकिस्तान स्थित आंतकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने रोहिंग्या मुस्लिमों को आर्थिक मदद व विस्फोटक सामग्री देकर इस घटना को अंजाम दिया था। वैसे भी भारत के किसी भी हिस्से में रहने व बसने का मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को है, घुसपैठियों को नहीं। किसी भी पीड़ित समुदाय के प्रति उदारता मानवीय धर्म है, लेकिन जब घुसपैठिए देश की सुरक्षा और मूल्य भारतीय समुदायों के लिए ही संकट बन जाएं, तो उन्हें खदेड़ा जाना ही बेहतर है।

गृह राज्य मंत्री किरण रिजीजू ने संसद में जानकारी दी थी, कि सभी राज्यों को रोहिंग्या समेत सभी अवैध शरणार्थियों को वापस भेजने का निर्देश दिया है। सुरक्षा खतरों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। आशंका जताई गई है कि जम्मू के बाद सबसे ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थी हैदराबाद में रहते हैं। केंद्र और राज्य सरकारें जम्मू-कश्मीर में रह रहे यांमार के करीब 15,000 रोहिंग्या मुसलमानों की पहचान करके उन्हें अपने देश वापस भेजने के तरीके तलाश रही है। रोहिंग्या मुसलमान ज्यादातर जम्मू और सा बा जिलों में रह रहे हैं। इसी तरह आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में 3800 रोहिंग्यों के रहने की पहचान हुई है। ये लोग म्यांमार से भारत-बांग्लादेश सीमा, भारत-म्यांमार सीमा या फिर बंगाल की खाड़ी पार करके अवैध तरीके से भारत आए हैं। आंध्र प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के अलावा असम, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर लगभग 40,000 रोहिंग्या भारत में रह रहे हैं। ? 2012 से देश में इन्होंने अवैध तरीकों से देश में प्रवेश शुरू किया, जो अभी भी जारी है।

जम्मू-कश्मीर देश का ऐसा प्रांत है, जहां इन रोहिंग्या मुस्लिमों को वैध नागरिक बनाने के उपाय तत्कालीन महबूबा मुफ्ती सरकार द्वारा दिए गए थे। इसलिए अलगाववादी इनके समर्थन में उतर आए थे। इसी प्रेरणा से श्रीनगर, जबलपुर और लखनऊ में इनके पक्ष में प्रदर्शन भी हुए थे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को प्रस्तुत शपथ-पत्र में साफ कहा था कि रोहिंग्या शरणार्थियों को संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत देश में कहीं भी आने-जाने, बसने जैसे मूलभूत अधिकार नहीं दिए जा सकते। ये अधिकार सिर्फ देश के नागरिकों को ही प्राप्त हैं। इन अधिकारों के संरक्षण की मांग को लेकर रोहिंग्या सुप्रीम कोर्ट में गुहार भी नहीं लगा सकते, क्योंकि वे इसके दायरे में नहीं आते हैं। जो व्यक्ति देश का नागरिक नहीं है, वह या उसके हिमायती देश की अदालत से शरण कैसे मांग सकता है? जाहिर है, इनका देश में रहना सुरक्षा को गंभीर खतरा बना हुआ है।

Scanned with CamScanner

फ्रेडरिक इरीना: गौ-सेवा के मामले में मिसाल बनीं जर्मन महिला

देवेन्द्रराज सुथार

दुनिया भर में ब्रजवासियों और ब्रज को गौ-सेवा के लिए जाना जाता है, लेकिन गौ समाधि स्थल के लिए जर्मन महिला फ्रेडरिक इरीना ब्रूनिंग लंबी लड़ाई लड़ रही हैं। इससे पहले ब्रज में इस तरह की मांग शायद ही किसी ने की होगी। उनके द्वारा छह महीने पहले जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया था। जिसमें मृत गायों के लिए भूमि आवंटन का प्रस्ताव रखा गया था। जिलाधिकारी ने इस प्रस्ताव पर विचार का आश्वासन दिया था लेकिन अभीतक किसी तरह की प्रगति नहीं हुई है।

बूढ़ी होने के बाद गाय जब दूध देना बंद कर देती है, तब लोग उसे छोड़ देते हैं। ऐसे में फ्रेडरिक इरीना ब्रूनिंग गायों को एक जगह लाकर उनकी सेवा करती हैं। वह बीमार और घायल गायों का उपचार करती हैं और उन्हें अपनी गौशाला में रखती हैं। उन्हें दूरदराज से फोन आते हैं। वह बीमार और घायल गायों को ले आती हैं अगर वह किसी तरह उन्हें बचा नहीं पातीं और गाय मर जाती है तो गाय को समाधि देने का संकट खड़ा हो जाता है। वह पास में वन विभाग की जमीन पर गायों को समाधि देती हैं। लोग इस पर नाराजगी जताते हैं। उनके झगड़े होते हैं, केस हो जाते हैं। यहां तक कि उन्हें हाईकोर्ट में भी इसके लिए मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है। वह चाहती हैं कि गायों की समाधि के लिए स्थान तय किया जाए।

उल्लेखनीय है कि फ्रेडरिक इरीना ब्रूनिंग का जन्म 2 मार्च, 1958 को जर्मनी के बर्लिन शहर में हुआ था। इनके प्रेरणादायी कार्यों के लिए लोग इन्हें बछड़ों की मां कहते हैं और ब्रज समेत पूरे भारतवर्ष में शुदेवी दासी या सुदेवी माता के नाम से पुकारी जाती है। 1978 में महज 20 साल की उम्र में फ्रेडरिक भारत आई थीं। उस वक्त वह थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया और नेपाल

Scanned with CamScanner

की सैर पर निकली थीं। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि भारत आकर वह यहीं की होकर रह जाएंगी। वह भारत यात्रा के दौरान ब्रज आईं और यहीं रहने लगीं। यहां उन्होंने गाय खरीदी। ब्रज आने के बाद से उनकी जिंदगी बदल गई। उन्होंने न केवल गायों पर आधारित कई किताबें पढ़ीं बल्कि हिंदी भी सीखी। ब्रज में उन्होंने एक गौशाला की शुरुआत की थी। 41 सालों में उन्होंने दस-बीस नहीं बल्कि लाखों गायों की सेवा की है।

फ्रेडरिक इरीना ब्रूनिंग ने अपने देश से 7000 किमी दूर मथुरा में नया धर्म अपना लिया है। वे संन्यासियों-सा जीवन जीती हैं। भगवान का भजन करती हैं और गायों की सेवा। इसके लिए उन्होंने कौन्हाई गांव में 3 एकड़ जमीन किराए पर ली है। सुरभि गौसेवा निकेतन में आसपास कई जिलों से चोटिल, बीमार गाय और बछड़े और गोवंश लाए जाते हैं। डॉक्टरों और सेवकों की टीम उनका इलाज करती है। उन्होंने गोवर्धन के राधाकुंड में राधा सुरभि गोशाला ट्रस्ट में गायों की देखभाल और वहां उनके उपचार का काम करती हैं। वह राधा सुरभि गोशाला ट्रस्ट की अध्यक्ष भी हैं। उनका नाम वर्ष 2019 की शुरुआत में एकबार सुर्खियों में तब आया जब भारत सरकार ने देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में एक पद्म पुरस्कार की सूची में उनका नाम शामिल किया। गायों की सेवा के लिए उन्हें पद्मश्री स मान दिया गया है।

वर्तमान में फ्रेडरिक के पास 1200 गायें हैं, जो दूध नहीं देतीं। वह गौ सेवा के काम में हर महीने 25 लाख रुपये खर्च करती हैं। कुछ पैसा उन्हें दान से मिल जाता है, तो कुछ पैसा वह अपनी पुश्तैनी संपत्ति से इस्तेमाल करती हैं। उनकी गौशाला में करीब 60 लोग काम करते हैं। लोग भी गाय की सेवा के लिए दान करते हैं। फ्रेडरिक की संपत्ति बर्लिन में स्थित है। वहां से आने वाले किराए के पैसों से वह गौशाला का खर्चा निकालती हैं। फ्रेडरिक के पिता जर्मनी के एक बड़े अधिकारी भी रहे थे। उनके पिता ने दिल्ली स्थित जर्मन दूतावास में भी कार्य किया। वो भी लगातार राधाकुंड में गौसेवा के लिए आते रहे।

भारत में माता कही जाने वाली गाय आज तिल-तिल मरने को मजबूर है। सड़क हादसे में रोजाना पांच से छह गौवंश चोटिल हो रहे हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। गोशालाओं में लावारिस गायों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इनमें ज्यादातर वे हैं जो रात के समय सड़कों पर दुर्घटना में घायल हो रही हैं। इलाज के अभाव में ये गायें दम तोड़ रही हैं। ऐसे में गौसेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाली फ्रेडरिक इरीना ब्रूनिंग नजीर हैं।

Scanned with CamScanner

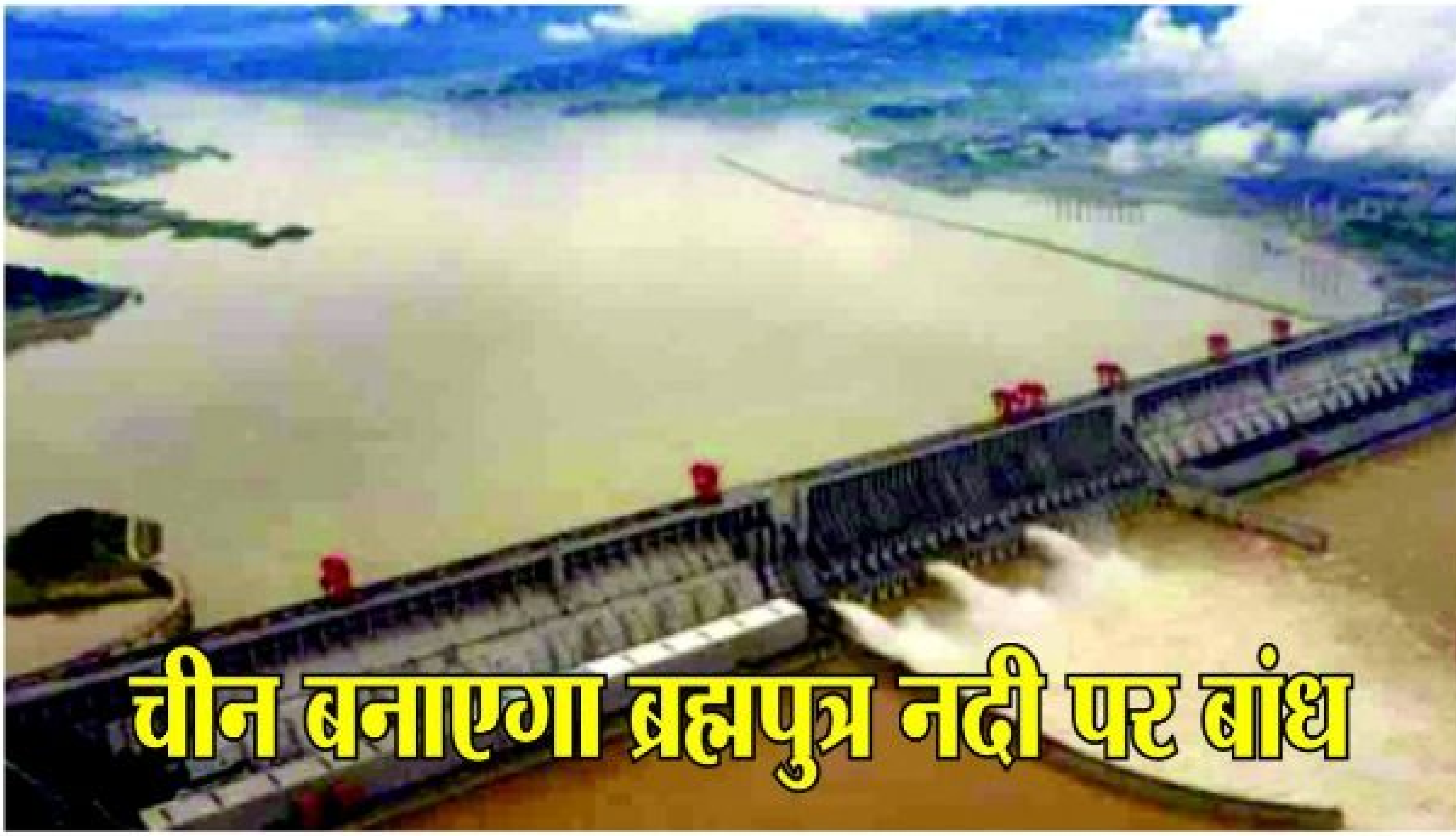

चीन बनाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध

प्रमोद भार्गव

भारतीय आक्रामकता के चलते सीमा पर अपने नापाक मंसूबों पर पानी फिरने के बाद भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत की आपत्ति के बावजूद उसने ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने की 14वीं पंचवर्षीय परियोजना को संसद में मंजूरी दे दी है। इसमें तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर विवादास्पद बांध निर्माण के प्रस्ताव समेत अरबों डॉलर की कई बड़ी योजनाओं का खाका तैयार किया गया है। तिब्बत क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र पर जिस जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली हैं, वह अरुणाचल-प्रदेश की सीमा से सटे तिब्बत के मेंदोग काउंटी के एकदम निकट है। इस योजना को 2035 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली कछयांग भी मौजूद थे। दरअसल तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के अध्यक्ष शी डल्हा ने चीन सरकार से यह परियोजना जल्द शुरू करने की मांग की थी। इस परियोजना से भारत का चिंतित होना स्वाभाविक है। भारत को शंका है कि बांध के निर्माण से नदी के जल प्रवाह में बाधा आ सकती है। इससे खासतौर से भारत के पुर्वोत्तर राज्यों में सूखे और बाढ़ की स्थिति निर्मित हो सकती है। यही स्थिति बांग्लादेश में भी बन सकती है। इसीलिए दोनों देशों ने इस परियोजना पर घोर आपत्ति जताई। चालाक चीन इस हालातों को कृत्रिम रूप से भी निर्मित कर सकता है।

ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बन जाता है तो चीन इस पानी का इस्तेमाल भारत को परेशान करने की दृष्टि में भी कर सकता है। यदि बारिश में बांध में भरे पानी को वह ज्यादा मात्रा में छोड़ता है तो पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है और यदि चीन सिंचाई के समय पानी रोक देता है तो इन राज्यों को सूखे के हालात का सामना करना होगा। मसलन भारत को दुविधा की स्थिति से दो-चार होते रहना पड़ता रहेगा। एशिया की सबसे लंबी इस नदी की लंबाई 3000 किमी है। तिब्बत से निकलने वाली इस नदी को यहां यारलुंग झांगबो के नाम से जाना जाता है। इसी की सहायक नदी जियाबुकू है। जिस पर चीन हाइड्रो प्रोजेक्ट बना रहा है। दुनिया की सबसे लंबी नदियों में 29वां स्थान रखने वाली ब्रह्मपुत्र 1625 किमी क्षेत्र में तिब्बत में ही बहती है। इसके बाद 918 किमी भारत और 363 किमी की लंबाई में बांग्लादेश में बहती

Scanned with CamScanner

है। तिब्बत के मेंदोग काउंटी में यह परियोजना निर्माणाधीन है। यह स्थल अरुणाचल और सिक्किम के एकदम निकट है। सिक्किम के जाइगस के आगे से ही यह नदी अरुणाचल में प्रवेश करती है। असम में ब्रह्मपुत्र का पाट 10 किमी चौड़ा है। जब यह बांध पूरा बन जाएगा, तब इसकी जल ग्रहण क्षमता 29 करोड़ क्यूबिक मीटर पानी रोकने की होगी। ऐसे में चीन यदि बांध के द्वार बंद रखता है तो भारत के साथ बांग्लादेश को जल की कमी का संकट झेलना होगा और बरसात में एक साथ द्वार खोल देता है तो इन दोनों देशों की एक बड़ी आबादी का बाढ़ का सामना करना होगा। ये हालात इसलिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि जिस ऊंचाई पर बांध बंध रहा है, वह चीन के कब्जे वाले तिब्बत में है, जबकि भारत और बांग्लादेश बांध के निचले स्तर पर हैं। ब्रह्मपुत्र पर बनने वाली यह तिब्बत की सबसे बड़ी परियोजना है। भारत ने इस पर पहले भी चिंता जताई थी, लेकिन चीन ने कतई गौर नहीं किया।

समुद्री तट से 3300 मीटर की ऊंचाई पर तिब्बती क्षेत्र में बहने वाली इस नदी पर चीन ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत तीन पनबिजली परियोजनाओं को भी निर्माण की स्वीकृति दी हुई है। चीन इन बांधों का निर्माण अपनी आबादी के लिए व्यापारिक, सिंचाई, बिजली और पेयजल समस्याओं के निदान के उद्देश्य से कर रहा है, लेकिन उसका इन बांधों के निर्माण की पृष्ठभूमि में छिपा अजेंडा, खासतौर से भारत के खिलाफ रणनीतिक इस्तेमाल भी है। दरअसल चीन में बढ़ती आबादी के चलते इस समय 886 शहरों में से 110 शहर पानी के गंभीर संकट से जूझ रहे हैं। उद्योगों और कृषि संबंधी जरूरतों के लिए भी चीन को बड़ी मात्रा में पानी की जरूरत है। चीन ब्रह्मपुत्र के पानी का अनूठा इस्तेमाल करते हुए अपने शिनजियांग, जांझु और मंगोलिया इलाकों में फैले व विस्तृत हो रहे रेगिस्तान को भी नियंत्रित करना चाहता है। चीन की यह नियति रही है कि वह अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए पड़ोसी देशों की कभी परवाह नहीं करता।

चीन ब्रह्मपुत्र के पानी का मनचाहे उद्देश्यों के लिए उपयोग करता है तो तय है, तय अरुणाचल में जो 17 पनबिजली परियोजनाएं प्रस्तावित व निर्माणाधीन हैं, वे सब अटक जाएंगी। ये परियोजनाएं पूरी हो जाती है और ब्रह्मपुत्र से इन्हें पानी मिलता रहता है तो इनसे 37,827 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इस बिजली से पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में बिजली की आपूर्ति तो होगी ही, पश्चिम बंगाल और ओड़ीसा को भी

Scanned with CamScanner

अरुणाचल बिजली बेचने लग जाएगा। चीन अरुणाचल पर जो टेढ़ी निगाह बनाए रखता है, उसका एक बड़ा करण अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र की जलधारा ऐसे पहाड़ व पठारों से गुजरती है, जहां भारत को मध्यम व लघु बांध बनाना आसान है। ये सभी बांध भविष्य में अस्तित्व में आ जाते हैं और पानी का प्रवाह बना रहता है तो पूर्वोत्तर के सातों राज्यों की बिजली, सिंचाई और पेयजल जैसे बुनियादी समस्याओं का समाधान हो जाएगा।

चीन के साथ सुविधा यह है कि वह अपनी नदियों के जल को समाज और अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानकर चलता है। पानी को एक उपभोक्ता वस्तु मानकर वह उनका अपने हितों के लिए अधिकतम दोहन में लगा है। बौद्ध धर्मावलंबी चीन परंपरा और आधुनिकता के बीच मध्यमार्गी सांमजस्य बनाकर चलता है। जो नीतियां एक बार मंजूर हो जाती हैं, उनके अमल में चीन कड़ा रुख और भौतिकवादी दृष्टिकोण अपनाता है। इसलिए वहां परियोजना के निर्माण में धर्म और पर्यावरण संबंधी समस्याएं रोड़ा नहीं बनती। नतीजतन एक बार कोई परियोजना कागज पर आकार ले लेती है तो वह आरंभ होने के बाद निर्धारित समयवाधि से पहले ही पूरी हो जाती है। इस लिहाज से ब्रह्मपुत्र पर जो 2.5 अरब किलोवाट बिजली पैदा करने वाली परियोजना निर्माणाधीन है, उसके समय से पहले ही पूरी होने की उ मीद है। इसके उलट भारत में धर्म और पर्यावरणीय संकट परियोजनाओं को पूरा होने में लंबी बाधाएं उत्पन्न करते रहते हैं। देश की सर्वोच्च न्यायालयों में भी इस प्रकृति के मामले वर्षों लटके रहते हैं। पर्यावरण संबंधी कागजी खानापूर्ति की जरूरत चीन में नहीं पड़ती है।

2015 में जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन यात्रा पर गए थे, तब असम के तात्कालीन मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने उनसे आग्रह किया था कि ब्रह्मपुत्र नदी के जल बंटवारे के मुद्दे का समाधान निकालें। लेकिन इस मुद्दे पर द्विपक्षीय वार्ता में कोई प्रगति हुई हो, ऐसा देखने में नहीं आया। जबकि चीन और भारत के बीच इस मुद्दे पर विवाद और

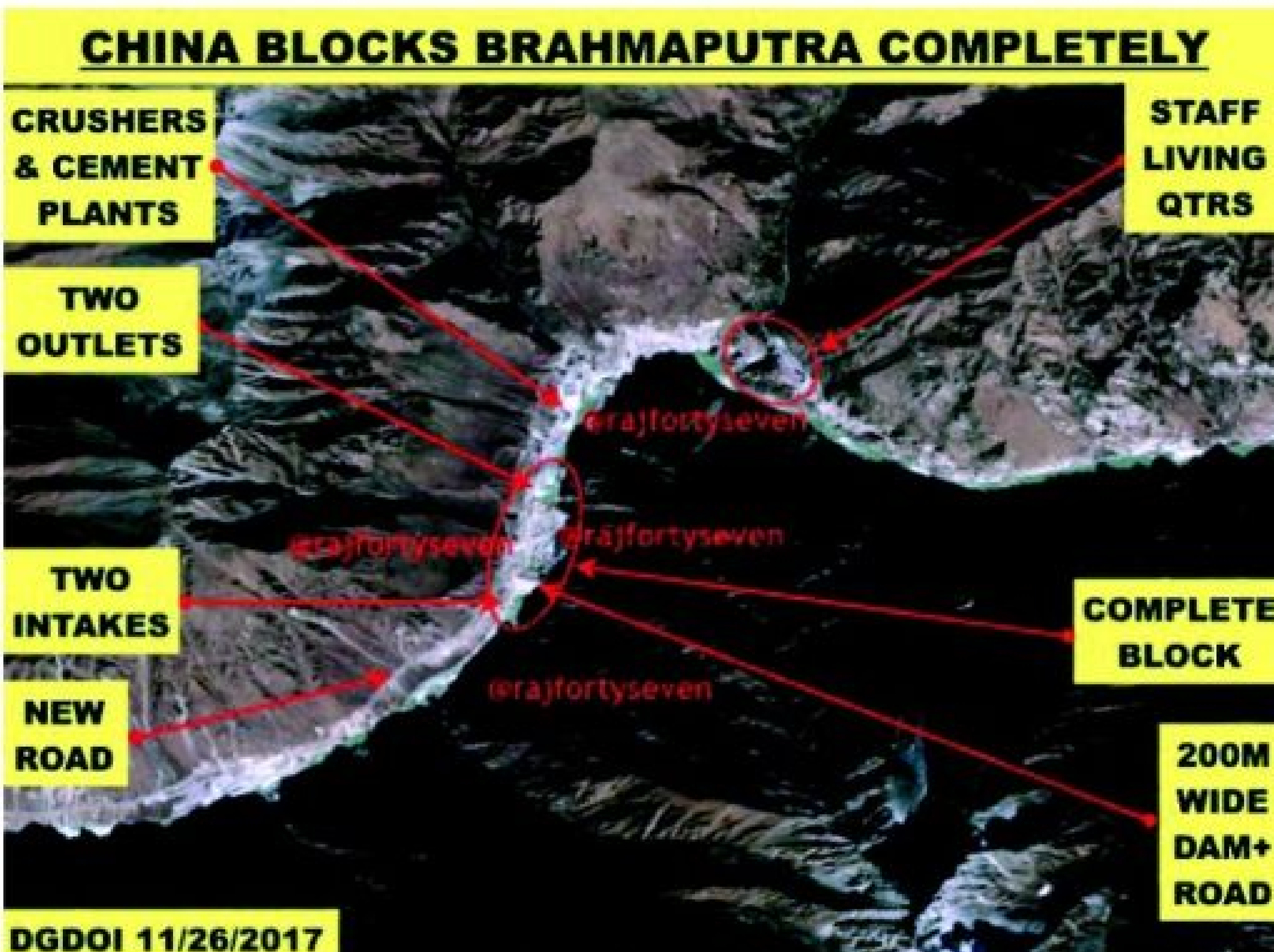

Scanned with CamScanner

टकराव निरंतर बढ़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पानी के उपयोग को लेकर कई संधियां हुई हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र की पानी के उपभोग को लेकर 1997 में हुई संधि के प्रस्ताव पर अमल किया जाता है। इस संधि के प्रारूप में प्रावधान है कि जब कोई नदी दो या इससे ज्यादा देशों में बहती है तो जिन देशों में इसका प्रवाह है, वहां उसके पानी पर उस देश का समान अधिकार होगा। इस लिहाज से चीन को सोची-समझी रणनीति के तहत पानी का मनमाना इस्तेमाल करने का अधिकार है ही नहीं। इस संधि में जल प्रवाह के आंकड़े साझा करने की शर्त भी शामिल है। लेकिन चीन संयुक्त राष्ट्र की इस संधि की शर्तों को मानने के लिए इसलिए बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि इस संधि पर अब तक चीन और भारत ने हस्ताक्षर ही नहीं किए हैं। इसीलिए चीन ने उरी हमले के बाद कूटनीतिक चाल चलते हुए चीन ने मित्र पाकिस्तान को अपने हितों के लिए संजीवनी देते हुए भारत में जलापूर्ति करने वाली ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी जियाबुकू का पानी रोक दिया था। इस नदी पर चीन 74 करोड़ डॉलर (करीब 5 हजार करोड़ रुपए) की लागत से जल विद्युत परियोजना के निर्माण में लगा है। जून 2014 में शुरू हुई यह परियोजना पूरी होने के करीब है। पाकिस्तान ने भारत को धमकी भी दी थी कि अगर भारत ने सिंधु नदी का पानी रोका तो वह चीन के जरिए ब्रह्मपुत्र का पानी रुकवा देगा। उरी हमले के बाद यह आशंका सच भी साबित हुई थी।

2013 में एक अंतरमंत्रालय विशेष समूह गठित किया गया था। इसमें भारत के साथ चीन का यह समझौता हुआ था कि चीन पारदर्शिता अपनाते हुए पानी के प्रवाह से संबंधित आंकड़ों को साझा करेगा। लेकिन चीन ने इस समझौते का पालन नहीं किया। वह जब चाहे तब ब्रह्मपुत्र का पानी रोक देता है, अथवा इकट्ठा छोड़ देता है। पिछले वर्षों में अरुणाचल और हिमाचल प्रदेशों में जो बाढ़ें आई हैं, उनकी पृष्ठभूमि में चीन द्वारा बिना किसी सूचना के पानी छोड़ा जाता रहा है। नदियों का पानी साझा करने के लिए अब भारत को चाहिए कि वह चीन को वार्ता के लिए तैयार करे। इस वार्ता में बांग्लादेश को भी शामिल किया जाए। क्योंकि ब्रह्मपुत्र पर बनने वाले बांधों से भारत के साथ-साथ बांग्लादेश भी बुरी तरह प्रभावित होगा। इसके आलावा लाओस, थाईलैंड व वियतनाम भी प्रभावित होंगे। लेकिन ये देश पाकिस्तान की तरह चीन के प्रभाव में हैं, इसलिए चीन इनके साथ उदरता बनाए रखेगा। चीन, भारत और बांग्लादेश के साथ यही उदारता दिखने में आए, यह मुश्किल है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संधि की शर्तों को चीन भी स्वीकार करे, इस हेतु भारत और बांग्लादेश इस मसले को संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक मंच पर उठानी की जरूरत है। इस मंच से यदि चीन की निंदा होगी तो उसे संधि की शर्तों को दरकिनार करना आसान नहीं होगा।

Scanned with CamScanner

तानाशाह है कि मानता नहीं!

डॉ. प्रभात ओझा

तनाव और तल्खियों के भी रस्म बन जाने की परंपरा अमेरिका और उत्तर कोरिया के रिश्तों में देखी जा सकती है। उत्तर कोरिया ने एकबार फिर अमेरिका को चेतावनी दी है। इसे रस्म इसलिए कहा जाना चाहिए कि जब भी अमेरिका और दक्षिण कोरिया संयुक्त सैन्य अ यास करते हैं, ठीक उस समय उत्तर कोरिया के तेवर तीखे हो जाते हैं। हालांकि 2019 में एक वक्त ऐसा भी आया था, जब सात दशक से भी पुरानी दुश्मनी के बीच किसी पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया की धरती पर कदम रखे थे। उस समय दोनों देशों के शीर्ष नेताओं डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग-उन के बीच दो बार बातचीत भी हुई थी। उत्तर कोरिया की उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने भी बातचीत के लिए दक्षिण कोरिया की यात्रा की। ऐसे में उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच सिर्फ मील भर की दुनिया की सबसे तनावपूर्ण सीमा पर भी शांति कायम होने की क्षीण-सी आशा दिखी। इसके साथ ही विश्व पर परमाणु और बैलेस्टिक दबाव के भी कम होने की उम्मीद बढ़ी थी। दरअसल, दुनिया में निरस्त्रीकरण के मकसद से अमेरिका इस देश पर दबाव बनाये रहता है। दूसरी ओर दक्षिण कोरिया का साथ दे रहा अमेरिका, उत्तर कोरिया को अपना दुश्मन दिखाई देता है।

इतिहास गवाह है कि द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के साथ ही जापान की गुलामी से कोरिया स्वाधीन हुआ। साथ ही स्वाधीनता के लिए लड़ने वालों के आंतरिक विवाद से उसके दो टुकड़े भी हो गये। दक्षिण कोरिया समय के साथ लोकतांत्रिक हो गया, तो शुरू में किम उल सुंग के दौरान उत्तर कोरिया सोवियत संघ के प्रभाव में कम्युनिस्ट शासन प्रणाली अपनाता रहा। संयुक्त कोरिया और बाद में उत्तर कोरिया के नायक माने जाने वाले किम उल सुंग के पौत्र किम जोंग-उन ने तो दिसंबर, 2011 आते-आते अपने को देश का शासक ही घोषित कर दिया। दक्षिण कोरिया से खराब होते रिश्तों के बीच दुनिया का सर्वाधिक शक्ति संपन्न शासक बनने की उत्तर कोरियाई तानाशाह की भूख बढ़ती गयी। इसी भूख के वशीभूत दक्षिण कोरिया

Scanned with CamScanner

के साथ उसने अमेरिका को भी दुश्मन नंबर एक मान लिया है। करीब 38 साल का यह तानाशाह और अपने तीन भाइयों में दूसरे नंबर है। वह शासन के मामले में अपनी एकमात्र बहन पर ही भरोसा करता है। अमेरिका के विरुद्ध ताजा बयान उसकी बहन किम यो-जोंग ने ही दिया है।

दोनों देशों के बीच इसबार तीखापन इसलिए भी कुछ अधिक महसूस किया जा रहा है कि अमेरिका में जो बाइडेन के कुर्सी संभालते ही उन्हें चार साल तक की चिंता करने को कहा गया है। याद करना होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल चार साल का ही हुआ करता है। जो बाइडेन ने अभी उत्तर कोरिया के प्रति अपनी नीति की घोषणा नहीं की है। इसी बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षामंत्री लॉयड ऑस्टिन के दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचने का कार्यक्रम था। स्वाभाविक है कि उत्तर कोरिया को लगा कि ट्रंप के दौर में जो अमेरिका बातचीत की मेज तक आने को तैयार था, वह फिर से दक्षिण कोरिया के करीब जा रहा है।

उत्तर कोरिया का तानाशाह शासक किम जोंग-उन हर उस वक्त स त हो जाया करता है, जब अमेरिका की ओर से उसके पड़ोसी दक्षिण कोरिया के प्रति दोस्ताना और अधिक मजबूत होता दिखता है।अमेरिका दुनिया में परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर नियंत्रण के अपने लक्ष्य पर चलते रहना चाहता है। इधर उत्तर कोरिया है कि वह इसपर किसी की नहीं सुनता। आमतौर पर वह अमेरिका और दक्षिण कोरिया सैन्य अभ्यास के जवाब में किसी नए बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करता है अथवा अमेरिका के प्रति पहले से भी तीखे तेवर दिखाता है। फिलहाल किसी प्रक्षेपास्त्र के परीक्षण की खबर तो नहीं है, पर उत्तर कोरिया का बयान बताता है कि वह किसी भी हाल में अमेरिका के मन की नहीं होने देना चाहता। आज उत्तर कोरिया के पास इतने अस्त्र-शस्त्र हैं कि उसके एक-दो मिसाइलों की जद में अमेरिका के कुछ शहरों के होने की भी आशंका जतायी गयी है। दोनों के बीच कई बार तनाव इस सीमा तक जा पहुंचे हैं कि उनकी ओर से परमाणु-बटन दबाने तक की चेतावनी दे डाली गयी। इस चेतावनी के अंजाम तक पहुंचने की कल्पना भर से दुनिया में सिहरन फैल जाती है। ऐसा होने पर स्थिति किन्हीं दो देशों के बीच का मामला नहीं रह सकता।

कामना करें कि जो बाइडेन उत्तर और दक्षिण, दोनों कोरिया के बीच समन्वय की दिशा में कुछ आगे बढ़ें। खबर है कि परोक्ष रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति के बदलाव के साथ ही उत्तर कोरिया के साथ फिर से बातचीत की कोशिशें की गयीं। कोशिश का अनुकूल असर नहीं दिखा है और सैन्य अ यास के साथ तानाशाह की बहन पहले से भी स त हो चली है। उसने अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच सैन्य अभ्यास को उत्तर कोरिया पर हमले की तैयारी बताया है और चेतावनी दे डाली है कि अमेरिका चार साल तक शांति से सोना चाहता है तो उत्तर कोरिया के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करे।

Scanned with CamScanner

असहाय होने का एहसास

कोरोना काल का एक साल

महीनों की पाबंदी के बाद अनलॉक हुआ और धीरे-धीरे भारत ने वैक्सीन भी विकसित कर ली। आज भारत के पास कोविड-19 के दो टीके हैं। वहीं, 16 जनवरी 2021 से पहले चरण के टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई और देखते ही देखते इस अभियान ने रफ्तार पकड़ ली। इसके कुछ ही समय बाद एक मार्च से दूसरे चरण के टीकाकरण अभियान के तहत भी लोगों को कोरोना वायरस टीके की खुराक दी जाने लगी।

अर्चना शर्मा

एक बरस पूर्व कोरोना वायरस महामारी के बीच 22 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉक डाउन का ऐलान करते हुए भारतवासियों से अपने-अपने घरों में रुके रहने के लिए कहा था। इसके साथ ही लोगों को मास्क पहनने, शारीरिक दूरी का पालन करने, हाथ को साफ रखने जैसी तमाम गाइडलाइन पालन करने के निर्देश दिए गए थे। यह एक तरह से कोरोना के प्रसार को रोकने की कोशिश व इस घातक बीमारी के खिलाफ आधिकारिक जंग की शुरुआत थी। जनता कर्फ्यू के दौरान एक तरह का अजीब सन्नाटा था।

उस समय कहा गया था कि यह लॉकडाउन का ट्रायल है। तब किसी को अंदाजा भी नहीं था कि लॉकडाउन कब खुलेगा। लोगों की आंखों के सामने इस

Scanned with CamScanner

भयानक वायरस की चपेट में आने से उनके अपनों की जान जा रही थी। क्या छोटा-क्या बड़ा, क्या जवान और क्या वृद्ध, कोरोना हर किसी को अपना शिकार बना रहा था। ऐसे में एकमात्र उपाय घरों में बंद रहना ही था। लोग लॉकडाउन के बीच इस घातक बीमारी की दवा का इंतजार करने लगे।

महीनों की पाबंदी के बाद अनलॉक हुआ और धीरे-धीरे भारत ने वैक्सीन भी विकसित कर ली। आज भारत के पास कोविड-19 के दो टीके हैं। वहीं, 16 जनवरी 2021 से पहले चरण के टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई और देखते ही देखते इस अभियान ने रफ्तार पकड़ ली। इसके कुछ ही समय बाद एक मार्च से दूसरे चरण के टीकाकरण अभियान के तहत भी लोगों को कोरोना वायरस टीके की खुराक दी जाने लगी।

वैक्सीन विकसित किए जाने से लेकर पहले चरण के टीकाकरण अभियान के बीच कोरोना वायरस से संमित लोगों के मामले कम होने लगे थे। यह सब तभी संभव हो पाया जब सभी देशवासियों ने मिलकर कोरोना के खिलाफ जारी जंग में एकजुटता दिखाई। खुद अनुशासित रहे और कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया।

हालांकि, अब एक बार फिर से कोरोना संमित मरीजों की संख्या में वृद्धि दर्ज की जा रही है। यह मामले आए दिन लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि चिंता की बात है। उम्मीद थी कि वैक्सीन आने के बाद भारत से कोरोना छूमंतर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछले साल मार्च में भारत में तब कोरोना ने दस्तक दी ही थी और 21 मार्च, 2020 तक 360 केस सामने आए थे। इनमें भी 41 मामले विदेशियों के थे। पिछले साल जनता कर्फ्यू लगने से पहले तक देश में सिर्फ 360 केस थे, जो आंकड़ा अब बढ़कर 1,16,46,081 पहुंच गया है। इसके अलावा एक्टिव केसों की बात करें तो अकेले महाराष्ट्र में ही आंकड़ा 2 लाख के पार है और देश भर में फिलहाल 3,34,646 लाख लोग कोरोना संमित हैं।

महाराष्ट्र से लेकर पंजाब और कर्नाटक

में कोरोना वायरस की दूसरी लहर देखने को मिल रही है। ऐसे में सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर कोरोना वायरस की वैक्सीन आने के बाद भी इसके मामलों में लगातार वृद्धि क्यों हो रही है? क्यों फिर से कोरोना पुराने रंग में दिख रहा है और दिन-प्रतिदिन ताकतवर हो रहा है? लेकिन यहां इस सवाल का जवाब भी हर किसी को मालूम है। कोरोना वायरस के मामलों में अचानक वृद्धि का प्रमुख कारण है लोगों की लापरवाही।

वायरस के दोबारा से ताकतवर होने की वजह

वैक्सीन आने के बाद लोग कोरोना के खिलाफ चल रही जंग को हल्के में लेने लगे। लोगों को यह गलतफहमी हो गई कि वैक्सीन आ गई है तो अब कोरोना वायरस से उन्हें कोई खतरा नहीं है। सरकार का भी कहना है कि लोगों की लापरवाही की वजह से कोरोना के मामलों में एक बार फिर से बढ़त होने लगी है। कोरोना वायरस के दोबारा से ताकतवर होने के पीछे कई वजह हैं। लोग अब कोरोना गाइडलाइन्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं।

वैक्सीन आने से पहले जिस तरह से लोग मास्क का इस्तेमाल किया करते थे, हैंड सैनिटाइज किया करते और शारीरिक दूरी बनाकर रखते थे, अब वैसी गंभीरता नहीं दिख रही है। इसके अलावा लंबे समय तक जारी कोरोना पाबंदियों के बाद जब देश अनलॉक हुआ तो शादी-समारोह और अन्य आयोजनों की बाढ़ आ गई। शादी-समारोहों में लोग महामारी के पहले की तरह आने-जाने लगे। भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जो सावधानियां बरतनी चाहिए, उसे अनदेखा किया जा रहा है। इन सभी वजहों के चलते कोरोना को फिर से वार करने का मौका मिल गया।

सावधानी ही सुरक्षा

लोगों को यह समझना जरूरी है कि ऐसे कई मामले आए हैं, जिसमें वैक्सीन लगने के बाद भी लोग संमित होते जा रहे हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र और कर्नाटक में कोरोना की दूसरी लहर देखने को मिल रही है, वह डराने वाला है। देश में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार भी तेज है, लोगों को वैक्सीन लग भी रही है, फिर भी मामलों में तेजी जारी है। इसका मतलब है कि हमें यह मानकर चलना होगा कि हमारे चारों ओर कोरोना है और इससे बचकर ही हमें जिंदगी जीनी है। जब तक देश में टीकाकरण अभियान खत्म नहीं हो जाता, तब तक हमें कोरोना के खिलाफ जंग को मजबूती के साथ ही लड़ना है।

Scanned with CamScanner

ग्रामीण निर्धन परिवारों की महिलाओं को स्व-सहायता समूह के माध्यम से सशक्त बनाना शासन का उद्देश्य

महेन्द्र सिंह सिसोदिया

मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा वर्ष 2012 से ग्रामीण निर्धन परिवारों की महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिये स्व-सहायता समूह बनाकर उनके संस्थागत विकास तथा आजीविका के संवहनीय अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

मिशन द्वारा प्रदेश में अब-तक समस्त जिलों के लगभग 44 हजार ग्रामों में 3 लाख 22 हजार स्व-सहायता समूहों का गठन किया गया है। इन समूहों से लगभग 36 लाख 53 हजार महिलाओं को जोड़ा जा चुका है। मिशन का उद्देश्य ग्रामीण निर्धन परिवारों की महिलाओं को स्व-सहायता समूह के रूप में संगठित करके सहयोगात्मक मार्गदर्शन करना तथा समूह सदस्यों के परिवारों को रूचि अनुसार उपयोग स्व-रोजगार एवं कौशल आधारित आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि मजबूत बुनियादी संस्थाओं के माध्यम से निर्धन परिवारों की आजीविका को संवहनीय एवं स्थायी आधार पर बेहतर बनाया जा सके।

स्व-सहायता समूहों से जुड़ चुके अधिकांश परिवार आज सम्मानपूर्वक जीवन-यापन कर रहे हैं। उनके द्वारा न सिर्फ आर्थिक बदलाव लाया जा रहा है, बल्कि सामाजिक एवं राजनैतिक सशक्तिकरण भी हो रहा है।

प्रदेश में आजीविका मिशन अंतर्गत गठित स्व-सहायता समूहों से जुड़े परिवारों में से 12 लाख 60 हजार से अधिक परिवार कृषि एवं पशुपालन आधारित आजीविका गतिविधियों से जुड़े हैं जबकि लगभग 4 लाख 11 हजार से अधिक परिवार गैर कृषि आधारित लघु उद्यम आजीविका गतिविधियों से जुड़कर काम कर रहे हैं।

समूहों को मिशन द्वारा चक्रीय निधि, सामुदायिक निवेश निधि आपदा कोष तथा बैंक लिंकेज के रूप में वित्तीय सहयोग किया जा रहा है। इस राशि से उनकी छोटी बड़ी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है,

Scanned with CamScanner

जिससे वह साहूकारों के कर्जजाल से बच जाते हैं।

ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका गतिविधियों को और सुदृढ़ करने के लिये इस वर्ष 1400 करोड़ रूपये से अधिक बैंक ऋण समूहों को उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। इनमें से 18 मार्च 2021 तक 1325 करोड़ से अधिक समूहों को वितरित किये जा चुके हैं।

इस राशि से ग्रामीण तबके के परिवारों की आजीविका गतिविधियों को शुरू करने तथा सुदृढ़ करने के अवसर कई गुना बढ़ गये हैं। यह राशि जैसे-जैसे समूहों में पहुंचती जा रही है, निर्धन परिवारों के जीवन में बड़े सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं, उनकी आर्थिक, सामाजिक स्थिति में तेजी से सुधार दिखाई दे रहा है जिससे ऋण वापसी और भी सरल हो गई है। सरकार द्वारा किये जा रहे इस सहयोग से ग्रामीण निर्धनों का कर्ज बोझ कम हुआ है, साथ ही बचत के अवसर भी बढ़े हैं। सरकार द्वारा समूहों को दिये जाने वाले ऋण पर ब्याज दर को अब 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है।

सरकार की प्राथमिकता एवं आजीविका मिशन के प्रयासों का ही परिणाम है कि जो समूह सदस्य महिलाएँ कुछ वर्षों पहले मुश्किल से तीन-चार हजार रूपये प्रतिमाह आय अर्जित कर पाती थीं, आज ऐसी लाखों महिलाएँ जो सम्मानपूर्वक प्रतिमाह 10 हजार रूपये से अधिक आय संवहनीय रूप से अर्जित करने लगी हैं।

समूहों में जुड़कर न सिर्फ उन्होंने अपनी आय के संसाधनों में वृद्धि की है, बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों को भी उनकी रूचि के अनुसार रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये हैं। ऐसी महिलाएँ अपने परिवार की बुनियादी जरूरतों के अलावा शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों की पूर्ति के लिये परिवार का सहारा बन रही हैं।

मध्यप्रदेश के आजीविका उत्पादों को सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर वृहद बाजारों से जोड़ने के लिये डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी जोड़ा जा रहा है, ताकि उचित

दाम में सामान सीधा खरीदा एवं बेचा जा सके, जिसका फायदा समूह सदस्यों को अधिक से अधिक मिल सके। समूहों और ग्राहकों के बीच कोई बिचौलिया न हो, इसके लिये आजीविका गतिविधि से बनाई जा रही वस्तुओं को बेचने के लिये, बाजार उपलब्ध कराने के लिये मध्यप्रदेश आजीविका मार्ट (Madhya Pradesh Ajivika Mart) पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल पर समूहों के उत्पाद दर्ज किये जा रहे हैं तथा पोर्टल www.shgjivika.mp.gov.in/mpmart/index के माध्यम से ही ग्राहक सीधे संपर्क कर वस्तुएँ खरीद सकेंगे।

प्रदेश में शासकीय स्कूलों के छात्रों की

Scanned with CamScanner

गणवेश सिलाई का काम समूहों को दिया गया है। पिछली बार समूह सदस्यों ने अच्छा काम किया था। इस बार फिर से समूहों को स्कूल गणवेश का काम दिया गया है। काम में पारदर्शित बनाये रखने तथा प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये स्व-सहायता पोर्टल बनाया गया है, जिसकी सहायता से यह काम और भी आसान हो जाएगा।

मिशन द्वारा दिये जा रहे लगातार प्रशिक्षण, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय सहयोग एवं सहयोगात्मक मार्गदर्शन से लाखों परिवारों की निर्धनता दूर हो गई है। प्रशिक्षणों का ही परिणाम है कि समूह सदस्यों के अन्दर गरीबी से उबरने की दृढ़ इच्छा शक्ति उत्पन्न हुई। परिणाम स्वरूप वह आगे बढ़कर पात्रता अनुसार अपने हक, अधिकार न केवल समझने लगे हैं बल्कि प्राप्त करने लगे हैं। मिशन के प्रयासों से ग्रामीण निर्धन परिवारों के जीवन में अनेकों सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। इनमें सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण प्रमुख रूप से देखा जा सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन परिवारों में महिलाओं की आय मूलक गतिविधियाँ करने के अवसर नहीं मिलते थे, उनका जीवन केवल चूल्हे-चौके व घर की चार दिवारी तक की सीमित रह जाता था। घर के संचालन, आय-व्यय, क्रय-विक्रय आदि सहित अन्य मुद्दों पर निर्णय में पुरूषों का एकाधिकार था, यहाँ तक कि महिलाओं के आने-जाने, उठने-बैठने, पहनने-ओढ़ने, खाने-पीने आदि जैसे व्यक्तिगत मुद्दों पर भी उनकी राय लेना मुनासिब नहीं समझा जाता था, बल्कि सब कुछ एकतरफा उन पर थोप दिया जाता था। कभी परंपरा तो कभी संस्कार मर्यादा के नाम पर महिलाओं के पास इन्हें ढोने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता था। उनकी अपनी कोई पहचान इच्छा-अनिच्छा, सहमति-असहमति नहीं होती थी। घर के संचालन एवं खेती बाड़ी तथा व्यवसायिक कार्यों में महिलाओं की राय लेना तो जैसे सपनों की बातें हों।

समूहों, ग्राम संगठनों, संकुल स्तरीय संघों की नियमित बैठकों में भागीदारी करने से उनकी समझ व सक्रियता बढ़ गई है। साथ ही उनकी कार्यशैली में निखार एवं आत्मविश्वास में बढ़ोत्तरी हुई है। समूहों में सिखाये गये 13 सूत्रों ने उन्हें मूल मंत्र दे दिया जिससे वे निरंतर आगे बढ़ती जा रही हैं। समूहों की बैठक में नियमित बचत लेन-देन, ऋण वापसी तथा दस्तावेजीकरण, बैंकों में आने-जाने से उनके अंदर वित्तीय साक्षरता, व्यवसायिक प्रबंधन की क्षमता विकसित हो गई। इसी का परिणाम है कि घूंघट में रहने वाली शर्मीले स्वभाव की ग्रामीण महिलायें आज अपनी पिछड़ेपन की पहचान बदलकर बड़ी-बड़ी सभाओं में मंच से भीड़ के सामने निर्भीक होकर अपने विचार व्यक्त करती हैं।

समूहों को आगे बढ़ने में आ रही व्यवहारिक समस्याओं का भी सरकार द्वारा एक-एक करके समाधान किया जा रहा है। कुछ 6 समस्यायें जैसे समूहों की बैठक करने के लिय स्थान का अभाव, समूहों ग्राम संगठनों व सीएलएफ कार्यालयों के लिये भवन न होना, आजीविका उत्पादों का प्रदर्शन एवं विक्रय के लिये आउटलेट भवन नहीं थे। इसका समाधान करते हुये सरकार द्वारा समूहों की बैठकें करने के लिये विभिन्न जिलों में 6000 से अधिक शासकीय भवन आवंटित कराये गये हैं। इन भवनों में बैठकर समूह सदस्य सम्मान पूर्वक समूह की गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं।

इसी प्रकार 4 हजार से अधिक ग्राम संगठनों को कार्यालय भवन, 416 संकुल स्तरीय संगठनों के कार्यालय भवन 131 आजीविका आउटलेट के लिये भवन आवंटित किये जा चुके हैं।

प्रदेश में 32 आजीविका रूरल मार्ट शुरू हो चुके हैं और 44 रूरल मार्ट के प्रस्ताव प्रेषित किये जा चुके हैं यह भी शीघ्र शुरू हो जायेंगे। इन मार्ट में एक ही स्थान पर समस्त आजीविका उत्पादों का सुपर स्टोर की तरह सामान बेचा जा रहा है।

सरकार से मिल रहे सहयोग के कारण समूह सदस्य महिलाऐं अपने आर्थिक सशक्तिकरण के साथ-साथ सामाजिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी समूहों के माध्यम से कई सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र में समूह सदस्यों द्वारा नशा मुक्ति, बाल विवाह रोकना, स्वच्छता, पोषण, पर्यावरण संरक्षण जैसे गंभीर विषयों पर भी सामाजिक व्यवहार परिवर्तन के लिये सराहनीय प्रयास किये जा रहे हैं।

वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान

Scanned with CamScanner

बचाव सामग्री बनाकर आपदा को अवसर में बदलने के लिये भी समूहों ने अच्छा काम किया है। लॉकडाउन से लेकर अब-तक 1 करोड़ 28 लाख से अधिक मास्क, 1 लाख 17 हजार से अधिक पीपीई किट, 1 लाख 2 हजार 103 लीटर सेनेटाइजर, 19 हजार 376 लीटर से अधिक हैण्डवॉश एवं 2 लाख 39 हजार से अधिक साबुननिर्माण किया। इस कार्य से बीमारी की रोकथाम में सहायता मिली साथ ही समूह सदस्यों को अतिरिक्त आय भी प्राप्त हुई।

मध्यप्रदेश सरकार ने समूहों को आगे बढ़ाने के लिये नये-नये अवसर दिये हैं। कुछ जिलों में समर्थन मूल्य पर फसल खरीदी का काम भी समूह सफलता पूर्वक संचालित कर रहे हैं। समूह सदस्यों द्वारा आजीविका एक्सप्रेस सवारी वाहनों का संचालन भी बेहतर ढंग से किया जा रहा है।

मिशन के समूहों से जुड़कर महिलाओं को जो अवसर मिला उससे उन्होंने अपनी काबिलियत को सिद्ध कर अपनी अलग पहचान बनाई। मिशन द्वारा लगभग 6700 महिलाओं को कम लागत कृषि एवं जैविक खेती पर प्रशिक्षित किया गया। इन्होंने मास्टर कृषि सी.आर.पी. के रूप में न केवल अपने घर, गाँव, जिला, प्रदेश बल्कि अन्य राज्यों जैसे-हरियाणा, उत्तरप्रदेश व पंजाब में भी सेवायें देकर अपनी अलग पहचान बनाई है।

प्रदेश के कई क्षेत्रों में कम लागत एवं जैविक कृषि पद्धति अपनाने के लिये समूहों के सदस्यों ने बहुत अच्छा काम किया है। मिशन अंतर्गत चिन्हित जैविक कलस्टरों में समूहों की कृषि सी.आर.पी. के द्वारा किये जा रहे प्रयासों से घरों में बनाये जाने वाले जैविक खाद, कीटनाशक एवं बीजोपचार को बढ़ावा दिया जा रहा है।

जैविक कलस्टरों में किसानों ने रासायनिक खाद का प्रयोग करना लगभग बंद कर दिया है। यहां जैविक खाद के साथ-साथ जैविक कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है। इस प्रक्रिया से रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों पर होने वाला खर्चा बच गया, जिससे लागत कम हो गई तथा जैविक खाद के प्रयोग से उपज में भी वृद्धि हो रही है। कृषि के क्षेत्र में आत्म-निर्भरता का यह अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। जिसके परिणाम धीरे-धीरे आना शुरू हो गये हैं।

सरकार द्वारा प्राथमिकता से सहयोग किये जाने के कारण ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओ की स्थिति का नजारा अब तेजी से बदल रहा है। गैर आय मूलक नगण्य घरेलू कामों के अलावा अब समूह सदस्य महिलायें अपने परिवार के साथ-साथ गाँव एवं सामुदायिक विकास महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय देती हैं। उनके अन्दर आई जागरूकता के कारण न केवल घर में बल्कि गाँव व क्षेत्र में भी उनके सम्मान में बढ़ोत्तरी हुई है।

लेखक पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री है।

Scanned with CamScanner

मध्यप्रदेश टाईगर, तेंदुआ और गिद्धों की संख्या में सबसे आगे

घड़ियालों की संख्या में नम्बर वन बनने की दहलीज पर

डॉ. कुंवर विजय शाह

मध्यप्रदेश वन एवं वन्य-प्राणियों की विविधता के लिए जाना जाता है। भारत के किसी भी प्रदेश की तुलना में मध्यप्रदेश में सर्वाधिक बाघ हैं। प्रदेश में बाघ की कुल संख्या 526 पहुँचने से इसे टाईगर स्टेट का दर्जा प्राप्त है।

अगले साल फिर से बाघों और तेन्दुओं की गणना होगी। प्रदेश के जंगलों से बाघों की बढ़ोत्तरी के अच्छे संकेत मिलने लगे हैं। बाघों की संख्या में निरंतर बढ़ोत्तरी से यह भरोसा हो चला है कि मध्यप्रदेश देश में टाईगर स्टेट के रूप में अपना रूतबा कायम रखेगा। बाघों के लिए प्रदेश के जंगल मुफीद माने जाते हैं। संरक्षित क्षेत्र नेशनल पार्क टाईगर रिजर्व में सुरक्षा के पूरे इंतजाम की वजह से भी बाघ तेजी से बढ़ रहे हैं। टाईगर स्टेट का दर्जा दिलाने में अति विशिष्ट योगदान देने वाली पेंच टाईगर रिजर्व की बाघिन कॉलर कली के नाम विश्व में सर्वाधिक संख्या में प्रसव और शावकों के जन्म का अनूठा कीर्तिमान है।

मध्यप्रदेश में 3 हजार 431 तेन्दुए होने का आंकलन है, जो किसी भी राज्य से अधिक होने के साथ ही भारत में उपलब्ध तेन्दुओं की संख्या का 25 फीसदी है। प्रदेश में तेन्दुए की आबादी में 80 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई, जबकि देश में 60 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है।

प्रत्येक चार साल में भारत सरकार के वन्य एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर बाघ और तेन्दुओं की गणना कराई जाती है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीटयूट, देहरादून द्वारा मॉनीटरिंग की जाती है। इस आधार पर बाघ और तेन्दुओं की संख्या तय की जाती है।

गिद्ध और घड़ियालों की संख्या में भी अव्वल

इस वर्ष किए गए आंकलन के मुताबिक प्रदेश में तकरीबन 9 हजार 446 गिद्ध पाए गए हैं। पिछले दो साल में गिद्ध की संख्या में एक हजार 49 का इजाफा हुआ है। गिद्धों की संख्या के मामले में प्रदेश पहले स्थान पर काबिज है। इसी तरह घड़ियालों की गणना का कार्य भी चल रहा है। प्रदेश के घड़ियाल अभयारण्यों और अन्य जल-क्षेत्रों में 1800 घड़ियाल चिन्हित किए जा चुके हैं। घड़ियाल संख्या के मामले में भी मध्यप्रदेश के पहले स्थान पर आने की प्रबल संभावना है।

संरक्षित क्षेत्रों में अफ्रीकी चीतों की होगी पुनर्स्थापना

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अफ्रीकी चीते को देश में उपयुक्त संरक्षित क्षेत्र में स्थापित करने की अनुमति दी गई है। भारतीय वन्य-जीव संस्थान, देहरादून ने प्रदेश के कूनो और गांधी सागर अभयारण्य को चीते के रहवास के लिए के लिए मुफीद माना है। इस दिशा में कार्यवाही प्रचलन में है।

बफर में सफर योजना शुरू

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 24 नवम्बर 2020 को बाँधवगढ़ में पर्यटन की केबिनेट में पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ने के निर्णय पर मुहर लगाई थी। ठीक एक माह में दिसम्बर की 25 तारीख को बाँधव राष्ट्रीय उद्यान में हाट एअर बैलून सफारी का शुभारंभ हो गया। यहाँ पर्यटक जमीन से एक हजार फीट ऊपर से जंगल की खूबसूरती एवं बाघ, तेंदुआ आदि वन्य-प्राणियों को विचरण करते निहारेंगे।

वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में नाइट सफारी भी एक महीने के अन्दर शुरू

Scanned with CamScanner

निशा सफारी

प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों में पारंपरिक रूप से प्रात:कालीन और अपरान्ह में वाहन से सफारी की जाती थी। जैसा कि निशा सफारी नाम से ही स्पष्ट है। पर्यटक बफर क्षेत्र में सूर्यास्त के 4 घंटे बाद तक वनों और वन्य- प्राणियों की रात्रि कालीन गतिविधियों को देख सकेंगे। इस व्यवस्था के होने से गाईड और ड्राईवरों के रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।

हो गई। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वन विहार में भ्रमण के दौरान नाइट सफारी शुरू करने के निर्देश दिए थे। नाइट सफारी का शुभारंभ भी एक महीने में ही किया जाकर पर्यटकों को नई सौगात प्रदान करा दी है।

पर्यटकों की सुविधाओं का विस्तार एक माह के भीतर किया जाना यह सिद्ध करता है कि मुख्यमंत्री प्रदेश के चहुँमुखी विकास और पर्यटकों की सुविधाओं के विस्तार के लिए अपने संकल्पों को तेजी से अंजाम दे रहे हैं।

अन्य राष्ट्रीय उद्यानों के बफर क्षेत्र में भी नाइट सफारी, तारामण्डल अवलोकन, रात्रि में भ्रमण से वन्य-प्राणियों का अवलोकन, दिन में वाहन सफारी, कैंपिंग, पैदल ट्रेकिंग, साइकिलिंग आदि गतिविधियाँ प्रारंभ की गई हैं। कान्हा, पेंच एवं सतपुड़ा टाईगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में भी टाईगर सफारी योजना को मूर्तरूप देने के प्रयास किए जा रहे हैं।

पर्यटकों के लिए कान्हा, बाँधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा और पेंच टाईगर रिजर्व में ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी प्रारंभ की गई है। टाईगर रिजर्व में पर्यटन के लिए खुला क्षेत्र 20 प्रतिशत की सीमा तक और टाईगर रिजर्वो के कोर क्षेत्रों में पर्यटन के लिए पर्यटक वाहन धारण क्षमता निर्धारित है।

ईको पर्यटन विकास

ईको पर्यटन विकास के माध्यम से वनों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। ईको पर्यटन गंतव्य स्थलों के विकास के लिए 131 स्थल अधिसूचित किए जा चुके हैं। इनमें से कुछ क्षेत्रों को संचालन और प्रबंधन के लिए निजी क्षेत्रों को दिये जाने की प्रक्रिया प्रगति पर है। इसमें स्थानीय युवाओं को न्यूनतम 70 प्रतिशत रोजगार दिलाया जाना अनिवार्य किया गया है। स्थानीय नागरिकों को गाइड, नाविक, खानसामा और कैम्प प्रबंधन आदि के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। इस वित्तीय वर्ष में टाईगर रिजर्व के कोर एवं बफर क्षेत्र के 650 गाइड को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

वन अपराधिक प्रकरणों पर प्रभावी कार्रवाई

वन विभाग द्वारा पिछले साल 52 हजार 640 वन अपराध प्रकरण दर्ज किए गए। अवैध उत्खनन के 379 क्षेत्र में 1093 प्रकरण, अवैध परिवहन के 1465 प्रकरण में 1285 वाहन जब्त किए गए। अतिक्रमण के 2087, अवैध चराई के 686 और अवैध कटाई के करीब 45 हजार प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई हैं। वन अपराध प्रशमन और अन्य विविध प्रकरणों में पिछले साल विभाग को 89 करोड़ से ज्यादा की राशि प्राप्ति हुई हैं।

आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश का रोडमैप-2023

आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश को आधार बनाकर वन विभाग ने महत्वाकांक्षी पहल की है। इसके लिए तीन आउट कम निर्धारित किए गए हैं। इनमें वन आधारित आर्थिक गतिविधियों के योगदान में वृद्धि, वन संपदा का संवहनीय उपयोग और खनिज संपदाओं का वैज्ञानिक दोहन कर रोजगार प्रदान करना, शामिल हैं। इन आउटकम में 17 गतिविधियों का समावेश किया गया है, जिसमें 65 उप गतिविधियाँ शामिल हैं। इनमें से 37 गतिविधियाँ निर्धारित समयावधि में प्रारंभ की जा चुकी है।

आत्म-निर्भर रोडमैप-2023 के अधीन इन चिन्हित गतिविधियों में बफर में सफर मुहिम के माध्यम से मानसून पर्यटन को बढ़ावा देना, टाईगर सफारी विकसित करना, लकड़ी और बाँस के प्र-संस्करण एवं मूल्य संवर्धन के लिए 2 विशेष आर्थिक क्षेत्रों का विकास, 20 बाँस कलस्टरों का व्यवस्थित विकास, प्रदेश की वनोपज की मध्यप्रदेश उत्पाद के रूप में की गई रैंकिंग, वनोपज के बेहतर मूल्य के लिए वनोपज मूल्य संवर्धन विकास, वन आधारित उद्यमों को प्रोत्साहन, उपयुक्त हैबिटेट में चीतों का लाना, बाघों का घनत्व बढ़ाना, वन स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए बाघों की अन्य राष्ट्रीय उद्यानों में पुनर्स्थापना, वनों के बाहर वृक्ष आवरण में वृद्धि के लिए शासकीय और गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण की पहल और भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण कर पारदर्शिता बढ़ाने आदि के कार्य किए जायेंगे। आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश में 3 वर्ष की अवधि में 5 हजार ग्राम वन समितियों की सूक्ष्म प्रबंध योजनाएँ तैयार की जाएंगी। प्रथम चरण में 317 समितियों की सूक्ष्म प्रबंध योजनाएँ बनाई जा चुकी हैं।

ग्रामीणों को रोजगार का एक्शन प्लान

वन विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 में 7 लाख 68 हजार ग्रामीणों को रोजगार दिलाने का एक्शन प्लान तैयार किया गया है। इसके अलावा संयुक्त वन प्रबंधन का नवीन संकल्प तैयार किया जा रहा है। इसमें ग्रामीणों की सहभागिता को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।

लेखक म.प्र. शासन के वन मंत्री है।

Scanned with CamScanner

Was dropping HM from Singh's petition a ruse ?

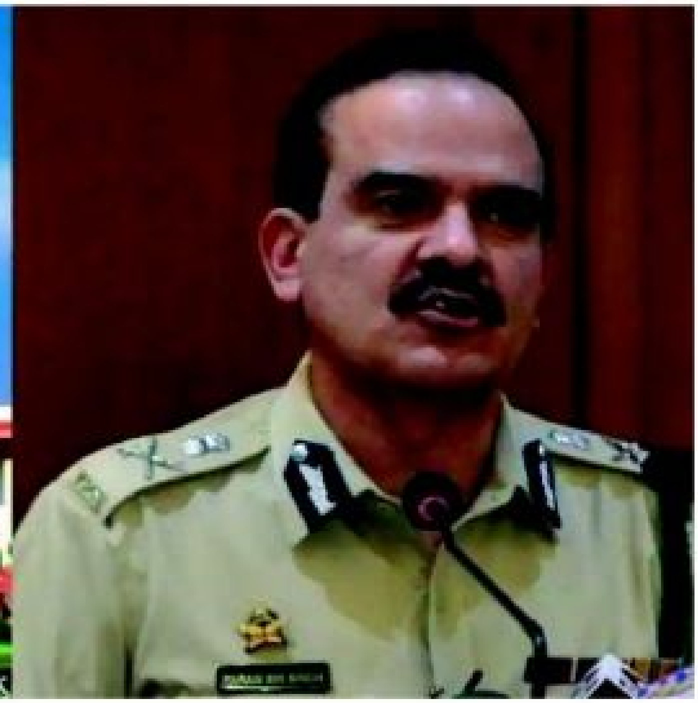

Legal Eagle Olav Albuquerque

The Supreme Court rightly rejected a writ petition filed by former Mumbai Police Commissioner Param Bir Singh challenging his transfer as commandant of home guards because the basic axiom of law is to move the lowest court which has jurisdiction in the case and approach the superior court only in appeal or revision. Singh would be left with no remedy if the apex court decided against him. This is why the Supreme Court has admitted even though the extortion charges levelled by Param Bir Singh against his home minister Anil Deshmukh are "very serious", Singh should first approach the Bombay high court. "Both (Param Bir Singh and Anil Deshmukh) were hunky dory before they fell apart and now this has come up," remarked the judges. The former top cop did not implead Anil Deshmukh in his petition, which would have tied the hands of the Supreme Court in granting him relief. Whether this was a mistake or a clever ruse by Param Bir Singh's lawyer Mukul Rohatgi, who charges over Rs 500,000 per appearance is debatable. Finally, the Maha Vikas Aghadi government has played a master card, by offering to allow a retired high court judge to probe Singh's charges against Deshmukh. No police officer or bar owner would dare depose against Anil Deshmukh with Sharad Pawar backing him. Be that as it may, while approaching the Supreme Court under Article 32 is the soul of all fundamental rights, approaching the 25 high courts under Article 226 is not. The high court judges grill petitioners as to the maintainability of their writ petitions by asking them if there is any other remedy. So, just as the Supreme Court dismisses thousands of Special Leave

Scanned with CamScanner

Petitions on Mondays and Fridays without reasons, the high court may dismiss a writ petition giving reasons. Unlike criminal or civil trials, the high courts do not assess evidence while hearing writ petitions which is why Singh may have a better chance of succeeding in his writ petition in the high court than in a probe by a retired high court judge. Two more petitions have been filed in the Bombay high court, also demanding a CBI probe into Home Minister Anil Deshmukh allegedly demanding that the now jailed encounter cop Sachin Vaze extort Rs 100 crore per month from bar owners. Now that the Unlawful Activities Prevention Act has been applied to him, Vaze may tell the truth under sustained interrogation by NIA sleuths who come under the Central government. The NIA does not need the okay of the state government to probe the charges against Vaze and Anil Deshmukh, unlike the CBI, which cannot act without the high court ordering it. Vaze's career is finished and apart from top politicians promising to look after his family, there is no motive for Vaze to protect those who used him to do their dirty work. It is an open secret that police officers pay huge sums to politicians for "lucrative postings" within the police force. Hence, former additional DGP Rashmi Shukla's probe report submitted to former DGP Subodh Jaiswal, which he submitted to Chief Minister Uddhav Thackeray on August 25, 2020, is not surprising. Police and the customs do this, with gangster Arun Gawli once alleging to the FPJ that the post of police commissioner of Mumbai city cost each IPS officer Rs 5 crore. After he took over as new police chief, Hemant Nagrale has shunted out 86 police officers, including API Riaz Kazi, who was grilled by the NIA. But that will not break the old practice of policemen using agents in the force to approach the home minister to rescind transfers, which has been going on for

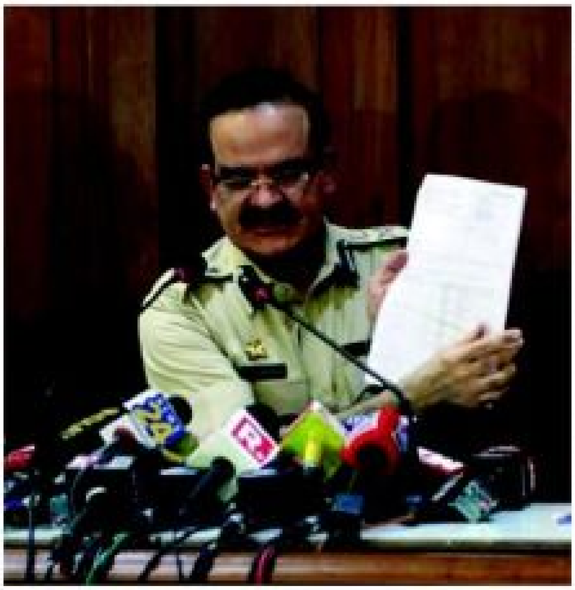

decades. The question is, if Anil Deshmukh did order Sachin Vaze to extort Rs 100 crore per month from 1,750 dance bar and restaurant owners, was this huge sum to be used for his party or his government. It is unlikely Deshmukh wanted such a huge sum for himself alone. The truth will never come out. If it did, the MVA government would topple. In any case, this ongoing scandal erupted simply because there are different political parties in power in the Centre and in the state. This is why a magisterial order directing the ATS to hand over its files to the NIA needs to be lauded. The ATS is the 'caged parrot' of the state government, just as the NIA or the CBI is of the central government. Apart from Param Bir Singh's petition, a Mumbai-based lawyer, Jaishri Laxmanrao Patil, and a Pune-based activist, Hemant Baburao Patil, sought independent probes against both Anil Deshmukh and Param Bir Singh and others, concerning the Rs 100 crore per month extortion. They both filed separate writ petitions in the Bombay high court, which will be clubbed with that of Param Bir Singh. But unlike Param Bir, Advocate Patil, like activist Hemant Baburao Patil who sought the high court's supervision of an independent probe into the murky scandal, have also sought that the top cop should also be charged with criminal conspiracy. Whether the high court will supervise an independent probe into the slew of allegations and counter-allegations remains to be seen. There is no doubt the ATS will brief Chief Minister Uddhav Thackeray of their probe, which is why the high court's supervision is vital for the truth to come out. In our imperfect democracy, judges are like umpires who must ensure Param Bir Singh and Anil Deshmukh play by the rules. Those rules are meant to be broken, which is why the independence of the judiciary will be on test with these writ petitions being heard.

Scanned with CamScanner

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान, भोपाल

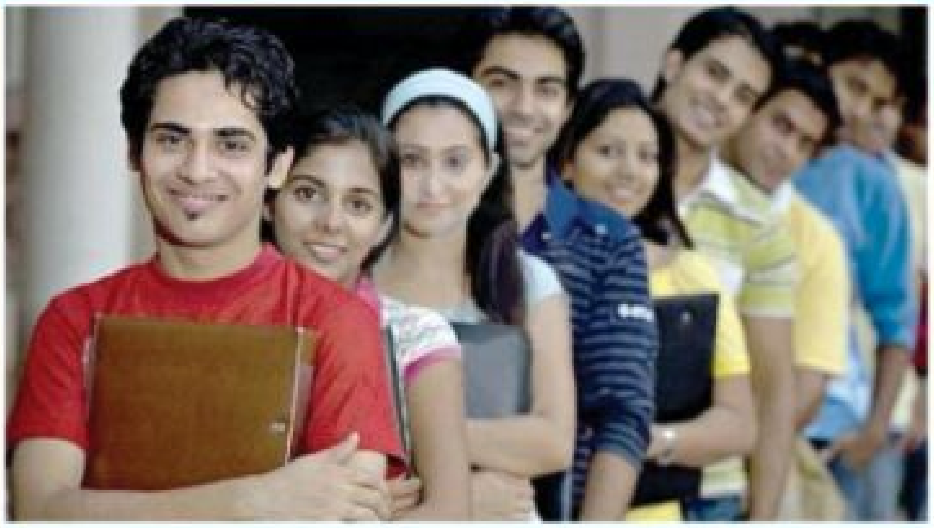

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान वर्ष 1998 से सतत् रूप से संचालित हो रहा है। इस संस्थान से अध्ययन कर छात्र-छात्राएं प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में अच्छे पदों पर पदस्थ हैं। साथ ही साथ शासकीय पद पर आसीन होकर इस संस्थान को गौरवान्वित कर रहे हैं।

: विषय :

मास्टर ऑफ आर्ट जर्नलिज्म (2 वर्ष)

संपर्क सूत्र

विजया पाठक (संचालक) 9826064596

कार्यालय - कार्पोरेट कार्यालय - एफ 116/17, शिवाजी नगर, भोपाल, म.प्र.

संस्थान - 28, सुरभि विहार कालोनी, कालीबाड़ी, बी.डी.ए. रोड, भेल, भोपाल, म.प्र.

Scanned with CamScanner